पंजीकरण संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड–19] रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 जनवरी, 2018 ई0 (पौष 23, 1939 शक सम्वत्) [संख्या–02

विषय–सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग–अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग–अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य	—	3075
भाग 1–विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	35–42	1500
भाग 1–क–नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	05–37	1500
भाग 2–आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण	—	975
भाग 3–स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	09–45	975
भाग 4–निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 5–एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड	—	975
भाग 6–बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट	—	975
भाग 7–इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	—	975
भाग 8–सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	05–09	975
स्टोर्स पर्चेज–स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति–अवकाश, नियुक्ति, स्थान–नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

सचिवालय प्रशासन (अधि0) अनुभाग–01

अधिसूचना

05 दिसम्बर, 2017 ई0

संख्या 1873/XXXI(1)/2017–विविध–43/17–श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड शासन स्तर पर "कौशल विकास एवं सेवायोजन" नाम से नये विभाग के गठन की स्वीकृति प्रदान करते हैं। नव सृजित विभाग कौशल विकास एवं सेवायोजन द्वारा संलग्न परिशिष्ट–01 में अंकित विवरणानुसार कार्य किये जायेंगे। "कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग" को विभागीय कोड आवंटन पृथक से निर्गत किया जायेगा।

प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग का अनुभाग–02 अब "कौशल विकास एवं सेवायोजन" का अनुभाग होगा।

2. उक्त के फलस्वरूप "रोजगार सृजन, कौशल विकास, श्रम एवं सेवायोजन" विभाग का परिवर्तित नाम "श्रम" विभाग तथा "प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा" विभाग का परिवर्तित नाम "तकनीकी शिक्षा" विभाग होगा।

3. उत्तराखण्ड कार्य (बंटवारा) नियमावली, 2003 के अधीन सचिवालय प्रशासन विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 1093/XXXI(1)/2006, दिनांक 28 अगस्त, 2006, इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

परिशिष्ट–01

कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग/अनुभाग को आवंटित कार्य–

(क) उत्तराखण्ड कौशल विकास एवं उत्तराखण्ड कौशल विकास समिति से सम्बन्धित समस्त कार्य :–

(1) राज्य में कौशल विकास कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार।

(2) केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित कौशल विकास कार्यक्रमों का निष्पादन।

(3) केन्द्र एवं राज्य स्तर पर कौशल विकास से सम्बन्धित सूचनाओं का संकलन एवं निष्पादन।

(4) राज्य हेतु आवश्यक कौशल का चिन्हिकरण एवं कौशल प्रशिक्षण हेतु इनका विस्तार।

(5) प्रशिक्षण कार्यक्रमों का अनुश्रवण।

(6) स्किल गैप एवं कौशल से सम्बन्धित अनुसंधान एवं अन्य अध्ययन।

(7) प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना।

(8) रोजगार सुविधा केन्द्रों की स्थापना से सम्बन्धित कार्य।

(ख) "सेवायोजन" से सम्बन्धित समस्त कार्य, जो अब तक श्रम एवं सेवायोजन विभाग द्वारा देखे जा रहे थे।

(ग) "प्रशिक्षण" से सम्बन्धित समस्त कार्य, जो अब तक प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा देखे जा रहे थे।

आज्ञा से,

उत्पल कुमार सिंह,
मुख्य सचिव।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2

अधिसूचना

04 दिसम्बर, 2017 ई0

संख्या 1533/X–2–2017–19(04)/2014–वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53, सन् 1972) की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड राज्य हेतु शासन की अधिसूचना संख्या 432/X–2–2015–19(04)2014, टी0सी0, दिनांक 31–01–2015 द्वारा गठित राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड (State Wildlife Advisory Board) में निम्नलिखित सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा नामित किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :–

क्र0 सं0	राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड में सम्मिलित महानुभाव/अधिकारी	पद	अवधि
धारा 6(1)(ग) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य सरकार द्वारा नामित विधान सभा के तीन सदस्य			
1.	श्री दीवान सिंह बिष्ट, मा0 सदस्य, विधान सभा, उत्तराखण्ड	सदस्य	अधिकतम् 02 वर्ष या विधान सभा के कार्यकाल तक अथवा जो भी पहले हो।
2.	श्री सुरेश राठौर, मा0 सदस्य, विधान सभा, उत्तराखण्ड	सदस्य	अधिकतम् 02 वर्ष या विधान सभा के कार्यकाल तक अथवा जो भी पहले हो।
3.	श्री धन सिंह नेगी, मा0 सदस्य, विधान सभा, उत्तराखण्ड	सदस्य	अधिकतम् 02 वर्ष या विधान सभा के कार्यकाल तक अथवा जो भी पहले हो।
धारा 6(1)(घ) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य सरकार द्वारा नामित वन्य जीव से सम्बन्धित तीन गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि–			
1.	हिमालयन एक्सन रिसर्च सेन्टर, इन्दिरानगर, देहरादून	सदस्य	अधिकतम् 02 वर्ष
2.	तितली ट्रस्ट, राजपुर रोड इन्क्लेव, देहरादून	सदस्य	अधिकतम् 02 वर्ष
3.	हिमालयन इन्वायरमेन्टल, स्टडीज कन्जरवेशन ऑरगेनाईजेशन (हेस्को), शुक्लापुर, देहरादून	सदस्य	अधिकतम् 02 वर्ष
धारा 6(1)(ड़) में प्रदत्त शक्तियों के अधीन राज्य सरकार द्वारा नामित 7 सुविख्यात संरक्षण विज्ञानी, पारिस्थितिकी विज्ञानी और पर्यावरण विज्ञानी			
1.	श्री प्रतीक पंवार, बंगाली मौहल्ला, देहरादून	सदस्य	अधिकतम् 02 वर्ष
2.	श्री अनूप शाह, छायाकार, नैनीताल, विशेष छायाकार ख्याति प्राप्त वन्य जीव फोटो ग्राफर	सदस्य	अधिकतम् 02 वर्ष
3.	श्री अनिल कुमार दत्त, सेवानिवृत्त प्रमुख वन संरक्षक (वन्य जीव)	सदस्य	अधिकतम् 02 वर्ष
4.	श्री बी0एस0 बोनाल, सेवानिवृत्त अपर महानिदेशक, वन, भारत सरकार, (अनु0 जनजाति)	सदस्य	अधिकतम् 02 वर्ष
5.	श्री रामकृष्ण सिंह रावत, जोशीमठ, चमोली (अनु0 जनजाति)	सदस्य	अधिकतम् 02 वर्ष

6.	श्री प्रकाश थपलियाल, सेवानिवृत्त, वरिष्ठ संवाददाता, प्रसार भारती, विवेक विहार, बालावाला, देहरादून	सदस्य	अधिकतम् 02 वर्ष
7.	श्री दरपान सिंह बोरा, सिमलासग्रान्ट, डोईवाला, देहरादून	सदस्य	अधिकतम् 02 वर्ष

2. उपरोक्तानुसार गठित राज्य वन्य जीव सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (अधिनियम संख्या 53, सन् 1972) की धारा 7 में उल्लिखित प्राविधानानुसार होगी।

3. प्रश्नगत राज्य वन्य जीव बोर्ड के कर्तव्य वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (अधिनियम संख्या 53, सन् 1972) की धारा 8 के अनुसार होंगे।

4. यह अधिसूचना गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

डॉ0 रणबीर सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

गृह अनुभाग–4

अधिसूचना

27 अक्टूबर, 2017 ई0

संख्या 966/बीस–4/2017–4(कारा)/2016–श्री राज्यपाल महोदय, उ0प्र0 जेल मैनुअल के अध्याय–25 के प्रस्तर–669 एवं प्रस्तर–671 में दी गयी व्यवस्था के अधीन श्री राजेन्द्र सिंह पुत्र श्री करतार सिंह निवासी–270, खुडबुडा मोहल्ला, देहरादून को जिला कारागार, देहरादून में अशासकीय पर्यवेक्षक (जेल विजिटर) के रूप में नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

2. उपरोक्त नामांकन तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा तथा श्री राजेन्द्र सिंह की नियुक्ति इस अधिसूचना की दिनांक से 02 वर्ष अथवा शासन के अग्रिम आदेशों तक, जो भी पहले घटित हो, तक की अवधि के लिये होगी तथा उन्हें अशासकीय पर्यवेक्षक के रूप में कोई पारिश्रमिक/मानदेय देय नहीं होगा।

3. जेल मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत अशासकीय पर्यवेक्षक द्वारा कारागार का पर्यवेक्षण 4 बजे अपरान्ह के पश्चात् और सूर्योदय के पूर्व किसी भी समय नहीं किया जायेगा। किसी एक अवसर पर ऐसे पर्यवेक्षण की अवधि जिला कारागार में दो घण्टे से अधिक की नहीं होगी। अशासकीय पर्यवेक्षकों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे 2 बजे अपरान्ह के पश्चात् पर्यवेक्षण न करें, क्योंकि यह ऐसा किया जाना बंदीकरण (Locking Up) से हस्तक्षेप करता है।

4. कारागार में अशासकीय पर्यवेक्षकों की संख्या बहुत अधिक होने के मामले में जिला मजिस्ट्रेट ऐसे अशासकीय पर्यवेक्षकों की एक सूची बारी–बारी से पर्यवेक्षण करने के लिये बनायेगा, ताकि इस सूची के अनुसार दो या तीन महीने की अवधि के दौरान तीन से अधिक पर्यवेक्षक कारागार का पर्यवेक्षण करने का हकदार नहीं होंगे। अधीक्षक कारागार प्रबन्ध करेगा कि कारागार में आये पर्यवेक्षक के साथ एक उत्तरदायी कारागार अधिकारी और मार्गदर्शक दल रहे।

आज्ञा से,

आनन्द बर्द्धन,
प्रमुख सचिव।

सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग

अधिसूचना

16 नवम्बर, 2017 ई0

संख्या 1762/VII–2/19(23)–एम0एस0एम0ई0/2017–एतद्द्वारा श्रीमती पल्लवी गुप्ता, उप निदेशक, उद्योग निदेशालय के विवाह के उपरान्त सेवा अभिलेखों में गृह जनपद हरिद्वार के स्थान पर जनपद अल्मोड़ा किये जाने के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश (उत्तराखण्ड में यथावत् लागू) शासनादेश संख्या 3497/III–500(5)–46, दिनांक 6 नवम्बर, 1946 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत श्रीमती पल्लवी गुप्ता, उप निदेशक, उद्योग निदेशालय के सेवा अभिलेखों में गृह जनपद हरिद्वार के स्थान पर जनपद अल्मोड़ा किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

अधिसूचना

04 दिसम्बर, 2017 ई0

संख्या 2070/VII–2–17/471–उद्योग/2002–एतद्द्वारा उद्योग विभाग के अन्तर्गत उत्तराखण्ड उद्योग (ज्येष्ठ समूह "क") सेवा नियमावली, 2017 में इंगित प्राविधानों के अन्तर्गत नियम–5(2) में दी गयी व्यवस्थानुसार श्री सुधीर चन्द्र नौटियाल, अपर निदेशक, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित पदोन्नति समिति की संस्तुतियों के आधार पर उद्योग विभाग में निदेशक, उद्योग वेतनमान (स्तर–13 ए, वेतन मैट्रिक्स ₹ 1,31,100–2,16,600) के रिक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नियमित रूप से प्रोन्नत किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. पदोन्नति के फलस्वरूप श्री सुधीर चन्द्र नौटियाल को निदेशक, उद्योग के पद पर उद्योग निदेशालय, देहरादून में तैनात किया जाता है।

आज्ञा से,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव।

पंचायतीराज अनुभाग–2

विज्ञप्ति/नियुक्ति

14 दिसम्बर, 2017 ई0

संख्या 941/XII(2)/2017–90(20)/2017–उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार द्वारा आयोजित उत्तराखण्ड सम्मिलित राज्य सिविल/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा, 2012 के आधार पर चयनोपरान्त की गयी संस्तुति के क्रम में निम्नलिखित अभ्यर्थियों को पंचायतीराज विभाग के कार्य अधिकारी, जिला पंचायत में वेतन लेवल–10 (अपुनरीक्षित वेतन ₹ 15600–39100+ग्रेड पे ₹ 5400) में नियुक्त करते हुए डॉ0 रघुनन्दन सिंह टोलिया, उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष के परिवीक्षाकाल पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र0 सं0	नाम (सर्वश्री/श्रीमती/कु0)	अनुक्रमांक	पिता/पति का नाम (सर्वश्री)	पत्र व्यवहार का पता	अभ्युक्ति
1.	नितीश कुमार शाही	613152	शेष नाथ शाही	ग्राम व पोस्ट पडरी, पोस्ट हाटा, जनपद कुशीनगर, उत्तर प्रदेश–274207	औपबन्धिक रूप से नियुक्त
2.	भगवत पाटनी	606534	माया प्रसाद पाटनी	कर्मचारी कॉलोनी, नियर एफ0सी0आई0 गोदाम, टनकपुर जनपद चम्पावत–262309	–
3.	हिमांशु कफल्टिया	614311	घनश्याम कफल्टिया	ग्रा0पो0 तुषराड़ वि0ख0 ओखलकान्डा, तहसील धारी, जनपद नैनीताल, उत्तराखण्ड	औपबन्धिक रूप से नियुक्त
4.	अंशिका स्वरूप	656323	राजीव स्वरूप सक्सेना	डी–46, शिवलोक कॉलोनी, रायपुर रोड, देहरादून–248008	–
5.	जितेन्द्र वर्मा	655875	कैलाश चन्द्र वर्मा	ग्राम भल्यूटी, पो0ओ0 ज्योलीकोट, नैनीताल, उत्तराखण्ड	–
6.	सुनील कुमार	613241	दिवानी राम	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रेहरा, हसनपुर, जिला अमरोहा, उत्तर प्रदेश–244255	औपबन्धिक रूप से नियुक्त

2. उक्त सेवा उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 के क्रियान्वयन हेतु भविष्य में प्रख्यापित की जाने वाली सेवा नियमावली तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्धारित की जाने वाली सेवा शर्तों से विनियमित होगी।

3. उपरोक्त अभ्यर्थियों को प्रथम नियुक्ति पर उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में दिनांक 18–12–2017 से 10–03–2018 के मध्य आयोजित होने वाली आधारभूत प्रशिक्षण हेतु तैनात किया जाता है।

4. सम्बन्धित अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 17–12–2017 को अपराह्न में उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में निम्ननुसार अपेक्षित औपचारिकतायें/प्रमाण–पत्रों के साथ योगदान प्रस्तुत किया जायेगा। समुचित कारणों के बिना योगदान न करने की स्थिति में यह समझा जायेगा कि वे उक्त पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं और ऐसी स्थिति में उनके अभ्यर्थन/नियुक्ति को निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।

5. कतिपय अभ्यर्थियों के जाति प्रमाण–पत्र/स्थायी निवास प्रमाण/चरित्र एवं पूर्ववृत्त सत्यापन आतिथि प्राप्त नहीं हुए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को औपबन्धिक रूप से नियुक्ति इस प्रतिबन्ध/शर्त के अधीन प्रदान की जा रही है कि यदि औपबन्धिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थियों की चरित्र व पूर्ववृत्त सत्यापन की रिपोर्ट तथा जाति प्रमाण–पत्र/स्थाई निवास प्रमाण–पत्र के सत्यापनोपरान्त किसी या किन्ही प्रमाण–पत्रों के सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है, तो उनका नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जायेगा। औपबन्धिक रूप से नियुक्ति अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी में रिपोर्ट करते समय इस आशय का नोटराइज्ड शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया जायेगा कि यदि उनके चरित्र व पूर्ववृत्त सत्यापन की रिपोर्ट तथा जाति प्रमाण–पत्र/स्थाई निवास प्रमाण–पत्र के सत्यापनोपरान्त कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है, तो उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी और इस सम्बन्ध में उनका कोई भी दावा स्वीकार्य नहीं होगा।

6. डॉ0 रघुनन्दन सिंह टोलिया उत्तराखण्ड प्रशासन अकादमी, नैनीताल में योगदान प्रस्तुत करते समय अभ्यर्थियों के द्वारा निम्नानुसार सूचनाएं/प्रमाण–पत्र भी प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे।

1. समस्त चल/अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित घोषणा पत्र।
2. पुरूष अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में एक से अधिक जीवित पत्नी न होने तथा महिला अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में ऐसे पुरूष से विवाह न किये जाने जिसकी पूर्व से कोई जीवित पत्नी हो, का प्रमाण–पत्र।
3. अभ्यर्थियों द्वारा केन्द्र/राज्य सरकार के अधीन अब तक की गयी सेवा के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र।
4. औपबन्धिक रूप से नियुक्त अभ्यर्थियों के सम्बन्ध में उक्त प्रस्तर–5 के अनुसार शपथ–पत्र।

7. प्रशिक्षण अवधि में प्रतिभागी अधिकारियों द्वारा अनिवार्य रूप से अकादमी छात्रावास मे ही अवस्थान किया जाना होगा, किसी भी प्रतिभागी को अकादमी के बाहर ठहरने की अनुमति नहीं होगी। प्रशिक्षण अवधि में किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा। सम्बन्धित अभ्यर्थियों को अकादमी में योगदान देने हेतु कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

8. उक्त अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता पृथक से निर्धारित की जायेगी। अभ्यर्थियों के जिला पंचायतों में तैनाती के आदेश भी पृथक से किये जायेंगे।

9. यह नियुक्ति मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में योजित रिट पिटीशन (पी0आई0एल0) संख्या 67/2011, रिट याचिका संख्या 61/2016, रिट याचिका संख्या 05/2016, रिट याचिका संख्या 90/2016, रिट याचिका संख्या 438/2015, रिट याचिका संख्या 71/2014, रिट याचिका संख्या 76/2015, रिट याचिका संख्या 81/2015, रिट याचिका संख्या 95/2015, रिट याचिका संख्या 83 (एस0/बी0)/2015, रिट याचिका संख्या 96 (एस0/बी0)/2015, रिट याचिका संख्या 105 (एस0/बी0)/2015, तथा रिट याचिका संख्या 4776 (एस0/बी0)/2015, तथा लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 23–08–2017 में उल्लिखित रिट याचिकाओं में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगी।

आज्ञा से,

मनीषा पंवार,
प्रमुख सचिव।

शहरी विकास अनुभाग–3

अधिसूचना

08 दिसम्बर, 2017 ई0

संख्या 2448/IV(3)2017–01(06 न0नि0)/2017–उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 02, सन् 1959) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा–3 की उपधारा (2) सह पठित संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके, अधिसूचना संख्या 2402/IV(3)2017–01(06 न0नि0)/2017, दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 के क्रम में चूँकि राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि संविधान के अधीन, कोटद्वार वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम का सम्यक गठन होने तक ऐसा करना समीचीन है, श्री राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा घोषित करते हैं कि नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा–5 के अनुसार नगर निगम के संचालन हेतु धारा–8 कक(1) के अधीन कोटद्वार नगरीय क्षेत्र की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नगर पालिका परिषद् कोटद्वार को अधिसूचना निर्गत होने के दिनांक से विघटन हो जायेगा।

तथा नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा–8कक(1)(ख) के अन्तर्गत कोटद्वार नगर क्षेत्र के संचालन हेतु जिलाधिकारी पौड़ी गढ़वाल को निगर निगम कोटद्वार का प्रशासक नियुक्त करते है।

अधिसूचना

08 दिसम्बर, 2017 ई0

संख्या 2449/IV(3)2017–01(01)/2012–उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन् 1959) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) की धारा–3 की उपधारा (2) सह पठित संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) के अधीन शक्ति और इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके, अधिसूचना संख्या 2403/IV(3)2017–01(06 न0नि0)/2017, दिनांक 08 दिसम्बर, 2017 के क्रम में चूँकि राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि संविधान के अधीन, ऋषिकेश वृहत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर निगम का सम्यक गठन होने तक ऐसा करना समीचीन है, श्री राज्यपाल महोदय एतद्द्वारा घोषित करते हैं कि नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा–5 के अनुसार नगर निगम के संचालन हेतु धारा–8 कक(1) के अधीन ऋषिकेश नगरीय क्षेत्र की अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए नगर पालिका परिषद् ऋषिकेश को अधिसूचना निर्गत होने के दिनांक से विघटन हो जायेगा।

तथा नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा–8कक(1)(ख) के अन्तर्गत ऋषिकेश नगर क्षेत्र के संचालन हेतु जिलाधिकारी देहरादून को निगर निगम ऋषिकेश का प्रशासक नियुक्त करते है।

आज्ञा से,

नितेश कुमार झा,
सचिव।

वित्त अनुभाग–8

अधिसूचना/स्थानान्तरण

18 दिसम्बर, 2017 ई0

संख्या 953/2017/05(100)/XXVII(8)/2017–आयुक्त राज्य कर, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या 3934/आयु0रा0क0उत्तरा0/स्था0 अनु0/रा0क0/2017–18/दे0दून, दिनांक 16–11–2017 के क्रम में राज्य कर विभाग में कार्यरत निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख कॉलम–4 में अंकित स्थान पर तैनात/अतिरिक्त प्रभार प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं–

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का कार्यालय	प्रस्तावित नवीन तैनाती का कार्यालय/अतिरिक्त प्रभार
1	2	3	4
1.	श्री रोहित श्रीवास्तव, डिप्टी कमिश्नर, राज्य कर	डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–1 (सिविल लाईन), राज्य कर, रुड़की	डिप्टी कमिश्नर (क0नि0), (विकासनगर), राज्य कर, विकासनगर (देहरादून)
2.	श्री प्रेम प्रकाश शुक्ला, डिप्टी कमिश्नर, राज्य कर	डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–3 (भगवानपुर), राज्य कर, रुड़की	यथावत । अतिरिक्त प्रभार डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)–1, (सिविल लाईन्स), राज्य कर, रूड़की।

आज्ञा से,

अरूणेन्द्र सिंह चौहान,
अपर सचिव।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 02 हिन्दी गजट/08–भाग 1–2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 जनवरी, 2018 ई0 (पौष 23, 1939 शक सम्वत्)

भाग 1–क

नियम, कार्य–विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

December 12, 2017

No. 283/UHC/XIV-a/40/Admin.A/2012--Sri Abhishek Kumar Srivastava, Civil Judge (Jr. Div.), Uttarkashi is hereby sanctioned earned leave for 12 days *w.e.f.* 20.11.2017 to 01.12.2017 with permission to prefix 19.11.2017 as Sunday holiday and suffix 02.12.2017 and 03.12.2017 as holidays.

NOTIFICATION

December 14, 2017

No. 284/UHC/XIV-a/32/Admin.A/2017--Sri Bhupendra Singh Shah, 5th Additional Civil Judge (Jr. Div.), Dehradun is hereby sanctioned earned leave for 05 days *w.e.f.* 21.11.2017 to 25.11.2017 with permission to suffix 26.11.2017 as Sunday holiday.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-

Registrar (Inspection).

कार्यालय जनपद न्यायाधीश, पिथौरागढ़

कार्यभार मुक्त प्रमाण–पत्र

11 दिसम्बर, 2017 ई0

पत्रांक 602/I–छः(6)–2016–प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा आज दिनांक 08–12–2017 को न्यायालय कार्य के उपरान्त सिविल जज (सीनियर डिवीजन), पिथौरागढ़ का पदभार, माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्र संख्या 5313/XIV-a-26/Admin. A/2011, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 के द्वारा दिनांक 11–12–2017 से दिनांक 23–12–2017 तक (दिनांक 09–12–2017 एवं 10–12–2017 द्वितीय शनिवार व रविवार अवकाश को पूर्वयोजित एवं दिनांक 24–12–2017 से दिनांक 01–01–2018 तक शीतकालीन अवकाश को पश्चात् योजित करते हुए) अर्जित अवकाश स्वीकृत होने के फलस्वरूप छोड़ा गया।

प्रतिहस्ताक्षरित
ह0 (अस्पष्ट)
जनपद न्यायाधीश,
पिथौरागढ़।

एकता मिश्रा,
सिविल जज (सीनियर डिवीजन),
पिथौरागढ़।

कार्यभार मुक्त प्रमाण–पत्र

11 दिसम्बर, 2017 ई0

पत्रांक 603/एक–04–2017–प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा आज दिनांक 09–12–2017 के अपरान्ह में न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, पिथौरागढ़ का पदभार, माननीय उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्र संख्या 5312/XIV-a/58/Admin. A/2012, दिनांक 05 दिसम्बर, 2017 के द्वारा दिनांक 11–12–2017 से दिनांक 23–12–2017 तक (दिनांक 10–12–2017 रविवार को पूर्वयोजित एवं दिनांक 24–12–2017 से दिनांक 31–12–2017 तक शीतकालीन अवकाश एवं दिनांक 01–01–2018 को नव वर्ष दिवस अवकाश को पश्योजित करते हुए) अर्जित अवकाश स्वीकृत होने के फलस्वरूप छोड़ा गया।

प्रतिहस्ताक्षरित
ह0 (अस्पष्ट)
जनपद न्यायाधीश,
पिथौरागढ़।

नेहा कय्यूम,
न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी,
पिथौरागढ़।

जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर की उपविधियाँ

दुकानों की उपविधि

14 दिसम्बर, 2017 ई0

संख्या 567/इक्कीस–8/2017–18–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 239 की उपधारा 2(घ) के खण्ड (ड़) के अन्तर्गत जनपद ऊधमसिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में चलाई जाने वाली दुकानों आदि को विनियमित एवं नियन्त्रित करने हेतु बनाये गये उपनियमों, जिनको उत्तरांचल शासन की विज्ञप्ति संख्या 329/इक्कीस–19/2005–06 दिनांकित 06 दिसम्बर, 2005, जो उत्तरांचल गजट दिनांकित 24 दिसम्बर, 2005 में प्रकाशित हुई द्वारा संशोधित किया गया, के उपबन्ध 8 में उत्तराखण्ड पंचायतराज अधिनियम, 2016 की धारा 106(2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर द्वारा निम्न संशोधन एवं नये व्यवसायों को सम्मिलित किया जाता है। जो शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगें:–

क्र. सं.	वर्तमान उपनियम	धनराशि रू0 में	क्र. सं.	संशोधित उपनियम	धनराशि रू0 में
1	2	3	4	5	6
	जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर द्वारा			जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर द्वारा	
	(8) प्रत्येक खादय, वस्त्र, पुस्तक, लेखन सामग्री व अन्य सभी दुकानों/व्यवसायों पर प्रतिवर्ष लाइसेंस देय होगा, उन पर वार्षिक लाइसेंस शुल्क की दरें निम्न प्रकार है :–			(8) प्रत्येक खादय, वस्त्र, पुस्तक, लेखन सामग्री व अन्य सभी दुकानों/व्यवसायों पर प्रतिवर्ष लाइसेंस देय होगा, उन पर वार्षिक लाइसेंस शुल्क की दरें निम्न प्रकार है :–	
1	परचून की दुकान	75.00	1	परचून की दुकान(10000.00रू0 तक समान होने पर)	250.00
2	हलवाई की दुकान (मिठाई, नमकीन, चाय)	250.00	2	हलवाई की दुकान (मिठाई, नमकीन, चाय)	400.00
3	होटल जहां भोजन की व्यवस्था हो	250.00	3	होटल जहां भोजन की व्यवस्था हो (जहां साधारण ग्रामीण भोजन करते हों)	400.00
4	होटल भोजन एवं ठहरने की व्यवस्था	500.00	4	होटल भोजन एवं ठहरने की व्यवस्था(जहां यात्री ठहरते हों प्रति कमरा)	200.00
5	इमारती लोहे की दुकान	150.00	5	इमारती लोहे की दुकान 50000.00रू0 तक के सामान पर	400.00
				50000.00रू0 से ऊपर के सामान पर	800.00
6	इमारती लकड़ी की दुकान	250.00	6	इमारती लकड़ी की दुकान 50000.00रू0 तक के सामान पर	400.00
				50000.00रू0 से ऊपर के सामान पर	600.00
7	जूते बिक्री की दुकान	300.00	7	जूते बिक्री की दुकान	400.00

1	2	3	4	5	6
8	फुटकर गल्ला विक्रेता	150.00	8	फुटकर गल्ला विक्रेता	300.00
9	बर्तन की दुकान	300.00	9	बर्तन की दुकान	500.00
10	कपड़े की दुकान (थोक)	300.00	10	कपड़े की दुकान (थोक)	600.00
11	कपड़े की दुकान (फुटकर)	150.00	11	कपड़े की दुकान (फुटकर)	400.00
12	सोने, चाँदी के आभूषणों की दुकान	400.00	12	सोने, चाँदी के आभूषणों की दुकान	600.00
				सोने, चाँदी के आभूषणों की मरम्मत	400.00
13	पुस्तक कापी व स्टेशनरी की दुकान	150.00	13	पुस्तक कापी व स्टेशनरी की दुकान	400.00
14	मेडिकल स्टोर (25,000/–से कम दवाई पर)	500.00	14	मेडिकल स्टोर (25,000/–से कम दवाई पर)	800.00
	मेडिकल स्टोर (25,000/–से अधिक दवाई पर)	1000.00		मेडिकल स्टोर (25,000/–से अधिक दवाई पर)	1500.00
15	चाय, लस्सी पेय एवं अन्य पदार्थ	100.00	15	चाय, लस्सी पेय एवं अन्य पदार्थ	250.00
16	बीड़ी, सिगरेट, पान व तम्बाकू की दुकान	50.00	16	बीड़ी, सिगरेट, पान व तम्बाकू की दुकान	200.00
17	पैट्रोल पम्प (प्रति पम्प)	500.00	17	पैट्रोल पम्प (पैट्रोल)	3000.00
				डीजल पम्प (डीजल)	2000.00
18	साईकिल बिक्री व पार्ट्स बिक्री	300.00	18	साईकिल बिक्री व पार्ट्स बिक्री	500.00
19	साईकिल मरम्मत की दुकान	50.00	19	साईकिल मरम्मत की दुकान	200.00
20	विसातखाने की दुकान	100.00	20	विसातखाने की दुकान	250.00
21	कृषि उपकरण की दुकान	300.00	21	कृषि उपकरण की दुकान	500.00
22	बिजली के समान की दुकान	150.00	22	बिजली के समान की दुकान	500.00
23	खाद्य तेल की दुकान	150.00	23	खाद्य तेल की दुकान	500.00
24	कृषि खाद तथा पेस्टीसाइड्स की दुकान	300.00 /200.00	24	कृषि खाद तथा पेस्टीसाइड्स की दुकान	400.00 /400.00
25	गल्ले के थोक व्यापारी	1000.00	25	गल्ले के थोक व्यापारी	1500.00
26	इमारती लकड़ी के थोक व्यापारी	500.00	26	इमारती लकड़ी के थोक व्यापारी	1500.00
27	लकड़ी, फर्नीचर के व्यवसायी	400.00	27	लकड़ी, फर्नीचर के व्यवसायी	600.00
28	मोटर मरम्मत एवं अन्य वाहन (जहाँ पर किसी शक्तिशाली यंत्र का प्रयोग न हो)	150.00	28	मोटर मरम्मत एवं अन्य वाहन (जहाँ पर किसी शक्तिशाली यंत्र का प्रयोग न हो)	300.00
29	ईंधन जलाने की लकड़ी के व्यापारी	200.00	29	ईंधन जलाने की लकड़ी के व्यापारी	350.00
30	पम्पिंग सेट के मरम्मतकर्ता	160.00	30	पम्पिंग सेट के मरम्मतकर्ता	300.00
31	चाट की दुकान	30.00	31	चाट की दुकान	250.00
32	लाउडस्पीकर किराये पर देने व विद्युत सामान रिपेयरिंग	100.00	32	लाउडस्पीकर/डी0जे0 किराये पर देने व विद्युत सामान रिपेयरिंग	500.00
33	बारबर	100.00	33	बारबर	250.00
34	डीजल, मोबिल ऑयल तथा उनसे बने पदार्थो के विक्रेता	300.00	34	डीजल, मोबिल ऑयल तथा उनसे बने पदार्थो के विक्रेता	500.00
35	आइस्क्रीम, कुल्फी आदि	50.00	35	आइस्क्रीम, कुल्फी आदि	250.00
36	इमारती लोहे की दुकान	300.00	36	इमारती लोहे की दुकान	800.00
37	हकीम, वैद्य व डाक्टर	300.00	37	हकीम, वैद्य व डाक्टर	400.00
38	खल, बिनौली आदि की दुकान	50.00	38	खल, बिनौली फीड स्टोर आदि की दुकान	250.00
39	खोया बनाने की भट्टी या दुकान	100.00	39	खोया बनाने की भट्टी या दुकान	250.00

1	2	3	4	5	6
40	दूध के विक्रेता	100.00	40	दूध के विक्रेता	250.00
41	सीमेंट की दुकान	300.00	41	सीमेंट की दुकान	500.00
42	टमटम बैल गाड़ी व उनकी वस्तुऐं की दुकान	100.00	42	टमटम बैल गाड़ी व उनकी वस्तुऐं की दुकान	250.00
43	मिट्टी के तेल विक्रेता	100.00	43	मिट्टी के तेल विक्रेता	250.00
44	दूध से निकाले जाने वाले क्रीम की दुकान	100.00	44	दूध से निकाले जाने वाले क्रीम की दुकान	250.00
45	ड्राईक्लीन की दुकान	100.00	45	ड्राईक्लीन की दुकान	250.00
46	देशी घी की दुकान	150.00	46	देशी घी की दुकान	300.00
47	लोहार की दुकान	100.00	47	लोहार की दुकान	250.00
48	बढ़ई की दुकान	150.00	48	बढ़ई की दुकान	400.00
49	हार्डवेयर की दुकान	300.00	49	हार्डवेयर की दुकान	500.00
50	सामान्य मिश्रित दुकान10,000.00 रू0 तक समान होने पर	150.00	50	सामान्य मिश्रित दुकान10,000.00 रू0 तक समान होने पर	400.00
51	सामान्य मिश्रित दुकान 10,000.00 रू0 से अधिक होने पर	250.00	51	सामान्य मिश्रित दुकान 10,000.00 रू0 से अधिक समान होने पर	500.00
52	सब्जी की दुकान	100.00	52	सब्जी की दुकान	250.00
53	फल की दुकान	150.00	53	फल की दुकान (ठेला आदि)	300.00
54	पी.सी.ओ.	300.00	54	पी.सी.ओ.	300.00
55	सर्विस स्टेशन	1000.00	55	सर्विस स्टेशन(वाहनों की धुलाई)	1200.00
56	धर्म काँटा	1000.00	56	धर्म काँटा	2000.00
57	ट्रान्सपोर्ट कम्पनी	1000.00	57	ट्रान्सपोर्ट कम्पनी	1500.00
58	नॉन बैंकिग फाईनेंस क0 प्रति शाखा	500.00	58	नॉन बैंकिग फाईनेंस क0 प्रति शाखा	5000.00
59	मछली पालन (50,000 की संख्या तक)	1000.00	59	मछली पालन (50,000 की संख्या तक)	1000.00
	मछली पालन (50,000 की संख्या से अधिक)	2000.00		मछली पालन (50,000 की संख्या से अधिक)	2000.00
60	मुर्गा पालन (1000 की संख्या पर)	1000.00	60	मुर्गा पालन (1000 की संख्या पर)	1500.00
	मुर्गा पालन (1000 से 2500 की संख्या पर)	2000.00		मुर्गा पालन (1000 से 2500 की संख्या पर)	2500.00
	मुर्गा पालन (2500 से अधिक संख्या पर)	5000.00		मुर्गा पालन (2500 से अधिक संख्या पर)	6000.00
61	सुअर पालन	1000.00	61	सुअर पालन	1500.00
62	सरकारी/सहकारी सस्ते गल्ले की दुकान	500.00	62	सरकारी/सहकारी सस्ते गल्ले की दुकान	600.00
63	नर्सिंग होम (10 बैड तक)	2000.00	63	अस्पताल/नर्सिंग होम (10 बैड तक)	5000.00
	नर्सिंग होम (10 बैड से अधिक)	5000.00		अस्पताल/नर्सिंगहोम (10 बैड से अधिक) प्रतिबैड अतिरिक्त	200.00
64	ठेकेदार किसी भी तरह का कार्य करने वाला	1000.00	64	ठेकेदार किसी भी तरह का कार्य करने वाला	1500.00
65	रेता, बजरी, प्रतिघाट	2000.00	65	रेता, बजरी, प्रतिघाट	2500.00
66	रेता, बजरी, फुटकर में बेचने पर	500.00	66	रेता, बजरी, फुटकर में बेचने पर	1000.00
67	ईट फुटकर में बेचने पर	300.00	67	ईट फुटकर में बेचने पर	500.00
68	सिनेमा हाल/वीडियो हाल	1000.00	68	सिनेमा हाल/वीडियो हाल 50व्यक्तियों की	
	50 व्यक्तियों की क्षमता तक	2000.00		क्षमता तक	2500.00
				50व्यक्तियों की क्षमता से अधिक	5000.00
69	सर्कस एक स्थान पर (एक बार के लिए)	1000.00	69	सर्कस एक स्थान पर (एक बार के लिए)	2500.00
70	फूल एवं पौधों की नर्सरी (एक एकड़ के क्षेत्रफल तक)	1000.00	70	फूल एवं पौधों की नर्सरी (एक एकड़ के क्षेत्रफल तक)	1500.00
	फूल एवं पौधों की नर्सरी (एक एकड़ से अधिक पर)	2000.00		फूल एवं पौधों की नर्सरी (एक एकड़ से अधिक पर)	2500.00

1	2	3	4	5	6
71	देशी शराब की दुकान	4000.00	71	देशी शराब की दुकान	10000.00
72	अंग्रेजी शराब की दुकान	5000.00	72	अंग्रेजी शराब की दुकान	15000.00
73	स्टोन क्रेशर	5000.00	73	स्टोन क्रेशर	15000.00
74	सब्जी की दुकान आढ़त	500.00	74	सब्जी की आढ़त	1000.00
75	हड्डी एवं चमड़ा गोदाम/अन्य गोदाम	1000.00	75	हड्डी एवं चमड़ा गोदाम/अन्य गोदाम (1 हजार वर्गमीटर तक) प्रति शैड	2500.00
				1 हजार वर्गमीटर से ऊपर प्रति शैड	5000.00
76	चमड़ा रंगाई/पकाई	500.00	76	चमड़ा रंगाई/पकाई	1000.00
77	मैंथा प्लांट (एक भट्टी)	500.00	77	मैंथा प्लांट (एक भट्टी)	1000.00
	एक से अधिक प्रत्येक भट्टी	300.00		एक से अधिक प्रत्येक भट्टी	500.00
78	डिश आपरेटर	500.00	78	डिश कनैक्शन के वितरणकर्ता	1000.00
79	अन्य सभी प्रकार की दुकानें जिनकी कम से कम 1000 रू0 प्रति दिन की बिक्री हो व केवल एक ही मद की दुकान हो	100.00	79	अन्य सभी प्रकार की दुकानें जिनकी कम से कम 1000 रू0 तक प्रति दिन की बिक्री हो व केवल एक ही मद की दुकान हो	250.00
				नये व्यवसाय	
			80	मिटटी के बर्तन/सामान विक्रेता	300.00
			81	पैथोलोजी की दुकान	500.00
			82	गैस एजेंसी	5000.00
			83	आयुर्वेदिक अस्पताल	5000.00
			84	होम्योपैथिक अस्पताल	5000.00
			85	आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक क्लीनिक	500.00
			86	विभिन्न ट्रेडर्स	500.00
			87	मॉडयूलर किचन निर्माता	600.00
			88	लकडी फर्नीचर शोरूम	2000.00
			89	स्टील फर्नीचर शोरूम	2000.00
			90	लकडी/स्टील फर्नीचर शोरूम	4000.00
			91	मोबाईल टावर(प्रति कम्पनी)	50000.00
			92	जिम	1000.00
			93	खेल का सामान	500.00
			94	सीमेन्ट के गमले/अन्य सामान बनाना	400.00
			95	कम्प्यूटर सेल एण्ड शोरूम	1000.00
			96	कम्प्यूटर सर्विस	500.00
			97	वाटर फिल्टर (इलैक्ट्रॉनिक्स)	500.00
			98	वाटर फिल्टर साधारण	300.00
			99	मोटर गाडियों के रेडीयेटर मरम्मत	350.00
			100	चश्मे की दुकान	300.00
			101	डिपार्टमेन्टल स्टोर	1000.00
			102	लडके–लडकियों का हॉस्टल (प्रति रूम)	200.00
			103	कम्प्यूटर स्क्रीन पेन्टिंग व साइन बोर्ड	600.00
			104	रूई धुनाई की दुकान	250.00
			105	फेरी(सामान्य मिश्रित)	250.00

1	2	3	4	5	6
			106	फल संरक्षण इकाई	250.00
			107	बैंकैट हॉल, मैरिज हॉल	10,000.00
			108	शोरूम दो पहिया वाहन	5000.00
				शोरूम तीन पहिया वाहन	5000.00
				शोरूम चार पहिया वाहन	10,000.00
				शोरूम चार पहिया से अधिक के वाहन	15,000.00
				सबडीलर दो पहिया वाहन	2500.00
				सबडीलर तीन पहिया वाहन	3500.00
				सबडीलर चार पहिया वाहन	5000.00
				वर्कशाप तीन पहिया वाहन	500.00
				वर्कशाप चार पहिया वाहन	1000.00
				वर्कशाप चार पहिया वाहन से ऊपर	1500.00
			109	बूटीक	300.00
			110	कोचिंग सेन्टर	600.00
			111	प्लाईवुड दुकान	600.00
			112	क्राकरी दुकान	300.00
			113	मार्बल/संगमरमर पत्थर/टाईल्स दुकान	1000.00
				कटिंग मशीन के साथ	1500.00
			114	जूस सेन्टर	250.00
			115	कचरी मिल	600.00
			116	अण्डे के थोक व्यापारी	600.00
			117	अण्डा फुटकर	250.00
			118	मिटटी तेल डिपो	5000.00
			119	सैनेट्री स्टोर	500.00
			120	गन्ने का जूस बिक्रेता (छोटा कोल्हू)	250.00
			121	घडी, रेडियो, टेप, टेलीविजन आदि	250.00
			122	फेरी दो पहिया वाहन द्वारा	250.00
				फेरी चार पहिया वाहन द्वारा	500.00
			123	शराब के गोदाम(वेयर हाउस)	
				अग्रेजी	25000.00
				देशी	20000.00
				बीयर	15000.00
			124	कोल्ड ड्रिंक्स के थोक व्यापारी	5000.00
				कोल्ड ड्रिंक्स के फुटकर व्यापारी	250.00
			125	मिनरल वॉटर थोक	2000.00
			126	पॉलीहाउस प्रति(फ्लोरी कल्चर, नर्सरी)	3000.00
			127	दुकान गिफ्ट आदि	500.00
			128	रेता बजरी स्टॉकिस्ट	500.00
			129	टूर एण्ड ट्रेवल एजेन्सी	1500.00
			130	पत्थर/संगमरमर मूर्ति आदि के निर्माता	500.00

1	2	3	4	5	6
			131	निजी शिक्षण संस्थान कक्षा 1 से 5 तक	1000.00
				कक्षा 6 से 8 तक	2000.00
				कक्षा 9 से 10 तक	3000.00
				कक्षा 11 से 12 तक	5000.00
				इन्जीनियरिंग कालेज/मेडिकल कालेज, बी0बी0ए, बी0एड0, अन्य डिप्लोमा/डिग्री कोर्स	20,000.00
			132	आभूषण मरम्मत	300.00
			133	पेईगं गेस्ट प्रति रूम	200.00
			134	बार (मदीरा सेवन)	5000.00
			135	सीड प्लान्ट	4000.00
			136	कमानी मेकर	250.00
			137	फोटो स्टेट	250,00
			138	ब्यूटी पार्लर	250.00
			139	पैन्ट बिक्रेता	500.00
			140	स्पेयर पार्टस	500.00
			141	पूराने स्पेयर पार्टस	300.00
			142	टायर बिक्रेता	500.00
			143	गन हाउस	1000.00
			144	ग्लास स्टोर	1000.00
			145	फर्नीचर होम/फर्नीचर, ग्लास, हैण्डलूम आदि एक ही छत में	3000.00
			146	मोबाईल बिकेता	500.00
			147	मोबाईल रिपेयर	300.00
			148	पी0ओ0पी0 बिक्रेता	300.00
			149	सरिया बिक्रेता	800.00
			150	पटाखों का गोदाम	15000.00
			151	पटाखों के थोक बिक्रेता	5000.00
			152	पटाखों के फुटकर बिक्रेता	500.00
			153	बिल्डर्स/निर्माण कम्पनी(एक करोड की लागत तक)	5000.00
			154	एक करोड की लागत से ऊपर	25000.00
			155	फड़ व्यवसायी प्रति दिन के प्रतिफड/प्रति वर्ष	500.00
			156	आईस बिकेता	500.00
			157	बर्फ की सिल्ली बिकेता	500.00
			158	डाम/जलाशय के मछली बिक्रेता	10000.00
			159	डिस्पोजल सामाग्री बिकेता	400.00
			160	बियर की दुकान	5000.00
			161	प्रिन्टिग प्रेस जिसमें तीन कर्मचारी तक हों	1000.00
				प्रिन्टिग प्रेस जिसमें पाँच कर्मचारी तक कार्यरत हों	1500.00

1	2	3	4	5	6
			162	कबाड के गोदाम एक स्थान पर जमा करना	
				छोटा गोदाम	1000.00
				बड़ा गोदान	2500.00
			163	एल्युमिनियम से निर्मित सामग्री की दुकान	
				सामान पर	1000.00
				फर्नीचर पर	1500.00
			164	होम एपलाईन्सेज(टी0वी0, फ्रीज शोरूम इत्यादि)	2000.00
			165	मार्ट (एक छत में विभिन्न सामग्री के बिक्रेता)	
				पॉच लाख तक की सामग्री होने पर	3000.00
				पच्चीस लाख तक की सामग्री होने पर	5000.00
				पच्चीस लाख से ऊपर की सामग्री होने पर	10000.00
			166	जॉब वर्क	3000.00
			167	हैवी अर्थ मुविगं मशीन/कम्बाईन मशीन	
				सैल्स(बिक्रेता)	10000.00
				सर्विस(मरम्मतकर्ता)	2000.00
			168	पूराने दो पहिया वाहन बिक्रेता	1500.00
				पूराने चार या चार पहिया से अधिक के वाहन	2500.00
			169	पतंजली उत्पाद बिक्रेता	500.00
			170	प्ले स्कूल	1000.00
	11(1)–समस्त जनपद ऊधम सिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्र के दुकानदारों के संशोधित उपनियमों के तहत लाइसेंस स्वयं लेना अनिवार्य है और यह पूर्ण रूप से लाइसेंस धारी की जिम्मेदारी होगी कि वह किसी भी दशा या किसी भी नये व्यवसाय को शुरू करने से पूर्व जिला पंचायत कार्यालय ऊधम सिंह नगर से लाइसेंस प्राप्त कर लें। लाइसेंसधारी को चालू वर्ष के माह 31 जुलाई तक बिना किसी बिलम्ब शुल्क के कार्यालय जिला पंचायत से लाइसेंस निर्गत/ नवीनीकरण किया जायेगा। 31 जुलाई तक स्वयं लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस का नवीनीकरण ना कराने की दशा में उसी वर्ष के माह अप्रैल से प्रतिमाह निर्धारित दर से विलम्ब शुल्क देय होगा। लाइसैंसधारियों को पुनः स्पष्ट किया जाता है कि नये व्यवसाय हेतु लाइसेंस लेना व पुराने लाइसेंसो का नवीनीकरण कराना लाइसैंसधारी का दायित्व होगा, अन्यथा 31 जुलाई के बाद लाइसेंस के साथ जो विलम्ब शुल्क की वसूली की जायेगी। इसका पूर्ण रूपेण उत्तरदायित्व भी लाइसेंसधारी को होगा।			11(1)–समस्त जनपद ऊधम सिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्र के दुकानदारों के संशोधित उपनियमों के तहत लाइसेंस स्वयं लेना अनिवार्य है और यह पूर्ण रूप से लाइसेंस धारी की जिम्मेदारी होगी कि वह किसी भी दशा या किसी भी नये व्यवसाय को शुरू करने से पूर्व जिला पंचायत कार्यालय ऊधम सिंह नगर से लाइसेंस प्राप्त कर लें। लाइसैंसधारी को चालू वर्ष के माह 31 जुलाई तक बिना किसी बिलम्ब शुल्क के कार्यालय जिला पंचायत से लाइसेंस निर्गत/ नवीनीकरण किया जायेगा। 31 जुलाई तक स्वयं लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस का नवीनीकरण ना कराने की दशा में उसी वर्ष के माह अप्रैल से प्रतिमाह निर्धारित दर से विलम्ब शुल्क देय होगा। लाइसैंसधारियों को पुनः स्पष्ट किया जाता है कि नये व्यवसाय हेतु लाइसेंस लेना व पुराने लाइसेंसो का नवीनीकरण कराना लाइसैंसधारी का दायित्व होगा, अन्यथा 31 जुलाई के बाद लाइसेंस के साथ जो विलम्ब शुल्क की वसूली की जायेगी। इसका पूर्ण रूपेण उत्तरदायित्व भी लाइसेंसधारी को होगा।	

1	2	3	4	5	6
	(2). स्वास्थ्य विभाग, माप विभाग, जिला पूर्ति विभाग, सहकारी समितियों के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तथा कार्यालय अधिकारी का यह दायित्व होगा कि जब प्रत्येक ग्रामीण नगर पंचायत (नोटिफाइड एरिया,नगर पालिका परिषद् को छोडकर) दुकानदार जिला पंचायत के उपनियमों के तहत लाइसेंस नहीं बना लेता, तब तक आपके विभाग द्वारा उस व्यक्ति को लाइसेंस निर्गत नहीं किया जाय। मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी को यह अधिकार होगा कि जो लाइसेंसी द्वारा विलम्ब हेतु याचिका करने पर और वाचक के प्रार्थना पत्र में दर्शाये गये कारणों से संतुष्ट हो तो विलम्ब शुल्क के आधे अथवा आधे के किसी भाग तक छूट प्रदान कर सकते हैं। लाइसेंस न लेने वाले के विरूद्ध उ0 प्र0 क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम 1961 की धारा 240 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यदि मामला न्यायालय में विचाराधीन हो तो उस दशा में अध्यक्ष जिला पंचायत अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह उचित समझे तो उस व्यक्ति से लाइसेंस शुल्क एवं विलम्ब शुल्क का खर्चा मुकदमा धन लेकर समझौता कर लें, और ऐसी दशा में कराया गया दावा खारिज कर दिया जायेगा। खर्चा मुकदमा किसी भी रूप में 250.00 रू0 से कम एवं 500.00 रू0 से अधिक नहीं होगा।			(2). स्वास्थ्य विभाग, माप विभाग, जिला पूर्ति विभाग, सहकारी समितियों के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी तथा कार्यालय अधिकारी का यह दायित्व होगा कि जब प्रत्येक ग्रामीण नगर पंचायत (नोटिफाइड एरिया,नगर पालिका परिषद को छोडकर) दुकानदार जिला पंचायत के उपनियमों के तहत लाइसेंस नहीं बना लेता, तब तक आपके विभाग द्वारा उस व्यक्ति को लाइसेंस निर्गत नहीं किया जाय। मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी को यह अधिकार होगा कि जो लाइसेंसी द्वारा विलम्ब हेतु याचिका करने पर और वाचक के प्रार्थना पत्र में दर्शाये गये कारणों से संतुष्ट हो तो विलम्ब शुल्क के आधे अथवा आधे के किसी भाग तक छूट प्रदान कर सकते हैं। लाइसेंस न लेने वाले के विरूद्ध उ0 प्र0 क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 की धारा 240 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यदि मामला न्यायालय में विचाराधीन हो तो उस दशा में अध्यक्ष जिला पंचायत अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को यह अधिकारी होगा कि वह उचित समझे तो उस व्यक्ति से लाइसेंस शुल्क एवं विलम्ब शुल्क का खर्चा मुकदमा धन लेकर समझौता कर लें, और ऐसी दशा में कराया गया दावा खारिज कर दिया जायेगा। खर्चा मुकदमा किसी भी रूप में 250.00 रू0 से कम एवं 500.00 रू0 से अधिक नहीं होगा। मुकदमा खर्चा जिला निधि में जमा किया जायेगा।	
				दण्ड	
	3. इन उपविधियों के किसी भी प्राविधान का उल्लंघन करने वाले को उ0 प्र0 क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम 1961 की धारा 240 के अर्न्तगत 1000.00 रू0 अर्थदण्ड व दोष सिद्ध होने के बाद ज्ञात होता है कि उल्लघंन जारी है तो 25.00 रू0 प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदण्ड एवं 3 माह का साधारण कारावास का दण्ड दिया जा सकता है।			3. इन उपविधियों के किसी भी प्राविधान का उल्लंघन करने वाले को उ0 प्र0 क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम 1961 की धारा 240 के अर्न्तगत 1000.00 रू0 अर्थदण्ड व दोष सिद्ध होने के बाद ज्ञात होता है कि उल्लघंन जारी है तो 25.00 रू0 प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदण्ड एवं 3 माह का साधारण कारावास का दण्ड दिया जा सकता है।	

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 239 की उपधारा 2(घ) के खण्ड (ड़) के अन्तर्गत जनपद ऊधम सिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में पावर से चलाई जाने वाली मिलों, कारखानों आदि को विनियमित एवं नियन्त्रित करने हेतु बनाये गये उपनियमों, जिनको उत्तरांचल शासन की विज्ञप्ति संख्या 329/इक्कीस–03–04/2005–06 दिनांकित 06 दिसम्बर 2005, जो उत्तरांचल गजट दिनांकित 24 दिसम्बर 2005 में प्रकाशित हुई द्वारा संशोधित किया गया, के उपबन्ध 11 एवं 12 में उत्तराखण्ड पंचायतराज अधिनियम 2016की धारा 106(2)के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर द्वारा निम्न संशोधन किया जाता है। जो शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगें :–

1	2
जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर द्वारा(वर्तमान उपनियम)	जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर द्वारा(संशोधित उपनियम)
11(1) प्रत्येक मिल जो कत्था, दियासलाई, लीसे की फैक्ट्री व मशीन के हिस्से बनाने व मरम्मत करने की मिल बुश बनाने की मिल, पेंसिल बनाने की मिल, लकडी चीरने की मशीन, आटा पीसने की मिल चावल निकालने की मिल,आइसक्रीम बनाने की मिल या अन्य मिल हो जो विद्युत से चलती हो, पैट्रोल से चलती हो, भाप गैस, डीजल, मिट्टी का तेल, बुड़ आयल, हवाओं से चलने वाली मिल/ फैक्ट्री जिसमें कि मात्र 5 श्रमिक/कर्मचारी कार्यरत हों पर प्रतिवर्ष 250.00रू0 प्रति मशीन यदि एक हो तो अन्यथा अधिक की दशा में इसके अतिरिक्त 100.00रू0 प्रति मशीन लाइसेंस शुल्क देय होगा।	11(1) प्रत्येक मिल जो कत्था, दियासलाई, लीसे की फैक्ट्री व मशीन के हिस्से बनाने व मरम्मत करने की मिल बुश बनाने की मिल, पेंसिल बनाने की मिल, लकडी चीरने की मशीन, आटा(चक्की)पीसने की मिल चावल निकालने की मिल,आइसक्रीम बनाने की मिल या अन्य मिल हो जो विद्युत से चलती हो, पैट्रोल से चलती हो, भाप गैस, डीजल, मिट्टी का तेल, बुड़ आयल, हवाओं से चलने वाली मिल/ फैक्ट्री जिसमें 5 श्रमिक/कर्मचारी कार्यरत हों पर प्रतिवर्ष 500.00रू0 प्रति मशीन यदि एक हो तो अन्यथा अधिक की दशा में इसके अतिरिक्त 200.00रू0 प्रति मशीन लाइसेंस शुल्क देय होगा।
11(2) .उपरोक्त सभी मिलें/फैक्ट्रियाँ चाहें वे बिजली से चलती हों, पैट्रोल या स्टीम गैस, डीजल, मिट्टी का तेल, बुड़ ऑयल या हवा से चलती हो, यदि उसमें 5 से अधिक 10 तक श्रमिक/कर्मचारी कार्यरत है, तो उन्हें फैक्ट्री माना जायेगा तथा रू0 800.00 रू0 प्रति वर्ष लाइसेंस शुल्क देय होगा तथा धान मिल/सेलर जिनकी क्षमता एक टन की हो तो रू0 1000.00 रू0 प्रति वर्ष लाइसेंस शुल्क देय होगा। धान मिल सेलर को जिनकी क्षमता 1टन से 2 टन तक हो रू0 2500.00 प्रति वर्ष तथा 2 टन से अधिक की दशा में रू0 1000.00 प्रतिटन अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क देय होगा।	11(2) .उपरोक्त सभी मिलें/फैक्ट्रियाँ चाहें वे बिजली से चलती हों, पैट्रोल या स्टीम गैस, डीजल, मिट्टी का तेल, बुड़ ऑयल या हवा से चलती हो, यदि उसमें 10 तक श्रमिक/कर्मचारी कार्यरत है, तो उन्हें फैक्ट्री माना जायेगा तथा रू0 2500.00 रू0 प्रति वर्ष लाइसेंस शुल्क देय होगा तथा धान मिल/सेलर/फ्लोर मिल जिनकी क्षमता एक टन की हो तो रू0 5000.00 रू0 प्रति वर्ष लाइसेंस शुल्क देय होगा। धान मिल सेलर को जिनकी क्षमता 1 टन से 2 टन तक हो रू0 8000.00 प्रति वर्ष तथा 2 टन से अधिक की दशा में रू0 1000.00 प्रतिटन अतिरिक्त लाइसेंस शुल्क देय होगा।
11(3)उपरोक्त सभी ऐसी मिलें, फैक्ट्री, जिसमें 10 से अधिक श्रमिक/कर्मचारी तथा 25 से कम श्रमिक/कर्मचारी कार्यरत हो तो लाइसेंस शुल्क 2500.00 रू0 तथा 25 से अधिक 50 से कम श्रमिक/कर्मचारी के कार्यरत होने पर लाइसेंस शुल्क 4000.00 रू0 प्रति वर्ष देय होगा, जिस मिल/फैक्ट्री में 50 से अधिक श्रमिक/कर्मचारी व 100 से कम श्रमिक/ कर्मचारी कार्यरत हो तो लाइसेंस शुल्क उस मिल, फैक्ट्री हेतु रू0	11(3)उपरोक्त सभी ऐसी मिलें, फैक्ट्री, जिसमें 10 से अधिक श्रमिक/कर्मचारी तथा 25 से कम श्रमिक/कर्मचारी कार्यरत हो तो लाइसेंस शुल्क 5000.00 रू0 तथा 25 से अधिक 50 से कम श्रमिक/कर्मचारी के कार्यरत होने पर लाइसेंस शुल्क 10000.00 रू0 प्रति वर्ष देय होगा, जिस मिल/फैक्ट्री में 50 से अधिक श्रमिक/कर्मचारी व 100 से कम श्रमिक/ कर्मचारी कार्यरत हो तो लाइसेंस शुल्क उस मिल, फैक्ट्री हेतु रू0

1	2
5000.00 देय होगा। 100 से अधिक 150 से कम श्रमिक/कर्मचारी के कार्यरत होने पर उसमिल, फैक्ट्री का लाइसेंस शुल्क रू0 8000.00 होगा। 200 से 250 श्रमिक/कर्मचारियों के कार्यरत होने पर लाइसेंस शुल्क 25,000.00 रू0 प्रतिवर्ष देय होगा। 250 से अधिक श्रमिक/कर्मचारी के कार्यरत होने पर लाइसैंस शुल्क 40,000.00 रू0 प्रतिवर्ष देय होगा।	20000.00 देय होगा। 100 से अधिक 150 से कम श्रमिक/कर्मचारी के कार्यरत होने पर उसमिल, फैक्ट्री का लाइसेंस शुल्क रू0 25000.00 होगा। 150 से अधिक 200 से कम श्रमिक/कर्मचारियों कार्यरत होने पर 30000.00 होगा। 200 से 250 श्रमिक/कर्मचारियों के कार्यरत होने पर लाइसेंस शुल्क 40,000.00 रू0 प्रतिवर्ष देय होगा। 250 से अधिक श्रमिक/कर्मचारी के कार्यरत होने पर लाइसेंस शुल्क 50,000.00 रू0 प्रतिवर्ष देय होगा। लाइसेंस न लेने वाले के विरूद्ध उ0 प्र0 क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 की धारा 240 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यदि मामला न्यायालय में विचाराधीन हो तो उस दशा में अध्यक्ष जिला पंचायत अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को यह अधिकारी होगा कि वह उचित समझे तो उस व्यक्ति से लाइसेंस शुल्क एवं विलम्ब शुल्क का खर्चा मुकदमा धन लेकर समझौता कर लें, और ऐसी दशा में कराया गया दावा खारिज कर दिया जायेगा। खर्चा मुकदमा किसी भी रूप में 250.00 रू0 से कम एवं 500.00 रू0 से अधिक नहीं होगा। मुकदमा खर्चा जिला निधि में जमा किया जायेगा। **टिप्पणी** :–किसी भी फैक्ट्री/मिल/कारखाना/उद्योग को लाइसेंस/अनुज्ञा पत्र तभी निर्गत किया जायेगा। जब उस फैक्ट्री/मिल/कारखाना/उद्योग में कार्यरत श्रमिक श्रम विभाग के श्रम आपूर्ति प्रमाण पत्र/अनुज्ञा पत्र से प्रमाणित हो जायें।
12. प्रत्येक लाइसेंस का वर्ष 1 अप्रैल से आरम्भ होगा और आगामी 31 मार्च को समाप्त होगा। प्रत्येक लाइसेंसधारी/मालिक के लिए यह आवश्यक होगा कि चालू वर्ष के लिए लाइसेंस 30 जून तक बिना विलम्ब शुल्क के कार्यालय जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर से अवश्य प्राप्त कर लें। लाइसेंस प्राप्त करना लाइसेंसधारी की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अगर लाइसेंसधारी 30 जून तक स्वयं लाइसेंस प्राप्त नहीं करता है तो 30 जून के उपरांत उसे चालू वर्ष के 1 अप्रैल से विलम्ब शुल्क देना होगा। विलम्ब शुल्क में लाइसेंस शुल्क में सम्मिलित करने के उपरान्त ही 30 जून के बाद लाइसेंस निर्गत किया जायेगा। **वर्तमान लाइसेंस शुल्क वर्तमान विलम्ब शुल्क** 100.00 रू0 प्रति वर्ष 5.00 रू0 प्रतिमाह 200.00 रू0 प्रति वर्ष 10.00 रू0 प्रतिमाह 300.00 रू0 प्रति वर्ष 15.00 रू0 प्रतिमाह 500.00 रू0 प्रति वर्ष 20.00 रू0 प्रतिमाह 1,000.00 रू0 प्रति वर्ष 30.00 रू0 प्रतिमाह 2,000.00 रू0 प्रति वर्ष 50.00 रू0 प्रतिमाह 3,000.00 रू0 प्रति वर्ष 100.00 रू0 प्रतिमाह	12. प्रत्येक लाइसेंस का वर्ष 1 अप्रैल से आरम्भ होगा और आगामी 31 मार्च को समाप्त होगा। प्रत्येक लाइसेंसधारी/मालिक के लिए यह आवश्यक होगा कि चालू वर्ष के लिए लाइसेंस 30 जून तक बिना विलम्ब शुल्क के कार्यालय जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर से अवश्य प्राप्त कर लें। लाइसेंस प्राप्त करना लाइसेंसधारी की पूर्ण जिम्मेदारी होगी। अगर लाइसेंसधारी 30 जून तक स्वयं लाइसेंस प्राप्त नहीं करता है तो 30 जून के उपरांत उसे चालू वर्ष के 1 अप्रैल से विलम्ब शुल्क देना होगा। विलम्ब शुल्क में लाइसेंस शुल्क में सम्मिलित करने के उपरान्त ही 30 जून के बाद लाइसेंस निर्गत किया जायेगा। **संशोधित लाइसेंस शुल्क संशोधित विलम्ब शुल्क** 50 रू0 प्रति वर्ष 5.00 रू0 प्रतिमाह 100.00 रू0 प्रति वर्ष 10.00 रू0 प्रतिमाह 200.00 रू0 प्रति वर्ष 15.00 रू0 प्रतिमाह 300.00 रू0 प्रति वर्ष 20.00 रू0 प्रतिमाह 500.00 रू0 प्रति वर्ष 25.00 रू0 प्रतिमाह 1,000.00 रू0 प्रति वर्ष 50.00 रू0 प्रतिमाह 2,000.00 रू0 प्रति वर्ष 100.00 रू0 प्रतिमाह 3,000.00 रू0 प्रति वर्ष 150.00 रू0 प्रतिमाह

1	2
4,000.00 रू0 प्रति वर्ष 150.00 रू0 प्रतिमाह 5,000.00 रू0 प्रति वर्ष 200.00 रू0 प्रतिमाह 8,000.00 रू0 प्रति वर्ष 250.00 रू0 प्रतिमाह 15,000.00 रू0 प्रति वर्ष 300.00 रू0 प्रतिमाह 25,000.00 रू0 प्रति वर्ष 400.00 रू0 प्रतिमाह 40,000.00 रू0 प्रति वर्ष 500.00 रू0 प्रतिमाह	4,000.00 रू0 प्रति वर्ष 200.00 रू0 प्रतिमाह 5,000.00 रू0 प्रति वर्ष 250.00 रू0 प्रतिमाह 8,000.00 रू0 प्रति वर्ष 400.00 रू0 प्रतिमाह 15,000.00 रू0 प्रति वर्ष 450.00 रू0 प्रतिमाह 25,000.00 रू0 प्रति वर्ष 500.00 रू0 प्रतिमाह 40,000.00 रू0 प्रति वर्ष 600.00 रू0 प्रतिमाह 45,000.00 रू0 प्रति वर्ष 700.00 रू0 प्रतिमाह 50,000.00 रू0 प्रति वर्ष 800.00 रू0 प्रतिमाह
निरीक्षण पुस्तिका (तीन प्रतियों में) 1. नाम व पूरा पता, लाइसेंसधारी – 2. लाइसेन्स का स्थान – 3. लाइसेन्स निमित्त – 4. लाइसेन्स का विवरण– 5. निरीक्षण का दिनांक –	निरीक्षण पुस्तिका (तीन प्रतियों में) 1. नाम व पूरा पता, लाइसेंसधारी – 2. लाइसेन्स का स्थान – 3. लाइसेन्स निमित्त – 4. लाइसेन्स का विवरण– 5. निरीक्षण का दिनांक –
लाइसेंस के लिए निर्धारित प्रपत्र पर लाइसेंस हेतु आवेदन करना होगा जिसका प्रारूप निम्न है:– 1.प्रार्थी का नाम..... 2.पिता का नाम..... 3.पूरा पता..... 4.कार्य का विवरण जिसके लिये लाइसेंस अपेक्षित है ..... 5.कार्य स्थल का पूरा विवरण..... 6.कार्य आरम्भ करने की तिथि..... 7.प्रार्थना पत्र की तिथि..... 8.लाइसेंस प्राप्त करने का दिनांक..... हस्ताक्षर लाइसेंस अधिकारी **प्रमाणित** मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने अपने व्यवसाय से सम्बन्धित नियम पढ़ लिये हैं, उनका पालन यदि मैं तदर्थ उपविधियों का उल्लंघन करता पाया जाऊँ तो या किया हो तो लाइसेंस अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह मेरे विरूद्ध कार्यवाही करें। हस्ताक्षर लाइसेंसी	**लाइसेंस के लिए निर्धारित प्रपत्र पर लाइसेंस हेतु आवेदन करना होगा जिसका प्रारूप निम्न है:–** 1.प्रार्थी का नाम..... 2.पिता का नाम..... 3.पूरा पता..... 4.कार्य का विवरण जिसके लिये लाइसेंस अपेक्षित है ..... 5.कार्य स्थल का पूरा विवरण..... 6.कार्य आरम्भ करने की तिथि..... 7.प्रार्थना पत्र की तिथि..... 8.लाइसेंस प्राप्त करने का दिनांक..... हस्ताक्षर लाइसेंस अधिकारी **प्रमाणित** मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने अपने व्यवसाय से सम्बन्धित नियम पढ़ लिये हैं, उनका पालन यदि मैं तदर्थ उपविधियों का उल्लंघन करता पाया जाऊँ या किया हो तो लाइसेंस अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह मेरे विरूद्ध कार्यवाही करें। हस्ताक्षर लाइसेंसी

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला परिषद् अधिनियम 1961 की धारा 240 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर यह आदेश देती है कि इस उपनियम का उल्लंघन करने या उपविधियों की धारा का उल्लघंन करने पर उल्लंघन अर्थदण्ड होगा जो प्रथम अपराध सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिनके बारे में यह सिद्ध हो जाय कि अपराधी अपराध करता जा रहा है तो 10/–रू0 प्रतिदिन से अर्थदण्ड हो सकता है। अर्थदण्ड भुगतान न करने पर वह कारागार के दण्ड से दण्डनीय होगा जो तीन माह तक हो सकता है।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 239 की उपधारा 2(घ) के खण्ड (ड़) के अन्तर्गत जनपद ऊधम सिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में पावर से चलाई जाने वाली चीनी मिलों, फैक्ट्री, सल्फर प्लाण्टों, क्रेशर, खड़े कोल्हू, पड़े कोल्हू, बेल व खाची को विनियमित एवं नियन्त्रित करने और उन पर लाइसैंस शुल्क निश्चित करने हेतु बनाये गये उपनियमों, जिनको उत्तरांचल शासन की विज्ञप्ति संख्या 329/इक्कीस–03–04/2005–06 दिनांकित 06 दिसम्बर 2005, जो उत्तरांचल गजट दिनांकित 24 दिसम्बर 2005 में प्रकाशित हुई द्वारा संशोधित किया गया, के उपनियम 6, 7 एवं 12 में उत्तराखण्ड पंचायतराज अधिनियम 2016की धारा 106(2)के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर द्वारा निम्न संशोधन किया जाता है। जो शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगें :–

1	2
जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर द्वारा(वर्तमान उपनियम)	जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर द्वारा(संशोधित उपनियम)
6. प्रत्येक चीनी मिल, सल्फर, प्लांट, क्रेशर, पड़ा कोल्हू, खड़ा, बैल तथा पशु अथवा मनुष्य के श्रम से चलने वाली कोल्हुओं व भट्टियों का शुल्क वर्ष में 31 अक्टूबर तक भुगतान करना अनिवार्य होगा, अन्यथा जिन लाइसैंसधारियों का लाइसेंस 31 अक्टूबर (आगामी वर्ष हेतु) स्वीकृत नहीं हो पायेगा उन्हें माह दिसम्बर 15 तारीख तक लाइसैंस का 50.00 विलम्ब शुल्क देने पर नवीनीकरण कर दिया जायेगा। माह जनवरी तक लाइसैंस न लेने वाले को लाइसैंस शुल्क का 50 प्रतिशत धन विलम्ब शुल्क के रूप में देना होगा, और किन्हीं कारणों से उनके द्वारा 15 मार्च तक लाइसैंस प्रस्तुत नहीं किया गया तो उसे लाइसैंस शुल्क के बराबर विलम्ब शुल्क देना होगा। मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे लाइसैंसी द्वारा विलम्ब हेतु याचना करने और वाचक के प्रार्थना पत्र में दर्शाये गये कारणों से सन्तुष्ट हो तो वे विलम्ब शुल्क के आधे अथवा आधे के किसी भाग तक छूट प्रदान कर सकते हैं। लाइसैंस न लेने वाले के विरूद्ध उ0 प्र0 क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 की धारा 240 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यदि किसी व्यक्ति पर इन उपविधियों के उल्लंघन के सम्बन्ध में किया गया दावा किसी न्यायालय में विचाराधीन हो तो उस दशा में अध्यक्ष जिला परिषद अथवा उसके द्वारा नियत अधिकारी को अधिकार होगा कि वे उचित समझें तो उस व्यक्ति से लाइसैंस शुल्क एवं विलम्ब शुल्क एवं खर्चा मुकदमा का धन लेकर समझौता कर लें और ऐसी दशा में चलाया गया दावा खारिज कर दिया जायेगा। खर्चा मुकदमा किसी भी रूप में 250.00 से कम तथा 500.00 रू0 से अधिक नहीं होगा।	6. प्रत्येक चीनी मिल, सल्फर, प्लांट, क्रेशर, पड़ा कोल्हू, खड़ा, बैल तथा पशु अथवा मनुष्य के श्रम से चलने वाली कोल्हुओं व भट्टियों का शुल्क वर्ष में 31 अक्टूबर तक भुगतान करना अनिवार्य होगा, अन्यथा जिन लाइसेंधारियों का लाइसेंस 31 अक्टूबर (आगामी वर्ष हेतु) स्वीकृत नहीं हो पायेगा उन्हें माह दिसम्बर 15 तारीख तक लाइसैंस पर 100.00 रू0 प्रतिमाह विलम्ब शुल्क देने पर नवीनीकरण कर दिया जायेगा। माह जनवरी तक लाइसैंस न लेने वाले को लाइसैंस शुल्क का 50 प्रतिशत धन विलम्ब शुल्क के रूप में देना होगा, और किन्हीं कारणों से उनके द्वारा 15 मार्च तक लाइसैंस प्रस्तुत नहीं किया गया तो उसे लाइसैंस शुल्क के बराबर विलम्ब शुल्क देना होगा। मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वे लाइसैंस द्वारा विलम्ब हेतु याचना करने और वाचक के प्रार्थना पत्र में दर्शाये गये कारणों से सन्तुष्ट हो तो वे विलम्ब शुल्क के आधे अथवा आधे के किसी भाग तक छूट प्रदान कर सकते हैं। लाइसैंस न लेने वाले के विरूद्ध उ0 प्र0 क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 की धारा 240 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यदि किसी व्यक्ति पर इन उपविधियों के उल्लंघन के सम्बन्ध में किया गया दावा किसी न्यायालय में विचाराधीन हो तो उस दशा में अध्यक्ष जिला परिषद अथवा उसके द्वारा नियत अधिकारी को अधिकार होगा कि वे उचित समझें तो उस व्यक्ति से लाइसैंस शुल्क एवं विलम्ब शुल्क एवं खर्चा मुकदमा का धन लेकर समझौता कर लें और ऐसी दशा में चलाया गया दावा खारिज कर दिया जायेगा। खर्चा मुकदमा किसी भी रूप में 250.00 से कम तथा 500.00 रू0 से अधिक नहीं होगा। मुकदमा खर्चा जिला निधि में जमा किया जायेगा।
7.प्रत्येक चीनी मिल, सल्फर प्लांट, पड़ा कोल्हू, बैल या पशु से अथवा मनुष्य से श्रम से चलने वाले कोल्हूओं को स्थापित करने से पूर्व जिला पश्षिद् से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लाइसेंस की अवधि 1 अक्टूबर से प्रारम्भ होगी और आगामी वर्ष के 30 सितम्बर को समाप्त होगी।	7.प्रत्येक चीनी मिल, सल्फर प्लांट, पड़ा कोल्हू, बैल या पशु से अथवा मनुष्य से श्रम से चलने वाले कोल्हूओं को स्थापित करने से पूर्व जिला परिषद से लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लाइसेंस की अवधि 1 अक्टूबर से प्रारम्भ होगी और आगामी वर्ष के 30 सितम्बर को समाप्त होगी।

1	2
लाइसैंस शुल्क निम्नवत होगें :	लाइसैंस शुल्क निम्नवत होगें :
1. शुगर मिल/चीनी मिल (क्षमता 10000 कु0 तक) 10,000.00 शुगर मिल (10000 कुन्टल से अधिक) 25,000.00	1.शुगर मिल/चीनी मिल (क्षमता 10000 कु0 तक) 15,000.00 शुगर मिल (10000 कुन्टल से अधिक) 30,000.00
2. सल्फर प्लान्ट या बड़े क्रेशर जिनकी क्षमता 500 कुन्टल से अधिक हो 25,000.00	2.सल्फर प्लान्ट या बड़े क्रेशर जिनकी क्षमता 500 कुन्टल से अधिक हो 30,000.00
3.क्रेशर जिनकी क्षमता 500 कुन्टल से कम हो, प्रति इंजन मोटर प्रति क्रेशर 500.00	3. क्रेशर जिनकी क्षमता 500 कुन्टल से कम हो, प्रति इंजन मोटर प्रति क्रेशर 800.00
4.प्रति क्रेशर 300.00	4.प्रति क्रेशर 500.00
5.प्रति भट्टी 100.00	5.प्रति भट्टी 200.00
6.पड़ा कोल्हू या खड़ा कोल्हू प्रति इंजन या मोटर 250.00	6.पड़ा कोल्हू या खड़ा कोल्हू प्रति इंजन या मोटर 250.00
7.पशु अथवा मानव श्रम से चालित कोल्हू या प्रति भट्टी 50.00	7.पशु अथवा मानव श्रम से चालित कोल्हू या प्रति भट्टी रू0 100.00
12(1)जिला पंचायत के मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी लाइसेंस अधिकारी कहलायेंगे तथा उनके द्वारा निर्गत कार्यालय से लाइसेंस कार्य अधिकारी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व निरीक्षक/कर समहर्ताओं तथा अन्य सेवक जिन्हें अध्यक्ष जिला परिषद नियत करेंगे, दिये जायेंगे।	12(1)जिला पंचायत के मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी लाइसेंस अधिकारी कहलायेंगे तथा उनके द्वारा निर्गत कार्यालय से लाइसेंस कार्य अधिकारी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व निरीक्षक/कर समहर्ताओं तथा अन्य सेवक जिन्हें अध्यक्ष जिला परिषद नियत करेंगे, दिये जायेंगे।
12(2).अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, सदस्य जिला पंचायत लाइसेंस अधिकारी, कार्य अधिकारी और उनके अधीनस्थ राजस्व निरीक्षक, कर समाहर्ता को यह अधिकार होगा कि वह लाइसेंस व लाइसेंस से सम्बन्धित वस्तुओं का निरीक्षण कर सकते हैं।	12(2).अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, सदस्य जिला पंचायत, अपर मुख्य अधिकारी, लाइसेंस अधिकारी, कार्य अधिकारी और उनके अधीनस्थ अन्य सेवक, राजस्व निरीक्षक, कर समाहर्ता को यह अधिकार होगा कि वह लाइसेंस व लाइसेंस से सम्बन्धित वस्तुओं का निरीक्षण कर सकते हैं।
12(3). प्रत्येक लाइसेंसधारी को निरीक्षण पुस्तिका रखना अनिवार्य होगा, जिसे जिला पचांयत निर्धारित शुल्क प्राप्त कर लाइसेंसधारी को प्रदान करेगी और मूल्य 10.00 रू0 होगा।	12(3). प्रत्येक लाइसेंसधारी को निरीक्षण पुस्तिका रखना अनिवार्य होगा, जिसे जिला पचांयत निर्धारित शुल्क प्राप्त कर लाइसेंसधारी को प्रदान करेगी और मूल्य 100.00 रू0 होगा। **टिप्पणी** :– किसी भी फैक्ट्री/मिल/कारखाना/उद्योग को लाइसेंस/अनुज्ञा पत्र तभी निर्गत किया जायेगा। जब उस फैक्ट्री/मिल/कारखाना/उद्योग में कार्यरत श्रमिक श्रम विभाग के श्रम आपूर्ति प्रमाण पत्र/अनुज्ञा पत्र से प्रमाणित हो जायें।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 240 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर यह आदेश देती है कि इन उपविधियों के किसी भी प्राविधान का उल्लंघन करने वाले को उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 240 के अन्तर्गत 1000.00 रू0 अर्थदण्ड व दोष सिद्ध होने के बाद ज्ञात होता है कि उल्लघंन जारी है तो 25.00 रू0 प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदण्ड एवं 3 माह का साधारण कारावास का दण्ड दिया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 239 की उपधारा 2(घ) के अन्तर्गत जनपद ऊधम सिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु वध तथा मांस बेचने के कार्यों को विनियमित एवं नियन्त्रित करने और उन पर लाइसेंस शुल्क निश्चित करने हेतु बनाये गये उपनियमों, जिनको उत्तरांचल शासन की विज्ञप्ति संख्या 329/इक्कीस–03–04/2005–06 दिनांकित 06 दिसम्बर 2005, जो उत्तरांचल गजट दिनांकित 24 दिसम्बर 2005 में प्रकाशित हुई हैं, में उत्तराखण्ड पंचायतराज अधिनियम 2016की धारा 106(2)के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न संशोधन किया जाता है। जो शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगें :–

ग्रामीण क्षेत्रों में पशु वध एवं मांस बेचने की उपविधियाँ

1. ये उपविधियों जिला पचांयत उधम सिंह नगर के अन्तर्गत स्थित ग्रामीण क्षेत्रों में पशुवध एवं मांस विक्रय उपविधियाँ, 2016 कहलायेगी, तथा उत्तराखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगी।

2. कोई भी व्यक्ति बिना लाइसेंस प्राप्त किये जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी प्रकार का पशुबध नहीं करेगा तथा मांस, मछली, मुर्गा, मुर्गी (चिकन), मटन आदि को नहीं बेचेगा और नहीं बेचने के लिये प्रदर्शित करेगा जब तक वह जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर से लाइसेंस प्राप्त न कर लें।

3. कोई भी व्यक्ति जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी दशा में गाय, बैल, भैंस, भैंसा, बछड़ा का बध नहीं करेगा।

4. कोई भी व्यक्ति जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्र में किसी भी दशा में मांस को घूम–घूम कर (फेरी लगाकर) नहीं बेचेगा।

5. कोई भी व्यक्ति उपविधियों को छोड़कर जनपद ऊधम सिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्र में मांस बेचने, पशुवध, मछली, मुर्गा, मुर्गी (चिकन), मटन आदि बेचने और उसका करोबार करने हेतु ऐसे स्थाई/अस्थाई निर्मित भवन/दुकान का प्रयोग करेगा, जिसके दरवाजे पर तार की महीन जाली या खिड़की लगी हो और मांस बेचने हेतु भवन/दुकान पूर्ण रूप से उपयुक्त हो तथा जिसे पशुधन अधिकारी/पशु चिकित्सा अधिकारी ने इस प्रयोग हेतु उपर्युक्त प्रमाण पत्र दिया हो।

6. इन उपर्युक्त उपविधियों के अधिकार अपर मुख्य अधिकारी के अनुमोदन पर कार्य अधिकारी को लाइसेंस जारी करने का अधिकार होगा। जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे स्थानों के लिये जिसके लिये अधिकांश ग्रामवासियों की धार्मिक भावनाओं पर विपरीत प्रभाव पड़े बिना या किन्हीं अन्य कारणों से आपत्ति हो तो इन उपविधियों के अधीन लाइसेंस जारी नहीं किया जायेगा।

7. यह उपविधियाँ सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू मानी जायेगी तथा इससे पूर्व इस नगर के लिए नैनीताल जिला पंचायत की उपविधियाँ इन उपविधियों के प्रभावी होने पर स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

8. अध्यक्ष जिला पंचायत या जिला पंचायत को यह अधिकार होगा कि चाहे तो इन उपविधियों को सार्वजनिक नीलामी द्वारा ठेके पर उठा सकती है।

9. इन उपविधियों के अन्तर्गत लाइसेंसधारी को निम्नलिखित शर्तो का पालन करना आवश्यक होगा :-

(क) जिस व्यक्ति को उपविधि संख्या 1, 2 के अन्तर्गत लाइसेंस प्रदान किया गया हो तो वह ऐसे किसी मृत पशु वध का मांस, मछली या चिकन आदि में बेचेगा व न ही प्रदर्शित करेगा और न ही उसका कारोबार करेगा।

(ख) प्राकृतिक कारणों से मरा हो (ब) जो बीमार हो, जहर खिलाया हो, (स) जो मनुष्य के प्रयोग हेतु हानिकारक हो यदि ऐसा मांस दुकान में पाया जायेगा तो लाइसेंस अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा विक्रेता का माल नष्ट करवा दिया जायेगा जिसके लिए अधिकृत विक्रेता की किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी और न ही इस सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की विक्रेता आपत्ति करेगा।

(ग). उपविधि संख्या 1, 2 के अन्तर्गत लाइसेंस प्राप्त कोई भी व्यक्ति मांस, आपत्ति चिकन आदि को बेचने के प्रयोजनार्थ किसी गन्देपात्र में या स्थान में नही रखेगा उसे साफ सुथरे वस्त्र से ढ़क कर रखेगा।

(घ). कोई भी व्यक्ति जिसको उपविधियों के अन्तर्गत लाइसेंस जारी किया हो लाइसेंस में निर्दिष्ट स्थान के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर न तो पशुवंध करेगा और न ही मांस, मछली, चिकन आदि रखेगा और विक्रय हेतु न उसे प्रदर्शित करेगा और न बेचेगा।

(ङ). वध किये गये पशु के तलछट (गन्दगी) हड्डी, खाल, सींग और उसके किसी भाग को जिसका प्रयोग मनुष्य के खाने में न आता हो को शीघ्र बन्द बर्तन या वाहन में आवादी से दूर लगभग दो किमी0 के बाहर बन्द स्थान में (जो इस प्रयोजन हेतु बना हो) में रखने की व्यवस्था करेगा और उस स्थान को प्रतिदिन साफ सुथरा रखेगा वह स्थान इस प्रकार से तैयार किया जाए जिसमें पर्यावरण पर इसका विपरीत प्रभाव न पडे।

(च). पशु वध करने, मांस, मछली, मुर्गा, मुर्गी (चिकन) आदि बेचने के लिए भवन की दीवारें व फर्श चिकनी और सोखने वाली पदार्थ की बनी होनी चाहिए और प्रति दिन कार्य समाप्ति के बाद उस स्थान की सफाई करनी चाहिए।

(छ). प्रतिदिन प्रयोग आने वाले औजारों को साफ रखा जायेगा।

(ज). कोई भी व्यक्ति वधशाला से सार्वजनिक स्थान या सडक में बेचने हेतु खुला मांस नहीं ले जायेगा, जब तक मांस ऊपर से स्वच्छ वस्तु (कपड़े) से ढ़का न हो, ताकि उस पर जनता की नजर न पड़े।

(झ). उस भवन में जहाँ वध किये जायेंगे वह मांस विक्रय हेतु प्रदर्शित नहीं किया जायेगा और न ही उस स्थान पर पशु, पक्षी को प्रवेश करने दिया जायेगा।

10. पशुवध एवं मांस, मछली, चिकन आदि को बेचने के लिए किसी भी धार्मिक स्थल, जैसे मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च आदि के 600 मी0 क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति इस कार्य को नहीं करेगा।

11. कोई भी व्यक्ति कोई छूत की बीमारी/संक्रामक रोग अथवा घृणा स्पद बीमारी से पीड़ित पशुवध नहीं करेगा।

12. इन उपविधियों के अन्तर्गत लाइसेंस शुल्क निम्न प्रकार होगा :

(क)	बकरा, बकरी, भेड़, भेड़ा के वध/मांस बिक्रय हेतु लाइसेंस शुल्क	500.00 प्रतिवर्ष
(ख)	सुअर वध/मांस बिक्रय हेतु	500.00 प्रतिवर्ष
(ग)	मुर्गा, मुर्गी, मछली वध/मांस बिक्रय हेतु	400.00 प्रतिवर्ष
(घ)	हड्डी गोदाम, चमड़ा गोदाम	2500.00 प्रतिवर्ष
(ड.)	चमड़ा रंगाई	2500.00 प्रतिवर्ष
(च)	कटरा मीट(केवल मांस बिक्रय)	1500.00 प्रतिवर्ष

13. इन उपविधियों में पशु वध का तात्पर्य केवल बकरा, बकरी, भेंड, भेंडा, सुअर, मुर्गा, मुर्गी, मछली से है। अनुपयोगी/नकारा बैल, भैंस, भैंसा, कटरा का वध पंजीकृत पशुवधशाला के अतिरिक्त पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा।

14. इन उपविधियों में प्रदत्त लाइसेंसो के अन्तर्गत गोदाम बनाये जायेगे जो क्रम0 संख्या (ड) पर ही लागू होगें। उक्त उपविधियों की अवधि प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से प्रारम्भ होगी तथा अनुवर्ती 31 मार्च तक वैध मानी जायेगी, यदि कोई लाइसेंसधारी प्रत्येक वर्ष 30 जून से पूर्व लाइसेंस का नवीनीकरण न कराये तो उसे इस तिथि के पश्चात् 50 प्रतिशत विलम्ब शुल्क जमा कर आगामी लाइसेंस जारी किया जायेगा। लाइसेंस अधिकारी को यह अधिकार होगा कि इन उपविधियों के अधीन लाइसेसधारी द्वारा यदि किसी भी उपविधि को उल्लघंन होता है तो लाइसेंसधारी का लाइसेंस बिना सूचित किये निलम्बित कर दिया जायेगा।

15. लाइसेंस अधिकारी द्वारा किसी लाइसेंस के प्रार्थना पत्र को अस्वीकृत करने/रद्द करने या निलम्बित करने की सूचना मिलने के 30 दिन के भीतर अध्यक्ष जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर से अपील की जा सकती है। ऐसे मामलों में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम एवं बन्धनकारी होगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 240 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर यह आदेश देती है कि इन उपविधियों के किसी भी प्राविधान का उल्लंघन करने वाले को उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 240 के अन्तर्गत 1000.00 रू0 अर्थदण्ड व दोष सिद्ध होने के बाद ज्ञात होता है कि उल्लघंन जारी है तो 25.00 रू0 प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदण्ड एवं 3 माह का साधारण कारावास का दण्ड दिया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 239 की उपधारा 2(घ) के अन्तर्गत जनपद ऊधम सिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में मृत पशु शव निस्तारण के कार्यों को विनियमित एवं नियन्त्रित करने और उन पर लाइसेंस शुल्क निश्चित करने हेतु बनाये गये उपनियमों,जिनको उत्तरांचल शासन की विज्ञप्ति संख्या 329/इक्कीस–03–04/2005–06 दिनांकित 06 दिसम्बर 2005, जो उत्तरांचल गजट दिनांकित 24 दिसम्बर 2005 में प्रकाशित हुई हैं, में उत्तराखण्ड पंचायतराज अधिनियम 2016की धारा 106(2)के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न संशोधन किया जाता है। जो शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगें :–

मृत पशु शव निस्तारण की उपविधियाँ

1. यह उपविधियाँ जिला पचांयत ऊधम सिंह नगर के अन्तर्गत मृत पशु शव निस्तारण उपविधियाँ, 2016 कहलायेंगी, तथा उत्तराखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगी।

2. जनपद ऊधम सिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति/संस्था/समिति मृत पशुओं की खाल निकालने, चमड़ा पकाने, हड्डी, सिर, खुर एकत्र करने का कार्य तब तक नहीं करेगा जब तक उनके पास जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर से अनुज्ञा पत्र (लाइसेंस) प्राप्त न हो।

3. ~~अपर मुख्य अधिकारी व इनके द्वारा प्राधिकृत कार्य अधिकारी इन उपविधियों के अधीन लाइसेंस~~ अधिकारी होंगे।

4. लाइसेंस अधिकारी को अधिकार होगा कि लाइसेंसधारी द्वारा उपविधियों का उल्लघंन करने पर लाइसेंस/ठेके को मुआतिल या निरस्त कर सकते है।

5. लाइसेंस अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपील अध्यक्ष जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर के समक्ष सूचना मिलने के 30 दिन के अन्दर की जा सकती है। जिलाधिकारी/अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम व बन्धनकारी होगा।

6. इन उपविधियों के अधीन उन्हीं व्यक्तियों/संस्था/समिति तथा पैतृक कारीगरों को जो इस व्यवसाय में लगे हुए हैं या उन्हें ठेके पर लाइसेंस दिया गया है, के सम्बन्ध में निम्न शर्तो का पालन किया जाना है।

   (क). जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवसाय में एवं स्वच्छता के दृष्टिकोण से मृत पशुओं के शव निस्तारण का कार्य क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत स्तर पर उन पंजीकृत सहकारी समितियों/पैतृक रूप से इस कार्य क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों के माध्यम से सम्पादित कराया जा सकता है। प्रतिबन्ध यह है कि जो समितियाँ शासन/सहकारीता विभाग से पंजीकृत की गयी हों साथ ही बेरोजगार को रोजगार दिये जाने के उद्देश्य से इस कार्य हेतु लगाया जा सकता है।

7. जिला पंचायत के अधिकारी किसी भी समिति के सदस्यों तथा उनके लेखा जोखा एवं कार्य प्रणाली की जांच कर सकते हैं। यदि समितियों द्वारा उपविधियों के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो में से किसी एक का भी उल्लंघन हो रहा हो तो उस समिति का ठेका/लाइसेंस को भी समाप्त किया जा सकता है तथा उस समिति को दिये गये क्षेत्र का नीलाम सार्वजनिक बोली के माध्यम से किया जा सकता है। जो कोई भी व्यक्ति/समिति/संस्था जनपद ऊधम सिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्र में पशु शव निस्तारण के कार्य में संलग्न हो उन व्यक्तियों को इस कार्य को करने हेतु जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर का ठेका/लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। एवं सहकारिता समिति सदस्यों को जिला पंचायत से परिचय पत्र भी प्राप्त करना होगा जिसका खर्च स्वयं वहन करेगा।

8.

(1).	पंजीकृत सहकारी समिति के लिये लाइसेंस शुल्क	2500.00 रू0 प्रतिवर्ष
(2).	सहकारिता समिति के प्रत्येक सदस्य को लाइसेंस शुल्क	200.00 रू0 प्रतिवर्ष
(3).	ठेका लेने वाले व्यक्ति को लाइसेंस शुल्क	1000.00 रू0 प्रतिवर्ष
(4).	ठेकेदार के अधीन कार्य करने वाले व्यक्ति के लाइसेंस शुल्क	200.00 रू0 प्रतिवर्ष
(5).	खाल, हड्डी गोदाम का लाइसेंस शुल्क	2500.00 रू0 प्रतिवर्ष
(6).	चमड़ा पकाना/चमड़ा रंगाई का शुल्क	2500.00 रू0 प्रतिवर्ष

9. इन उपविधियों के अन्तर्गत मृत पशुओं के शव को ठिकाने लगाने व उनकी खाल उतारने, चमड़ा पकाने व रंगने अथवा वस्तुऐं बनाने के कार्य लाइसेंस प्राप्त करने के लिये परस्पर 8 में उल्लेखित लाइसेंस शुल्कों में जमा होने के पश्चात् लाइसेंस अधिकारी द्वारा लाइसेंस प्रार्थना पत्र स्वीकृत होने पर तथा लाइसेंस शुल्क जमा होने के पश्चात् स्वीकृत स्थान पर करने के लिये व्यक्ति/संस्था/समिति लाइसेंस प्राप्त करने का अधिकारी समझा जायेगा।

10. मृत पशुओं के शवों को ठिकाने लगाने, उनकी खाल उतारने, चमड़ा पकाने या रंगने, सींग, हड्डी जमा करने का आबादी, पाठशाला, मन्दिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च आदि धार्मिक स्थान से लगभग 600 मीटर से दूरी पर होगा।

11. 18 वर्ष की कम आयु के व्यक्ति को मृत पशु एवं निस्तारण के कार्य का लाइसेंस नहीं दिया जायेगा।

12. चमड़ा तैयार करने हेतु नाद व हौज बनाये जायेंगे, जो पक्के होंगे और उनमें पानी बदलते समय यह ध्यान रखा जायेगा पानी सार्वजनिक स्थान पर न फेंका जाए।

13. जिस स्थान पर चमड़ा पकाया जायेगा उसके चारों ओर दो मीटर ऊँची दीवार होनी आवश्यक है।

14. यदि किसी पशु का स्वामी अपने पशु का दफन करना चाहे तो यह अनिवार्य होगा कि दो मीटर गहरे गढ्डे में पशु के 6 घण्टे के भीतर तथा उसकी लिखित उचित कारण सहित तुरन्त लाइसेंसधारी/ठेकेदार या अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को दे दें।

15. पशु की मृत्यु के 6 घण्टे के भीतर लाइसेंसधारी पशु को ठिकाने लगायेगा।

16. पशु शव के स्वामी के लिये यह अनिवार्य होगा कि पशु के मरने की सूचना अपर मुख्य अधिकारी/लाइसेंसधारी/ठेकेदार को तुरन्त दे दें।

17. यदि पशु के मरने की सूचना के 6 घण्टे के भीतर लाइसेंसधारी/ठेकेदार पशु शव को ठिकाने न लगाये और ग्राम पंचायत भी वह करें तो पशु के स्वामी को यह अधिकार होगा कि वह स्वयं उसे ठिकाने लगा दे और इस कार्य में जो व्यय होगा वह लाइसेंसधारी ठेकेदार से वसूल किया जायेगा।

18. यदि पशु की मृत्यु के 6 घण्टे के भीतर लाइसेंसधारी द्वारा पशु को ठिकाने न लगाया जाय तो ग्राम पंचायत को अधिकार होगा कि पंचायत राज एक्ट के अन्तर्गत उसे नियम 145 (क) के अनुसार पशु के शव को ठिकाने लगवाकर लाइसेंसधारी से व्यय वसूल कर लें।

19. इस विषय में यदि ग्राम पंचायत/क्षेत्र पंचायत की कोई उपविधियाँ बनाई गई हों तो वह उन विधियों के गजट में प्रकाशित होने की तिथि से स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।

20. लाइसेंस/ठेके की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक 1 वर्ष के लिये होगी।

21. यदि कोई व्यक्ति चोरी छिपे पशु के शव को उठाता है या खाल, हड्डी, सींग एकत्र करता हुआ पाया जाये तो उसे 5000/–रू0 अर्थदण्ड लिया जायेगा।

22. शासन/सहकारीता विभाग से मृत पशु शव निस्तारण की पंजीकृत सहकारी समितियों को लाइसेंस उनमें ड्रा पद्धति से निर्गत किये जायेगें जब एक ही क्षेत्र में दो या दो से अधिक सहकारी समितियां पंजीकृत हों।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 240 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर यह आदेश देती है कि जो व्यक्ति/संस्था/समिति इन उपविधियों की किसी भी विधि की धारा का उल्लंघन करेगी/करेगा तो उसे अर्थदण्ड से दण्डित किया जायेगा। जो रूपये 5000.00 तक होगा। यदि उल्लंघन उसके बाद भी रहेगा तो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् प्रति एक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है तो उस पर 50.00 रू0 प्रतिदिन तक दण्ड हो सकेगा। अर्थदण्ड का भुगतान न किये जाने पर कारावास का दण्ड दिया जायेगा जो तीन माह को होगा।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 239 की उपधारा 2–(ज) के अन्तर्गत जनपद ऊधम सिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में ठेकेदारों के पंजीकरण को विनियमित एवं नियन्त्रित करने और उन पर लाइसेंस शुल्क निश्चित करने हेतु बनाये गये उपनियमों, जिनको उत्तरांचल शासन की विज्ञप्ति संख्या 329/इक्कीस–03–04/2005–06 दिनांकित 06 दिसम्बर 2005, जो उत्तरांचल गजट दिनांकित 24 दिसम्बर 2005 में प्रकाशित हुई हैं, में उत्तराखण्ड पंचायतराज अधिनियम 2016की धारा 106(2)के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न संशोधन किया जाता है। जो शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगें :–

ग्रामीण क्षेत्रों में ठेकेदारी के कार्यो के पंजीकरण की उपविधियाँ

1. यह उपविधियाँ जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में ठेकेदारों/वर्क ऑर्डर पर किये जाने वाले कार्यो का पंजीकरण उपविधियाँ, 2016 कहलायेंगी, तथा उत्तराखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगी।

2. यह उपविधियाँ जनपद ऊधम सिंह नगर के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करने वाले ठेकेदारों/वर्कआर्डर पर दिये जाने वाले कार्यो पर शासकीय बजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

3. कोई भी व्यक्ति फर्म/संस्था/समिति कम्पनी आदि जनपद ऊधम सिंह नगर में किसी प्रकार की ठेकेदारी वर्क आर्डर पर दिये जाने वाले कार्यो के लिये किसी भी सरकारी विभाग/संस्था निगम कम्पनी परिषद गर्वनर अन्डर टेकिंग से लेना चाहे तो उसे इन उपविधियों के अधीन जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर में अपना पंजीकरण करवाकर लाइसैंस लेना अनिवार्य होगा।

4. जिन विभागों, संस्थाओं, परिषद, गर्वनर अन्डर टेकिंग समिति आदि के ठेके, ठेके आर्डर पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु किसी भी व्यक्ति/ठेकेदार/संस्था को दिये जाते हैं, तो उसके पास जिला पचांयत ऊधम सिंह नगर द्वारा जारी किया गया व्यवसाय का लाइसेंस होना अनिवार्य है, एवं उसे उपविधियों के अधीन पंजीकरण एवं लाइसेंस हेतु (हैड ऑफ डिपार्टमेन्ट) या सम्बन्धित विभाग, निगम, संस्था समिति आदि के कार्यालय अध्यक्ष की संस्तुति सहित प्रार्थना पत्र अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर को देना होगा। अपर मुख्य अधिकारी से पंजीकरण की स्वीकृत के उपरांत ही जिला पचांयत ऊधम सिंह नगर लाइसेंस निरस्तीकरण के दिनांक से 30 दिन के अन्दर अध्यक्ष जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर को अपील करने का अधिकार होगा। जिस सम्बन्ध में अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम एवं बन्धकारी होगा।

5. ठेकेदारी की श्रेणियाँ प्रथम, द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ एवं वर्क आर्डर पर दिये जाने वाले कार्यो में पंजीकरण किया जायेगा। जिसका मापदण्ड व लाइसेंस शुल्क की दरें निम्न प्रकार है ।

श्रेणी का नाम	मापदण्ड/क्षमता	एक ही विभाग के लिए पंजीकरण /नवीनीकरण शुल्क	एक से अधिक विभागों में पंजीकरण/नवीनीकरणशुल्क
प्रथम श्रेणी	10 लाख से ऊपर कार्य के लिये	1,200.00	900.00 रू0 प्रतिविभाग
द्वितीय श्रेणी	5 लाख से ऊपर कार्य के लिये	1,000.00	800.00 रू0 प्रतिविभाग
तृतीय श्रेणी	1 लाख से 5 लाख तक के लिये	600.00	500.00 रू0 प्रतिविभाग
चतुर्थ श्रेणी	1 लाख तक एवं वर्क आर्डर पर दिये जाने वाले कार्यो के लिये	350.00	300.00 रू0 प्रतिविभाग

6. प्रत्येक व्यक्ति, संस्था, समिति या फर्म केवल जिला पंचायत के कार्यो के लिए अपना पंजीकरण करायेगा उसे लाइसेंस शुल्क के अतिरिक्त निम्न राशि ठेकेदारी जमानत के रूप में जमा करनी होगी।

प्रथम श्रेणी	10 लाख से ऊपर कार्य के लिये	25,000.00
द्वितीय श्रेणी	5 लाख से ऊपर कार्य के लिये	15,000.00
तृतीय श्रेणी	1 लाख से 5 लाख तक के लिये	10,000.00
चतुर्थ श्रेणी	1 लाख तक एवं वर्क आर्डर पर दिये जाने वाले कार्यो के लिये	5,000.00

7. प्रत्येक विभाग, संस्था, कम्पनी, फर्म या संस्था, परिषद, निगम गर्वमेंट अन्डर टेकिंग जो ठेके/वर्क आर्डर पर दिये जाने वाले कार्यो की स्वीकृति देगा जब तक कि उसके पास जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर को ठेकेदारी वर्क आर्डर का लाइसेंस न हो।

8. ग्रामीण क्षेत्रों में प्राईवेट मकानों के निर्माण करने वाले ठेकेदारों को भी जिला पंचायत का लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा।

9. लाइसेंस की अवधि एक वर्ष के लिये होगी और उसका प्रत्येक वर्ष अप्रैल के महीने में स्वयं नवीनीकरण करवाना आवश्यक होगा। लाइसेंस अप्रैल से अनुवर्ती वर्ष के लिए 31 मार्च तक वैध होगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 240 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर यह आदेश देती है कि उपरोक्त अधिनियम में से किसी भी उपविधि का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर रू0 5,000.00 तक अर्थदण्ड दिया जा सकता है तथा प्रथम सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति प्रत्येक दिन के लिये जिसमें यह सिद्ध हो जाये कि उल्लंघन जारी है तो 50.00 रू0 प्रतिदिन से अर्थदण्ड लिया जा सकता है और अर्थदण्ड न अदा करने पर 3 माह का साधारण कारावास का दण्ड दिया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 239 की उपधारा 2–(ज) के अन्तर्गत जनपद ऊधम सिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रान्सपोर्ट, प्रापर्टी डीलिंग व आबकारी के व्यवसायों को विनियमित एवं विनियन्त्रित करने और उन पर लाइसेंस शुल्क निश्चित करने हेतु बनाये गये उपनियमों, जिनको उत्तरांचल शासन की विज्ञप्ति संख्या 329/इक्कीस–03–04/2005–06 दिनांकित 06 दिसम्बर 2005, जो उत्तरांचल गजट दिनांकित 24 दिसम्बर 2005 में प्रकाशित हुई हैं, में उत्तराखण्ड पंचायतराज अधिनियम 2016की धारा 106(2)के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न संशोधन किया जाता है। जो शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगें :–

ट्रान्सपोर्ट, प्रापर्टी डीलिंग व आबकारी के व्यवसायियों की उपविधियाँ

1. यह उपविधियाँ जिला पचांयत ऊधम सिंह नगर के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ट्राँसपोर्ट, प्रापर्टी डीलिंग एवं आबकारी के व्यवसायों की उपविधियाँ, 2016 कहलायेंगी एवं किसी व्यक्ति, संस्था, निगम, सहकारी समितियाँ श्रम संविधा, सहकारी समितियों, ट्रान्सपोर्ट, बस, ट्रक, मिनी ट्रक, मैटाडोर, जीप, टैक्सी, विक्रम, थ्री व्हीलर, ऐजेन्सी लेसीजक्वेरी के सप्लायर, प्रॉपर्टी डीलर, आबकारी अंग्रेजी, देशी शराब की दुकान व ठेके से सम्बन्धित व्यवसायों पर लागू होंगी, तथा उत्तराखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगी।

2. कोई भी व्यक्ति, फर्म, संस्था, कम्पनी आदि प्रस्तर (1) में उल्लेखित व्यवसाय जनपद ऊधम सिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्र में तब तक नहीं कर सकती है जब तक कि उनके पास/द्वारा उक्त व्यवसायिक लाइसेंस जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर से प्राप्त न कर लिया गया हो।

3. यदि कोई व्यक्ति, संस्था, फर्म, ट्रान्सपोर्ट आदि सम्बन्धी कार्यो हेतु जिला पंचायत का लाइसेंसधारी नहीं है तो उसको कोई विभाग, कम्पनी, फर्म, परिषद, निगम, गर्वनर, अंर्डर टेकिंग आदि का इस प्रकार के कार्यो हेतु उचित पात्र नहीं मानेगा।

4. परिवहन अधिकारी का दायित्व होगा कि जनपद ऊधम सिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्र में व्यवसायिक वाहनों तथा बस, ट्रक, मैटाडोर आदि को रोड परमिट तथा फिटनैस तब जारी करेगा जब तक वाहन मालिक ने तदप्रयोजन हेतु जिला पंचायत से लाइसेंस प्राप्त न कर लिया हो।

5. लाइसेंस अपर मुख्य अधिकारी के अनुमोदन पर कार्य अधिकारी जिला पंचायत द्वारा निर्गत किया जायेगा।प्रतिबन्ध यह होगा कि मुख्य अधिकारी किसी भी लाइसेंस को रद्द कर सकते हैं तथा लाइसेंसधारी को लाइसेंस निरस्तीरण के दिनांक 30 दिन के भीतर अध्यक्ष जिला पंचायत को अपील करने का अधिकार होगा। अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम व बन्धनकारी होगा।

6. अध्यक्ष जिला पंचायत या जिला पंचायत को अधिकार होगा कि वह चाहे तो इन उपविधियों को सार्वजनिक नीलामी द्वारा ठेके पर भी उठा सकती है।

7. ट्रांसपोर्ट का तात्पर्य दो या दो से अधिक वाहनों के रखने वाले से हैं।

8. लाइसेंस शुल्क की दरें निम्न प्रकार से होगी :

1.	ट्रांसपोर्ट (ब्रोकर)	1000.00 प्रतिवर्ष
2.	बस/ट्रक	300.00 प्रतिवर्ष
3.	मिनी बस, मैटाडोर/ट्रेक्टर ट्राली	200.00 प्रतिवर्ष
4.	टैक्सी, विक्रम, थ्री व्हीलर	100.00 प्रतिवर्ष
5.	एजेन्सी (विभिन्न प्रकार के सामान)	2000.00 प्रतिवर्ष
6.	कमीशन एजेन्ट	
	(अ). व्यक्तिगत	500.00 प्रतिवर्ष
	(ब). फर्म, संस्था	1000.00 प्रतिवर्ष
7.	क्वेरी के मालिक	1000.00 प्रतिवर्ष
8.	चूना, रेता, बजरी, पत्थर आदि निश्चित सीमा नदी नाले का ठेकेदार	2500.00 प्रतिवर्ष
9.	सप्लायर्स एक ही मद के	1000.00 प्रतिवर्ष
	एक से अधिक मद के सप्लायर्स	500.00 प्रतिमद/प्रतिवर्ष
10.	प्रापर्टी डीलर तथा एजेन्ट	1500.00 प्रतिवर्ष
11.	अंग्रेजी/देशी शराब की दुकान	15000.00/10000.00 प्रतिवर्ष
12.	देशी शराब का केवल ठेका लेने वाले व्यक्ति के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क	1500.00 प्रतिवर्ष
13.	लेवर के सप्लायर्स (50 लेवर तक)	1000.00 प्रतिवर्ष
	50 से 100 तक लेवर पर	2500.00 प्रतिवर्ष
	100 से अधिक लेवर पर	3500.00 प्रतिवर्ष
14.	बस/रेल/हवाई टिकीट बुकिंग सेन्टर	500.00 प्रतिवर्ष
15.	वाहनों की बेहती तैयारकर्ता	500.00 प्रतिवर्ष

9. लाइसेंस की अवधि एक वर्ष होगी तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी। उसका प्रति वर्ष 30 जून तक नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा उसके पश्चात् विलम्ब शुल्क जमा करना होगा। एक वर्ष तक नवीनीकरण न कराने की दशा में विलम्ब शुल्क के साथ ही लाइसेंस नवीनीकरण किया जायेगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 240 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर यह आदेश देती है कि उक्त उपविधियों का उल्लंघन द्वारा उल्लंघन कर्ता न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिय जिसमें उल्लंघन कर्ता द्वारा उल्लंघन जारी रहा तो रू0 50.00 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड लिया जा सकता है और अर्थदण्ड अदा न करने पर तीन माह का साधारण कारावास का दण्ड दिया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 239 की उपधारा 2–(ज) के अन्तर्गत जनपद ऊधम सिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में तहबाजारी एवं नखासा के कार्यों को विनियमित एवं विनियन्त्रित करने और उन पर लाइसेंस शुल्क निश्चित करने हेतु बनाये गये उपनियमों, जिनको उत्तरांचल शासन की विज्ञप्ति संख्या 329/इक्कीस–03–04/2005–06 दिनांकित 06 दिसम्बर 2005, जो उत्तरांचल गजट दिनांकित 24 दिसम्बर 2005 में प्रकाशित हुई हैं, में उत्तराखण्ड पंचायतराज अधिनियम 2016की धारा 106(2)के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न संशोधन किया जाता है। जो शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगें :–

तहबाजारी बाजार, नखासा की उपविधियाँ

1. यह उपविधियाँ जिला पचांयत ऊधम सिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत तहबाजारी एवं नखासा उपविधियाँ, 2016 कहलायेगी, तथा उत्तराखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगी।

2. कोई भी व्यक्ति जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर की आज्ञा के बिना भी सार्वजनिक स्थान, सड़क या मार्ग पर जिसकी सीमा अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत द्वारा निर्धारित की गयी हो न तो कोई वस्तु बेचेगा और न ही बिक्री के लिये रखेगा। या बाजार लायेगा न दुकान के लिये स्थान घेरेगा न किसी गाड़ी या पशु क्रय–विक्रय हेतु बाजार के लिये खड़ा करेगा। जब तक जिला पंचायत द्वारा निर्धारित शुल्क अदा न करें।

3. उस गाड़ी से कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा जो किसी मकान व भवन के सामने सामान उतारने के लिये खड़ी हो।

4. तहबाजारी बाजारों की तालिका जिला पंचायत सम्बन्धित बाजार में उपयुक्त स्थान पर लगायी जायेगी तथा उसकी प्रति सर्वसाधारण को सूचनार्थ उपलब्ध कराई जायेगी।

5. तहबाजारी संग्रह का कार्य ठेके पर कराया जायेगा, परन्तु विशेष परिस्थितियों में जिला पंचायत अपने कर्मचारियों के माध्यम से भी यह कार्य करा सकती है।

6. तहबाजारी ठेके के नीलामी हेतु एक समिति होगी। जिसके अध्यक्ष अपर मुख्य अधिकारी होंगे और कार्य अधिकारी, वित्तीय परामर्शदाता सदस्य होंगे और नीलामी की कार्यवाही में निम्न शर्तो का पालन करना अनिवार्य होगा।

(क). नीलाम में भाग लेने वाले व्यक्ति को राजस्व विभाग से हैसियत प्रमाण पत्र तथा पुलिस विभाग से चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जो क्रमशः तहसीलदार, क्षेत्राधिकारी से कम का नही होगा। हैसियत प्रमाण पत्र तथा चरित्र प्रमाण पत्र के समकक्ष साक्षय प्रस्तुत करने/छुट देने का अधिकार अध्यक्ष जिला पंचायत/नीलाम समिति में निहित होगा।

(ख). जिला पंचायत के किसी भी बकायादार को नीलामी में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(ग). नीलामी समिति द्वारा निर्धारित जमानत की धनराशि जमा करने के पश्चात् ही नीलामी/बोली में भाग लिया जा सकता है। नीलामी बोली के उपरांत जमानत धनराशि बढ़ाने व तुरन्त जमा करने का अधिकार नीलामी समिति को होगा। सामान्यतः उच्चतम बोलीदाता प्रथम व द्वितीय की जमानत धनराशि को रोक कर अन्य बोली दाताओं की जमानत राशि नीलामी समाप्त होने के पश्चात् वापस की जा सकती है।

(घ). साधारणतः नीलामी में उच्चतम बोलीदाता को बोली की सम्पूर्ण राशि तुरन्त जमा करनी होगी।

(ङ). यदि नीलामी समिति द्वारा सार्वजनिक निविदा आमंत्रित किया जाता है तो जिला पंचायत द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर मूल्य की धनराशि की निविदा के साथ नीलाम समिति द्वारा निर्धारित जमानत की धनराशि नकद व बैंक ड्राफ्ट जमा करने के बाद ही बन्द निविदा देना अनिवार्य होगा।

(च). निविदायें नीलाम समिति द्वारा खोली जायेगी। नीलाम समिति की संस्तुति पर नीलामी बोली अथवा निविदा अध्यक्ष जिला पंचायत द्वारा स्वीकृत की जायेगी। दोनों ही स्थितियों में नीलाम की सम्पूर्ण धनराशि जमा करने के पश्चात् ही तहबाजारी का आदेश जारी किया जायेगा। विशेष परिस्थितियों में नीलाम की धनराशि की किश्तें निर्धारित करने का अधिकार नीलाम समिति में निहित होगा। यदि ठेकेदार द्वारा निर्धारित तिथि पर नीलाम की धनराशि अथवा किश्त में निर्धारित धनराशि को जमा नहीं किया जाता है तो नीलाम समिति की संस्तुति पर ठेका समाप्त करने का अधिकार अध्यक्ष जिला पंचायत को होगा।

(छ). ठेकेदार को स्वंय के व्यय पर अनुबन्ध पत्र दाखिल करना होगा।

7. यदि ठेके की अवधि पूर्ण होने से पूर्व ही ठेकेदार ठेका छोड़ देता है अथवा उसके द्वारा उपविधियों की शर्तो का पालन न करने पर उसका ठेका समाप्त किया गया हो तो ठेका पुनः सार्वजनिक नीलाम अथवा निविदा आमंत्रित करके उठाया जायेगा और ठेके में पहले की अपेक्षा कम धनराशि आती है तो कमी की पूर्ति पूर्व ठेकेदार से की जायेगी। जिसकी वसूली भू-राजस्व के बकाये की भाँति की जायेगी।

8. तहबाजारी का ठेका प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि के लिये उठाया जायेगा। सामान्यतः ठेका नीलामी की कार्यवाही वर्ष के प्रारम्भ से पूर्व ही सम्पन्न करनी होगी।

9. बाजार में सफाई का प्रबन्ध ठेकेदार द्वारा किया जायेगा।

10. ठेकेदार को जिला पंचायत द्वारा दिये गये आदेशों का अनिवार्यतः पालन करना होगा।

11. अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत को अधिकार होगा कि ठेकेदार द्वारा उपविधियों के प्रयोजनों के विरूद्ध कार्य करने अथवा अनुबन्ध पत्र की शर्तो का उल्लंघन करने पर बिना कारण बताये ठेके को निरस्त कर दें और ठेकेदार को उसके द्वारा जमा की गई धनराशि को जब्त कर कारण बताओं नोटिस जारी करेंगे। सन्तोषजनक स्पष्टीकरण प्राप्त न होने पर अपर मुख्य अधिकारी द्वारा ठेका निरस्त करने और जमा धनराशि को जब्त करने की संस्तुति अध्यक्ष जिला पंचायत द्वारा ठेका निरस्त किया जायेगा।

12. उक्त पक्षों के विवाद की स्थिति आने पर मामला मण्डलायुक्त को संदर्भित किया जायेगा जिसका निर्णय दोनों पर बन्धनकारी होगा।

13. तहबाजारी शुल्क की बकाया धनराशि उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अध्याय 8 के अन्तर्गत वसूली की जा सकती है।

14. तहबाजारी की वसूली उसी दिन की जायेगी जिस दिन साप्ताहिक बाजार के दिवस निर्धारित होंगे। तहबाजारी के साप्ताहिक दिवस निर्धारित करने का अधिकार अपर मुख्य अधिकारी/ अध्यक्ष जिला पंचायत में निहित होगा।

15. तहबाजारी वसूली के निम्नलिखित व्यक्ति/व्यवसायी मुक्त रहेंगे :

(क). उत्पादक विक्रेता किन्तु शर्त यह होगी कि उत्पादक विक्रेता को उत्पादन के साक्ष्य के रूप में जमीन की खतौनी तथा खसरा की फोटो प्रति उपलब्ध करानी होगी।

(ख). लघु व्यवसायी जिनकी बाजार के दिन बिक्री रू0 100.00 से अधिक न हो।

(ग). अन्य छोटे व्यवसायी जैसे पान, खोमचा, साईकिल रिपेयर, गुमटी एवं अन्य लघु विक्रेता जो इन हाट बाजारों में छोटी मात्रा में बिक्री कर और सेवा कर अपनी जीविका चलाते हैं।

16. तहबाजारी की दरें :

(क). व्यवसायी जिनकी बिक्री रू0 101.00 से रू0 500.00 तक है बिक्री का पॉच प्रतिशत।

(ख). व्यवसायी जिनकी बिक्री रू0 500.00 से अधिक हो, बिक्री का दस प्रतिशत।

17. हाट बाजार या पशु बाजारों में लगने वाली मिठाई या प्रतिदिन बिकने वाले खाद्य पदार्थो के विक्रेताओं को यह आवश्यक होगा कि वह कोई भी खाद्य पदार्थ खुले बर्तन में नहीं बेचेगा उसे ढककर रखेगा या जालीदार डिब्बे में रखेगा, ताकि गन्दगी फैलन का अंदेशा न रहे। अपर मुख्य अधिकारी या उनके द्वारा नियत कोई भी अधिकारी/कर्मचारी ऐसे खाद्य पदार्थो को निरीक्षण कर सकता है और खुला पाने और अखाद्य होने की स्थिति में उसे नष्ट करा सकता है।

18. जनपद में निजी भूखण्डों पर निजी स्वामित्व में लगने वाला बाजारों पर बाजार स्वामियों के लिये यह अनिवार्य होगा कि वह उपविधि लागू होने के एक माह के अन्दर वह अपनी बाजार नखाशा को जिला पंचायत द्वारा पंजीकृत करा लें और उपविधि की धारा 13 तथा 14 में निर्धारित मापदण्डों का निर्धारण अनुपालन निश्चित करें। उल्लंघनकर्ता बाजार स्वामी को जिला पंचायत द्वारा सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के पश्चात दोष सिद्ध पाये जाने पर यह अधिकार होगा कि ऐसे बाजारों में तहबाजारी वसूली का कार्य जिला पंचायत अपने हाथ में ले लें और उसका नियमन और प्रबन्ध करें।

19. ग्राम पंचायत तथा निजी भू–स्वामियों द्वारा तहबाजारी/हाटबाजार/पशुबाजार हेतु जिला पंचायत में पंजीकरण कराना आवश्यक होगा। इस नियमानुसार निम्न पंजीकरण शुल्क देय होगा :

1. सप्ताह में एक दिन लगने वाले हाट बाजार हेतु :–
   (50 तक दुकानें/फड़ होने पर) रू0 20000.00 प्रतिवर्ष
   50 से अधिक दुकानें/फड़ हाने पर 10 रू0 प्रति दुकान/फड़
2. सप्ताह में दो या दो से अधिक दिनों में लगने वाले हाट बाजारों हेतु:–
   (50 तक दुकानें/फड़ होने पर) रू0 40000.00 प्रतिवर्ष
   50 से अधिक 100 दुकानें/फड़ हाने पर 20 रू0 प्रति दुकान/फड
3. सप्ताह में एक बार पशु बाजार हेतु रू0 25000.00 प्रतिवर्ष
4. सप्ताह में दो या दो से अधिक दिनों में लगने वाले पशु बाजारो हेतु रू0 50000.00 प्रतिवर्ष

20. ऐसे निजी बाजारों/पशु बाजारों का पंजीकरण प्रतिवर्ष 30 अप्रैल तक करा लेना अनिवार्य होगा। अन्यथा 500/–रू0 प्रतिमाह की दर से विलम्ब शुल्क देय होगा।

21. इस उपविधि के प्रदत्त होने के दिनांक से उ0 प्र0 पंचायत राज एक्ट 1947 के अधीन अथवा शासन द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित आय सीमा से अधिक आय वाले ग्राम पंचायतों की बाजारें भी जिला पंचायत की अधीन हो जायेगी।

22. ग्राम पंचायत की बाजारें नखसा में उपविधि की धारा 13 व 14 में निर्धारित मापदण्डों का पालन करना अनिवार्य होगा, उल्लंघन की दशा में जिला पंचायत को अधिकार होगा कि सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के पश्चात दोष सिद्ध पाये जाने पर ऐसी बाजारों नखासा को जिला पंचायत अपने नियंत्रण में लेकर वहबाजारी वसूल करेंगी।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 240 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर यह आदेश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों उल्लंघन करेगा तो वह अर्थदण्ड से दण्डित होगा। जो रूपये 5000.00 तक जुर्माना और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहेगा तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डित होगा जो प्रथम दोष सिद्ध हो जाने के पश्चात ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाय कि अपराधी अपराध करता रहा है तो 50.00 रू0 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड लिया जायेगा।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 239 की उपधारा 2–(ज) के अन्तर्गत जनपद ऊधम सिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में ईट भट्टों, चूना भट्टों आदि को विनियमित एवं विनियन्त्रित करने और उन पर लाइसेंस शुल्क निश्चित करने हेतु बनाये गये उपनियमों, जिनको उत्तरांचल शासन की विज्ञप्ति संख्या 329/इक्कीस–03–04/2005–06 दिनांकित 06 दिसम्बर 2005, जो उत्तरांचल गजट दिनांकिंत 24 दिसम्बर 2005 में प्रकाशित हुई हैं, में उत्तराखण्ड पंचायतराज अधिनियम 2016की धारा 106(2)के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न संशोधन किया जाता है। जो शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगें :–

ईट भट्टा, चूना भट्टा आदि की उपविधियाँ

1. यह उपविधियाँ जिला पचांयत ऊधम सिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्रों के अन्तर्गत ईट भट्टा, चूना भट्टा आदि की उपविधियाँ, 2016 कहलायेगी, तथा उत्तराखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगी।

2. कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म या अन्य संस्था राजकीय विभाग, राज्य सरकार द्वारा दिये गये ठेके के ठेकेदार या स्थानीय संस्थाऐं आदि जनपद ऊधम सिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में ईट, भट्टा, टाइल्स, खपड़ा, चूना व सुर्खी आदि बिना जिला पंरिषद ऊधम सिंह नगर से लाईसेंस प्राप्त किये न बनायेगा, न फुकेगा, न बनवायेगा और न फुकवायेगा।

3. इन उपविधियों के अन्तर्गत दिया जाने वाला अनुज्ञा पत्र निम्नलिखित शर्त पर दिया जायेगा :–

(अ). आबादी, सार्वजनिक ईमारतें, अस्पताल, विद्यालय ऐसी इमारतें अथवा स्थान जो ज्वलनशील पदार्थ एकत्र करने के प्रयोग में लाये गये हैं, जो ईट–भट्टा, टाइल्स अथवा खपड़ा चूना व सुर्खी 200 मी0 की दूरी के अन्दर न बनाया या पूर्वा जायेगा, न ही बनवाया या खुदवाया जायेगा।

(ब). सार्वजनिक राष्ट्रीय तथा राज्यमार्ग के मध्य से 50 मी0 अन्य भागों के मध्य से 25 मी0 के भीतर किसी भट्टे का निर्माण नहीं किया जायेगा और न ईट, खपड़ा आदि एकत्रित किया जायेगा।

(स). आम के बाग से पूर्व एवं पश्चिम दिशा में ईटों के भट्टे की दूरी 1.5 किमी0 से कम नहीं होनी चाहिए। उत्तर दक्षिण दिशा में यह दूरी 300 मी0 से कम नहीं होनी चाहिए।

(द). उपरोक्त निर्धारित दूरी, केवल उन आम देशी या कलमी बागों पर लागू होगी, जिसका क्षेत्रफल अकेले अथवा कई आमों के संयुक्त रूप से ढाई एकड़ से कम न हो। आम के बागों तथा उसकी पौधशालाओं (नर्सरी) में कोई अन्तर नहीं समझा जायेगा, जो एक दूसरे से मिले हों। मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी अथवा उनके अधिकृत जिला परिषद के कार्य अधिकारी लाइसेंसिंग अधिकारी होंगे।

3. इन उपविधियों के अन्तर्गत लाइसेंस की अवधि प्रत्यके वर्ष 1 अक्टूबर से 30 सितम्बर तक होगी।

4. इन उपविधियों के किसी प्रकार के उल्लंघन पर लाइसेंस अधिकारी को अनुज्ञा पत्र निरस्त करने निलंबित करने अथवा स्थगित करने का अधिकार होगा।

5. लाइसेंस अधिकारी के किसी आदेश के विरूद्ध 30 दिन के अन्दर अध्यक्ष, जिला पंचायत को अपील की जा सकती है। जिनका निर्णय अन्तिम एवं बन्धनकारी होगा।

6. अनुज्ञा पत्र में आवेदन निर्धारित समय पर किया जायेगा।

7. अनुज्ञा पत्र आवेदन पत्र के साथ ईटा, टाइल्स, चूना आदि के बनाने या फुटने के स्थल का राजस्व अभिलेख "जो 6 माह से पूर्व का नहीं हो" प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी दूसरे से स्थल लिया गया हो तो उसका करारनामा राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत कराकर प्रस्तुत करना होगा।

8. शुल्क निम्नलिखित होगा :

1. चिमनी ईट भट्टा प्रति पाया	500/–वार्षिक
2. बिना चिमनी के ईट भट्टा अनुज्ञा शुल्क पत्र(भटिया)	2500/–वार्षिक
3. टाइल्स अनुज्ञा पत्र शुल्क	2500/–वार्षिक
4. चूना या सुर्खी इंजन की शक्ति द्वारा बनाने या फूंकने का अनुज्ञा पत्र शुल्क	500/–वार्षिक

9. ईट भट्टा, चूना, सुर्खी, टाइल्स आदि बनाने के प्रारम्भिक कार्य करने के एक माह पूर्व आवेदन पत्र कार्यालय जिला परिषद, ऊधम सिंह नगर को दिया जायेगा। नवीनीकरण की दशा में यदि कार्य बराबर जारी रखना चाहते हैं तो पूर्व अनुज्ञा पत्र की तिथि के समाप्त होने के कम से कम एक माह पूर्व अनुज्ञा पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा।

10. कोई व्यक्ति, फर्म, कम्पनी आदि कोई ऐसी सूचना नहीं देंगे जो असत्य हो या इन उपविधियों से सम्बन्धित कोई ऐसी सूचना जिला अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी तथा जिला परिषद का कोई अन्य कर्मचारी जिनकी नियुक्ति इस कार्य के लिए की गई हो, मांगे तो इन्कार नहीं करेंगे।

11. भट्टे की ईटों पर बनाने का वर्ष तथा भट्टा या फर्म का नाम उसका चिन्ह या ट्रेड मार्ग अंकित करना अनिवार्य होगा।

12. ईट–भट्टा, सुर्खी, खपड़ा, टाइल्स मालिक यदि लाइसेंस अधिकारी के किसी आदेश का पालन न करें तो उसके विरूद्ध धारा 133 सी. आर.पी. सी. के अधीन कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी।

13. 30 अक्टूबर के उपरान्त नवीनीकरण कराने पर 300/–रू0 प्रतिमाह का विलम्ब शुल्क जमा करना होगा। उसके उपरान्त लाइसेंस न लेने पर भट्टे मालिक के विरूद्ध चालान की कार्यवाही की जायेगी।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 240 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए जिला पंचायत यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों उल्लंघन करेगा तो वह अर्थदण्ड से दण्डित होगा। जो अंकन रूपये 250/– तक जुर्माना और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहेगा तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डित होगा जो प्रथम दोष सिद्ध हो जाने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाय कि अपराधी अपराध करता रहा है तो 10/–रू0 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड लिया जायेगा अर्थदण्ड का भुगतान न किये जाने की दशा में तीन माह का कारावास से दण्डित किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 239 की उपधारा 2–(ज) के अन्तर्गत जनपद ऊधम सिंह नगर के ग्रामीण क्षेत्रों में दो पहिया, तीन पहिया, बैट्री चालित तीन पहिया और चार पहिया वाली साईकिल/रिक्शों/वाहनों के किराये पर या निजि उपयोग के लिए चलायें जाने वाले साईकिल/रिक्शों/वाहनों को विनियमित एवं विनियन्त्रित करने और उन पर लाइसेंस शुल्क निश्चित करने हेतु बनाये गये उपनियमों, जिनको उत्तरांचल शासन की विज्ञप्ति संख्या 329/इक्कीस–03–04/2005–06 दिनांकित 06 दिसम्बर 2005, जो उत्तरांचल गजट दिनांकित 24 दिसम्बर 2005 में प्रकाशित हुई हैं, में उत्तराखण्ड पंचायतराज अधिनियम 2016की धारा 106(2)के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्न संशोधन किया जाता है। जो शासकीय गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त होगें :–

रिक्शा तांगा

जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर द्वारा(वर्तमान उपनियम)	जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर द्वारा(संशोधित उपनियम)
4– प्रत्येक व्यक्ति को जो दो पहिये, तीन पहिये अथवा चार पहिये वाले रिक्शा, साइकिल का स्वामी हो उसे साइकिल व रिक्शा ग्रामीण क्षेत्रों में रखने या किराये में चलाने के लिए जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर की प्रति वर्ष रिक्शा स्वामी 50.00 रू0 तथा चालक को 10.00 रू0 लाइसेंस शुल्क देय होगा।	4– प्रत्येक व्यक्ति को जो दो पहिये, तीन पहिये अथवा चार पहिये वाले रिक्शा, साइकिल का स्वामी हो उसे साइकिल व रिक्शा ग्रामीण क्षेत्रों में रखने या किराये में चलाने के लिए जिला पंचायत ऊधम सिंह नगर की प्रति वर्ष रिक्शा स्वामी 80.00 रू0 तथा चालक को 20.00 रू0 लाइसेंस शुल्क देय होगा। बैट्री चालित तीन पहिया ई–रिक्शा का लाइसेंस शुल्क 200.00 रू0 प्रतिवर्ष होगा।
10(1)– लाइसेंस वसूल करने वाले जिला पंचायत के कर समाहर्ता, राजस्व अधीक्षक अथवा जिला पंचायत अधिनियम की धारा 239 के अन्तर्गत आने वाले किसी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि लाइसेंस शुल्क स्वामी अथवा चालक से प्राप्त न होने पर वे रिक्शों को लाइसेंस प्राप्त होने तक अपने कब्जे में, अपने संरक्षण में रख लें तथा 15 दिन की अवधि तक लाइसेंस शुल्क प्राप्त न होने पर रिक्शा को नीलाम कर दें, चालक अथवा स्वामी को नीलाम की तिथि से तीन माह तक	10(1)– लाइसेंस वसूल करने वाले जिला पंचायत के कर समाहर्ता, राजस्व अधीक्षक अथवा जिला पंचायत अधिनियम की धारा 239 के अन्तर्गत आने वाले किसी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि लाइसेंस शुल्क स्वामी अथवा चालक से प्राप्त न होने पर वे रिक्शों को लाइसेंस प्राप्त होने तक अपने कब्जे में, अपने संरक्षण में रख लें तथा 15 दिन की अवधि तक लाइसेंस शुल्क प्राप्त न होने पर रिक्शा को नीलाम कर दें, चालक अथवा स्वामी को नीलाम की तिथि से तीन माह तक

लाईसेंस शुल्क काटकर बाकी धनराशि जिला पंचायत द्वारा स्वामी अथवा चालक के प्रार्थना पत्र देने पर वापस की जायेगी, परन्तु तीन माह की अवधि बीत जाने के पश्चात् कोई भी धनराशि वापस नहीं की जायेगी	लाईसेंस शुल्क काटकर बाकी धनराशि जिला पंचायत द्वारा स्वामी अथवा चालक के प्रार्थना पत्र देने पर वापस की जायेगी, परन्तु तीन माह की अवधि बीत जाने के पश्चात् कोई भी धनराशि वापस नहीं की जायेगी
10(2)– यदि रिक्शा किसी ऐसे स्थान पर रात्रि के लिए जिला पंचायत के अधिकारी या कर समाहर्ता द्वारा अपने संरक्षण में रखी जाय तो रिक्शा स्वामी को 24 घण्टे रोकने के लिए मात्र 5.00 रू0 तथा यदि रिक्शें को बाँधकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना पड़े तो ढुलान पर खर्चा आवे तो ढुलान का वास्तविक व्यय भी रिक्शा स्वामी से वसूल किया जायेगा।	10(2)– यदि रिक्शा किसी ऐसे स्थान पर रात्रि के लिए जिला पंचायत के अधिकारी या कर समाहर्ता द्वारा अपने संरक्षण में रखी जाय तो रिक्शा स्वामी को 24 घण्टे रोकने के लिए मात्र 10.00 रू0 तथा यदि रिक्शें को बाँधकर किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाना पड़े तो ढुलान पर खर्चा आवे तो ढुलान का वास्तविक व्यय भी रिक्शा स्वामी से वसूल किया जायेगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम धारा 240 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग करते हुए जिला पंचायत यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा तो वह अर्थदण्ड से दण्डित होगा। जो अंकन रूपये 1000.00 तक जुर्माना और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहेगा तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डित होगा जो प्रथम दोष सिद्ध हो जाने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाय कि अपराधी अपराध करता रहा है तो 50.00 रू0 प्रतिदिन की दर से अर्थदण्ड लिया जायेगा अर्थदण्ड का भुगतान न किये जाने की दशा में तीन माह का कारावास से दण्डित किया जायेगा।

चन्द्रशेखर भट्ट,
आयुक्त।

ह0 (अस्पष्ट)
अपर मुख्य अधिकारी,
जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर।

ह0 (अस्पष्ट)
अध्यक्ष,
जिला पंचायत ऊधमसिंह नगर।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 02 हिन्दी गजट/08–भाग 1–क–2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरण संख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 जनवरी, 2018 ई0 (पौष 23, 1939 शक सम्वत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़–पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया

पंचायतीराज अनुभाग–1

पंचायतों के लिए उत्तराखण्ड ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नीति, वर्ष 2017

विषय वस्तु

क्र.. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	भाग – 1 प्रस्तावना	12
2	भाग – 2 पंचायतों के लिए उत्तराखंड ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति 2.1 नीति के मुख्य उद्देश्य	13–14
3	भाग –3 (क) जिम्मेदार संस्थाएं 3.1 पंचायतें 3.2.1 ठोस अपशिष्ट की परिभाषा भाग –3 (ख) उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड 3.3 जैव चिकित्सा अपशिष्ट 3.3.1 औद्योगिक, घातक अपशिष्ट	15–16

4	भाग – 4 शासकीय सिद्धांत 4.1 समुदाय के स्वस्थ और प्रदूषण मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने का सिद्धान्त 4.1.1 वायु प्रदूषण 4.1.2 जल प्रदूषण 4.1.3. धाराऐं 4.1.4 निर्माण एवं विनाश से जनित अवशिष्ट (कन्सट्रक्शन एवं डिमोलिशन वेस्ट) 4.2 पुनर्चक्रण (रिसाइक्लिंग) के लिए संसाधनों की पुनः प्राप्ति 4.2.1.1 कैरीबैग तथा थर्माकोल डिस्पोजेवलस 4.2.1.2 ग्रामीण स्वच्छता समिति 4.2.1.3 दक्षता गुणक पद्धति (Efficiency Multiplier Approach) 4.3. अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता की जिम्मेदारी 4.3.1. अपशिष्ट के प्रकार के अनुसार पात्र में डालना 4.4. उपयोग शुल्क/पर्यावरण सेवा शुल्क 4.5.1 ठोस अपशिष्ट नियमों के अनुसार मौजूदा प्रणाली का सुधारीकरण 4.5.1.1 अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण 4.5.1.2. घर–घर से संग्रह 4.5.1.3 परिवहन 4.5.1.4 निपटान और उपचार 4.5.2 मूल्य आधारित प्रणाली 4.5.3 कम मूल्य आधारित प्रणाली–कबाडियों की भागीदारी	17–22
5	भाग– 5 अभिनव तकनीकें 5.1 कचरे से ऊर्जा 5.2 अपशिष्ट के आकार को कम करने का संघनीकरण उपकरण–कॉम्पैक्टर्स 5.3 जैविक अपशिष्ट से खाद निर्माण 5.4 पुनर्चक्रण के बाद अवशेष कूडे का निस्तारण स्थल (लैंडफिल साइट) 5.5 निर्माण एवं विनाश से जनित अपशिष्ट (कन्सट्रक्शन और डिमोलिशन) संग्रह केन्द्र 5.6 सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक का उपयोग	23–24
6	भाग – 6 प्रसंस्करण दिशा–निर्देश 6.1 पुनः उपयोग में आने वाले अपशिष्ट को हटाना 6.1.1 अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता के उत्तरदायित्व 6.1.1.1 गीला/जैविक अपशिष्ट 6.1.1.2 सूखा/जैविक अपशिष्ट 6.2 अपशिष्ट को मिश्रित न करना 6.3 घरों से उपचार स्थल तक परिवहन 6.3.1 रिक्शा और हाथ गाड़ियाँ 6.3.2 माध्यमिक संग्रह स्थान 6.4. प्लास्टिक की पुनर्प्राप्ति 6.4.1. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शैक्षिक रणनीति 6.4.2 प्लास्टिक पुनर्चक्रण निर्माता की जिम्मेदारी 6.4.3. पुनर्चक्रण प्रावधान 6.4.4 पाईप निर्माण इकाईयां 6.4.5. प्लास्टिक के लिए विनियामक रूपरेखा 6.5. कागज की पुनर्प्राप्ति	25–29

	6.6. धातु की पुनर्प्राप्ति 6.7. कॉच की पुनर्प्राप्ति 6.8. जैविक अपशिष्ट से खाद बनाना 6.8.1. जैविक अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण 6.8.1.1 घर–घर से अपशिष्टों का संग्रहण 6.8.2. उपचार प्रकिया 6.8.2.1. एरोबिक पद्धति से खाद बनाना 6.8.2.2 कृषि, बागवानी और वनस्पति में नाडेप एवं वर्मी खाद का उपयोग 6.8.3. कृषि उद्देश्य के लिए खेतों में खाद का उपयोग 6.8.4.खाद के उपयोग के लिए स्थानीय विभागों को दिशा–निर्देश 6.9. इकाई की स्थापना 6.10 बचे हुए अपशिष्ट का सेनिटरी लैंडफिल में भंडारण करना 6.10.1 पुनर्चक्रण के अयोग्य अपशिष्टों का निपटान 6.10.2 गैर पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट 6.10.3 घरेलू घातक अपशिष्ट 6.11 ग्रामीण सडकों/रास्तों एंव नालियों की सफाई कार्यो के लिए नियम	
7	भाग – 7 **सामुदायिक जागरूकता और जन शिक्षा कार्यक्रम** 7.1.जानकारीप्रद शिक्षा सामग्री 7.2. राज्य स्तर पर प्रोत्साहन और निर्वहन ~~7.3. ग्राम पंचायतों के लिए आउट रीच और अन्य कार्यक्रम~~ 7.4. क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण 7.5 अपशिष्ट प्रवाह	30–31
8	भाग – 8 **बायोमेडिकल कचरे का प्रबन्धन** 8.1 अस्पताल, क्लीनिक, रोग विज्ञान केन्द्र नर्सिंग होम से संग्रह	32
9	भाग – 9 **संस्थागत ढ़ाचा** 9.1. राज्य स्तर पर कार्यकारिणी समिति 9.2 निदेशालय स्तर पर सलाहकार समिति 9.3. जिला स्तर पर निगरानी और कार्यान्वयन समिति 9.4. जिला स्तर पर सलाहकार एवं अनुश्रवण समिति 9.4.1. पंचायत स्तर पर भूमिका और उत्तरदायित्व 9.4.2 ग्राम पंचायत स्तर पर मशीनरी/उपकरणों की खरीद 9.5. समूह कार्य के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के कियान्वयन हेतु समिति का प्रारूप	33–37
10	भाग –10 **मुख्य प्रदर्शन संकेतक**	38–42
11	भाग –11 **ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन संस्थान स्थापित करने के लिए संगठनात्मक चार्ट**	43
12	भाग –12 **उल्लंघन, दण्ड और पुरस्कार** 12.1 – **उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कार**	44
	खण्डवार ज्ञापन	45

प्रस्तावना–1

11 दिसम्बर, 2017 ई0

संख्या 3026/XII(1)/2017–70(08)/2017–रिट–भारत के संविधान के अनुसार, ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन राज्य का विषय है जिसमें सभी राज्य सरकारों की मुख्य जिम्मेदारी है कि ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की नीतियों को ग्राम पंचायतों में लागू करें। वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य की ग्राम पंचायतें कुल 52,851,08 किमी0 क्षेत्रफल में फैली हैं, जिनमें लगभग 7036954 ग्रामीण आबादी प्रतिदिन लगभग 703.69 (100 ग्राम प्रतिव्यक्ति प्रति दिवस) टन ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं। यह समस्या उत्तराखण्ड के धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों पर देखी जा सकती है। इसमें मुख्य रूप से चार धाम यात्रा मार्ग पर बसे गाँव में ठोस अपशिष्ट भारी मात्रा में उत्पन्न हो रहा है। इन स्थानों में ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन एवं निस्तारण करने के पुराने तौर तरीके अपनाये जाते हैं, जैसे कि झाड़ू के माध्यम से पहाड़ी क्षेत्रों में अपशिष्ट को ढलानों में गिरा देना।

गर्मियों में अपशिष्ट का विघटन ज्यादा तेजी से होता है जिसके कारण हाइड्रोजन सल्फाइड, कैडावेरिन और प्यूटीसेन्स जैसी जहरीली गैस उत्पन्न होती है। मानसून के दौरान जिन स्थानों में अपशिष्ट के ढेर होते हैं, वहां घातक बीमारियां उत्पन्न होती है जो मानव स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक हानिकारक है। इसके अतिरिक्त यदि अपशिष्ट का निपटान सही स्थानों तथा सही तरीके से नहीं किया जाता है तो उसके कारण आवारा पशु अवशिष्टों के ढेर में विचरण करते हैं, जिसके कारण जैव–विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

मैदानी क्षेत्रों में जल जमाव का मुख्य कारण नालियों में फैके जाने वाला अपशिष्ट है जिसके कारण नालियों से जल का निकास अवरूद्ध हो जाता है और जल भराव की सम्भावना बढ़ जाती है। यद्यपि उत्तराखण्ड राज्य में ग्राम पंचायतें, जो शहरी क्षेत्रों के आसपास हैं वहां के गांवों की सफाई पर अपने बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च करती है, लेकिन फिर भी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में प्रभावी सेवाएं प्रदान करने में असमर्थ है। अधिकांश ग्राम पंचायतों को अभी तक इस बात का भी अनुमान नही है कि उनके क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट कितनी मात्रा में उत्पन्न हो रहा है।

शहरी क्षेत्रों के आस पास की ग्राम पंचायतों का शहरीकरण होने तथा शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या के अत्यधिक वृद्धि के कारण अपशिष्टों का निपटान अनियंत्रित रूप से शहरी क्षेत्रों से लगी ग्राम पंचायतों के आस पास, सड़क के किनारे व पहाड़ी ढलानों तथा नदी नालों में किया जा रहा है, जो राज्य के पर्यावरण के लिए गंभीर चुनौती बनता जा रहा है।

उक्त समस्याओं के दृष्टिगत् रिट याचिका संख्या–80/12 सांईनाथ सेवा मण्डल बनाम राज्य व अन्य में मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 16.03.2017 का अनुपालन करते हुए पंचायतों के लिए उत्तराखण्ड अपशिष्ट प्रबन्धन नीति प्रस्तावित किया गया हैं। यह नीति राष्ट्रीय स्तर पर अपशिष्ट प्रबन्धन के संबंध में गठित नीतियों का संज्ञान लेते हुए प्रस्तावित की गई है।

भाग – 2

पंचायतों के लिए उत्तराखंड ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति

उत्तराखंड ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति एक मार्गनिर्देशिका है, जो एक निर्धारित समय सीमा के भीतर वांछित परिणामों की पूर्ति की एक योजना है। यह नीति पंचायती राज संस्थाएं और समुदाय के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर केंद्रित है, जो राज्य के पंचायतों और ग्रामीणों द्वारा उत्पन्न ठोस कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए जरूरी है। इस नीति का लक्ष्य सार्वजनिक स्वास्थ्य, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना है। एक प्रभावी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति द्वारा विभिन्न गतिविधियों की दक्षता में सुधार के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, जिससे संसाधन और ऊर्जा संरक्षण के लिए सभी स्तरों पर एक व्यावहारिक बदलाव किया जा सकता है। इससे कम अपशिष्ट पैदा करने व उसको अलग–अलग रखने से पुनर्चक्रण को बल मिलेगा। इसके जैविक अपशिष्टों से खाद तैयार की जायेगी व अजैविक अपशिष्ट से नई वस्तुयें बनाकर संसाधनों का संरक्षण किया जायेगा।

2.1 नीति के मुख्य उद्देश्य

यह नीति उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियों, विविधताओं एवं जटिलताओं के अनुरूप प्रस्तावित है जो सामाजिक सहभागिता के फलस्वरूप पर्यावरण व संसाधनों के दुरूपयोग को संरक्षित कर स्वच्छ वातावरण का निर्माण करेगी।

(1) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु एक कार्ययोजना ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायतों में जनसहभागिता के आधार पर विकसित की जायेगी।

(2) यह नीति राज्य स्तर पर कार्यकारिणी समिति, निदेशालय स्तर पर सलाहकार समिति, जिला स्तर पर निगरानी एवं कार्यान्वयन समिति/सलाहकार एवं अनुश्रवण समिति तथा ग्राम पंचायत स्तर पर गठित होने वाली स्वच्छता समिति के माध्यम से क्रियान्वियत की जाएगी।

(3) पारिस्थितिकी मूल्यों को बनाये रखने के लिए समुदाय द्वारा जैविक एंव अजैविक कूड़े को अलग–अलग करने एवं कूड़े के प्राथमिक संग्रहण पर उपयोगकर्ता शुल्क (user fee) का प्रावधान किया जाएगा।

(4) अपशिष्टों का मूल्य संवर्धन के लिए कार्यनीति तैयार की जाएगी।

(5) ग्राम पंचायतों के अपशिष्ट प्रबंधन के लिए अपशिष्ट की मात्रा एवं प्रकार का अनुमान लगाते हुए ठोस अपशिष्ट के उपचार के लिए तकनीकी का प्रयोग किया जाएगा।

(6) पारिस्थितिकी एंव भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा।

(7) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की गतिविधियों को संचालित करने हेतु ग्राम पंचायत के प्रधानों, निर्वाचित प्रतिनिधियों,जिला पंचायत अधिकारियों/ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों और ग्राम स्वच्छता समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित कराया जाएगा।

(8) उच्च और निम्न मूल्य आधारित अजैविक, ठोस अपशिष्ट जैसे पेपर, प्लास्टिक, धातु और कांच आदि के उपयोग हेतु एक कार्यनीति विकसित करना ताकि अपशिष्ट से आय प्राप्त की जा सके।

(9) समुदाय में अपशिष्ट प्रबंधन के प्रति व्यावहारिक बदलाव व जागरूकता के लिए विभिन्न प्रकार की जानकारियों से सम्बन्धित साहित्य जैसे–पत्राचार, पोस्टर, बैनर, मीडियां संचार को विकसित कराया जाएगा।

(10) ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जाएगा।

(11) अपशिष्ट संग्रहण दल की दक्षता बढ़ाना। सभी प्रकार के अपशिष्ट का एकीकरण करना जिसमें निर्माण एवं विनाश से जनित अपशिष्ट, बायोमेडिकल अपशिष्ट और जिला पंचायतों के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों जैसे–लोक निर्माण विभाग, आवास, वन, पर्यटन, विनियामक क्षेत्र, यू.एल.बी. और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसे अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता शामिल है।

(12) सरकार द्वारा निर्धारित किये गये नियमों के अनुरूप एक नागरिक घोषणा पत्र तैयार करना जिसमें स्पष्ट रूप से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का लक्ष्य एंव दृष्टिकोण सुनिश्चित होगा।

(13) मौजूदा अपशिष्ट प्रबंधन और प्रबंधन प्रणाली में सुधार करने के लिए अपशिष्ट धाराओं के प्रबंधन हेतु एक विनियामक ढांचा तैयार किया जाएगा।

(14) किसी भी प्रकार के अपशिष्ट, विशेषकर प्लास्टिक अपशिष्ट को ना जलाने के लिए ग्राम पंचायतों में जागरूकता बढ़ायी जाएगी।

भाग – 3
जिम्मेदार संस्थाएं

3.1 पंचायतें:

राज्य में 95 क्षेत्र पंचायत, 13 जिला पंचायत और 7958 ग्राम पंचायत हैं जिनमें से मैदानी क्षेत्रों में 20, एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 75 क्षेत्र पंचायतें, 3 जिला पंचायत मैदानी क्षेत्रों एवं 10 पर्वतीय क्षेत्रों में हैं। 1068 ग्राम पंचायत मैदानी क्षेत्रों में एवं 6890 ग्राम पंचायतें पर्वतीय क्षेत्रों में है। इन क्षेत्रों में घरों, संस्थानों, होटलों, व्यापार केन्द्रों आदि से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन व रख–रखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों की है। चारधाम व प्रदेश में स्थित ट्रेक मार्गों पर, जहां वन विभाग की भी भागीदारी हो वहां अपशिष्ट प्रबन्धन जिला पंचायतों द्वारा किया जायेगा। विशिष्ट अपशिष्ट जैसे घोडें की लीद का निस्तारण कम्पोस्टिंग या बायोगैस तकनीक द्वारा किया जायेगा व अजैविक कूड़े को निस्तारण स्थल तक आसानी से ले जाने के लिए कूड़ें का आकार कम करने वाले सघनीकरण उपकरण (compactors) का उपयोग किया जाएगा।

3.2.1 ठोस अपशिष्ट की परिभाषा :

ठोस अपशिष्ट से ऐसा अपशिष्ट अभिप्रेत है जो दैनिक उपयोग के उपरान्त जनित होता है। इसमें विद्यमान अवयव जैविक, अजैविक व निष्क्रिय होते हैं। इनकी प्रकृति हर क्षेत्र में भिन्न होती है। जीवन शैली, संसाधन, आय, सामाजिक–आर्थिक और सांस्कृतिक मुद्दों पर अपशिष्ट उत्पादन, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आधारित होता है। ठोस कचरे का दीर्घकालिक समाधान सुनिश्चित करने के लिए इन सभी मदो को एक समान स्तर पर लाना होगा। पंचायतों और विशेष रूप से ग्राम पंचायतों को ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए पर्याप्त धन जुटाने हेतु अधिक से अधिक अपशिष्टों का संग्रहण करना होगा, जिससे आय का साधन सुनिश्चित किया जा सकें, साथ ही पर्यावरण संवर्द्धन किया जा सकेगा।

उदाहरणार्थ

जैविक :– रसोई घर में जनित अपशिष्ट,पेड़ की पत्तियां ,शाखायें आदि।
अजैविकः– कागज, प्लास्टिक, धातु, कॉच आदि।
निष्क्रियः– घर की झाडन आदि।

भाग –3 (ख)

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

3.3 जैव चिकित्सा अपशिष्ट :–

जैव चिकित्सा अपशिष्ट को चिकित्सा अपशिष्ट या क्लीनिकल अपशिष्ट के रूप में भी जाना जाता है। सामान्य रूप से स्वास्थ्य परिसर जैसे अस्पताल, दवाखाने और क्लीनिक से उत्पादित अपशिष्टों का उल्लेख जैव चिकित्सा अपशिष्ट में होता है। इसमें पशु अपशिष्ट भी शामिल है जो ट्रेक मार्गों में स्थित स्टेशनों में बिखरा रहता है। ब्रायोमेडिकल अपशिष्ट को सामान्यतः ठोस अपशिष्ट के साथ निस्तारित कर दिया जाता है जिससे ठोस अपशिष्ट दूषित हो जाता है। ऐसे अपशिष्टों का प्रबंधन उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यू.ई.पी.पी.सी.बी) को अनिवार्य रूप से करना होगा। इस प्रकार का अपशिष्ट स्वास्थ्य के लिए जोखिम भरा होता है इसे बायोमैडिकल अवशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 के अनुसार विनियमित करने की आवश्यकता है।

3.3.1 औद्योगिक, घातक अपशिष्ट

उद्योग कार्यशालाओं द्वारा उत्पन्न होने वाले औद्योगिक और घातक कचरे एवं ई–वेस्ट (E -WASTE) का प्रबंधन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अनिवार्य रूप से करना होगा क्योंकि पंचायतें इस तरह के कचरे के प्रबन्धन करने के लिए अधिकृत नहीं है।

भाग – 4

शासकीय सिद्धांत

4.1 समुदाय के स्वस्थ और प्रदूषण मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने का सिद्धांत

स्वास्थ्य और पारिस्थितिकीय संरक्षण के लिए एक सक्रिय सामाजिक भागीदारी को सुनिश्चित किया जायेगा जिसमें लागत को प्रभावी तरीके से एकीकृत ठोस कचरे के प्रबंधन में उत्कृष्टता प्राप्त करने की अवसंरचना और सेवाएं प्रदान करने का प्रावधान होगा। इस सिद्धान्त के तहत सभी हितधारकों के साथ समन्वय करते हुये, क्षेत्र विशिष्ट क्षमताएं, दक्षता और साझादारी को विकसित किया जाएगा।

	लक्ष्य –I	लक्ष्य –II	लक्ष्य –III
परिप्रेक्ष	सार्वजनिक स्वास्थ्य और पारिस्थिकी तंत्र का जोखिम कम करना।	SWM / PWHM से संबंधित नियामक ढांचे का अनुपालन।	ग्राम पंचायत स्तर पर समुदाय के साथ साझेदारी में गठित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन समिति को सुदृढ बनाना ।
उद्देश्य (एक)	मानव के लिए ठोस अपशिष्ट का जोखिम कम करना।	SWM नियम 2016 और जी.ओ. नम्बर सं 113/07/बारहवीं/ 90 (11)2006, दिनांक 2 अप्रैल 2007 का अनुपालन करना।	नियमों का अनुपालन करने और विकेन्द्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को ग्रहण करने के लिए ग्राम प्रधानों व सफाई कर्मियों का क्षमता विकास करना।
उद्देश्य (दो)	हवा, पानी, मिट्टी, वनस्पति और जीवों के संदर्भ में पर्यावरण पर प्लास्टिक अपशिष्ट का कम से कम प्रभाव।	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2016 और UPNBG एक्ट 2013 का अनुपालन सुनिश्चित करना।	औपचारिक प्रणाली के साथ कबाडी की साझेदारी के माध्यम से प्लास्टिक कचरे के लिए एक मूल्य श्रृंखला विकसित करना।
उद्देश्य (तीन)	मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम कम करना।	वर्ष 2016 में संशोधित बायो मैडिकल अपशिष्ट प्रबंधन नियम का अनुपालन सुनिश्चित करना ।	दिशा–निर्देशों के अनुसार जैव चिकित्सा कचरे के निपटान की निगरानी के लिए पंचायतों में जागरूकता बढ़ाकर रिपोर्ट यू.ई.पी.पी.सी.बी. को देना।
उद्देश्य (चार)	पर्यावरण पर निर्माण एवं विनाश से जनित अपशिष्ट का प्रभाव कम करना।	निर्माण एवं विनाश से जनित अपशिष्ट के लिए विशिष्ट दिशा–निर्देशों को तैयार करना।	अपशिष्ट के पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण के लिए ऐसे कचरे का सुरक्षित निपटान के लिए पंचायतों की आंतरिक क्षमता का निर्माण करना। पर्यावरणीय सुरक्षा लिए पर्यावरणीय शुल्क का प्रावधान।

4.1.1 वायु प्रदूषण :–

जिन स्थानों पर कूड़ें का निस्तारण किया जा रहा है वहॉ पर अपशिष्टों के ढेर झाड़ू लगाने के उपरान्त इक्कठे होते हैं, उसमें आग लगने के कारण वायु प्रदूषण होता है जो घातक बीमारियां पैदा करता है, ऐसे स्थान खतरनाक साबित होते हैं। प्लास्टिक और पेपर जैसे मिश्रित कचरे को जलाने से क्लोरीन, कार्बन–डाय–ऑक्साइड,कार्बन मोनो ऑक्साइड,सी.एफ. सी,फ्यूरान (Furan) और डाइऑक्सीन (DIOXIN) जैसी विषाक्त गैसों का उत्सर्जन होता है। इस समस्या को ध्यान में रखते हुये कूड़े को जलाने पर प्रतिबन्धित लगाया गया है, जो एस.डब्यू.एम. नियम, 2016 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम, 2016 उत्तराखंड प्लास्टिक और अन्य गैर बायोडीग्रेडेबल अपशिष्ट (उपयोग और निपटान) नियम, 2013 में प्रतिबंधित है।

4.1.2 जल प्रदूषण

अनुपचारित अपशिष्ट और उसका सुनियोजित तरीके से निपटान न करने से पारिस्थितिकीय व प्राकृतिक सौंदर्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फैला हुआ अपशिष्ट अक्सर पहाड़ी ढलानों पर एकत्रित हो जाता है जो कि बरसात के जल को अवरुद्ध करता है जिसके कारण भूस्खलन होता है। एकत्रित अपशिष्ट के ढेरों और निपटान स्थलों से बहने वाले पानी से जल प्रदूषण और जल आपूर्ति की गंभीर समस्या होती है। कूड़ा स्थलों के निकट वाले क्षेत्रों में भारी धातुओं की उपस्थिति चिंता का विषय है इसलिए स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन की पद्धति अपनाया जाना आवश्यक है।

4.1.3. धाराऐं

कचरे के ढेर का सतही प्रभाव तब अनुभव किया जाता है जब जल निकासी व्यवस्थित रूप से नहीं होती हैं। घाटियों और क्षेत्रीय इलाकों में वर्षा जल निकासी की व्यवस्था अपशिष्ट और प्लास्टिक की वजह से भारी मात्रा में भरी और बिखरी हुई रहती है। बारह मासी नदी और धाराऐं जो पूरे क्षेत्र में जीवन और जीविका प्रदान करती हैं, को कचरा निपटान का माध्यम माना जा रहा है, यह नदियों के उठें हुए किनारे के रुप में अनुभव किए जा सकते हैं।

4.1.4 निर्माण एवं विनाश से जनित अवशिष्ट (कन्स्ट्रकशन एंड डिमोलिशन वेस्ट) :–

निर्माण एवं विनाश से जनित अपशिष्ट (कन्स्ट्रकशन एंड डिमोलिशन अपशिष्ट) ठोस अपशिष्ट का भाग माना जाता है और इस तरह के मिश्रित कचरे को आम तौर से नदियों, पहाड़ी ढलानों डंपिग स्थलों पर निपटाया जाता है इससे न केवल अपशिष्ट निस्तारित स्थानों का जीवन काल कम होता है बल्कि उन भू–ढलानों का भी क्षरण होता है जो कि वर्षा जल का सुचारू प्रवाह करता है। परिणामतः यह आसपास के पादप जगत को भी नुकसान पहुंचाता है, साथ ही नदी के जल स्तर को बढ़ाता है।

4.2. पुनर्चक्रण (रिसाइक्लिंग) के लिए संसाधनों की पुनः प्राप्ति

अपशिष्टों के गुणों एवं प्रकृति के अनुसार छॉटना कूड़ा निस्तारण की रणनीति विकसित करने का आधार है जो संसाधन और ऊर्जा संरक्षण के लिए एक आवश्यक कदम है। इसको अलग–अलग करने से खाद की गुणवत्ता में सुधार आता है और पर्यावरण पर दबाव कम होता है।

अपशिष्टों का सुनियोजित प्रबन्धन समुदाय की साझेदारी और गांव के सभी हिस्सेदारों पर आधारित है, क्योंकि यह एक विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को बढ़ावा देता है। इस पद्धति के द्वारा अपशिष्टों से खाद तैयार की जा सकती है। यह अपशिष्ट संग्रह प्रणाली व परिवहन व्यय कम करता है साथ ही इसके लिए भूमि की आवश्यकता भी कम होती है। पृथक्करण के पश्चात् अजैविक (गैर बायोडीग्रेडेबल) अपशिष्ट को पुनर्चक्रण (रीसाइक्लिंग) के माध्यम से अंतिम निपटान के लिए भेजा जायेगा। यह रणनीति संसाधनों के संवर्द्धन के साथ ही राष्ट्रीय ऊर्जा का भी संरक्षण करेगी।

4.2.1.1 **कैरीबैग तथा थर्माकोल डिस्पोजेवलस.**

उपरोक्त पदार्थो पर उत्तराखण्ड शासन आदेश पत्रांक–88/X-3-17(11)/2001 दिनांक 25.01.2017 द्वारा प्रतिबंध आरोपित किया गया है। ग्राम पंचायतें उपरोक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करेंगी।

4.2 .1 ग्रामीण स्वच्छता समिति :–

संविधान की 11 वीं अनुसूची में पंचायतों को विधि बनाने की शक्तियां निहित हैं। उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 23 जिसमें ग्राम पंचायतों के कृत्यों का वर्णन है, जिसमें धारा–तेईस के प्रस्तर (क) में ग्रामीण स्वच्छता के प्रोन्नति सम्बन्धी कृत्य शामिल हैं। उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम की धारा 145 में ग्राम पंचायत के अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। समिति भारत के संविधान के 11वीं अनुसूची के कमांक 23,24,25,26,27 से सम्बन्धित कार्यो का सम्पादन करने के लिए अधिकृत है। उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम की धारा 46 के प्रस्तर 16,17 में उल्लेखित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाना है। उपधारा 16, 17 में वर्णित प्रावधान निम्नवत है :–

- (16) ग्राम पंचायत में कूड़ा–करकट, गंदगी आदि को प्रत्येक घर से एकत्र करने एवं ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन का अधिकार (निरंतर सड़कों की सफाई, प्रतिदिन गंदगी की सफाई, मृतक पशुओं को हटाया जाना, कूड़ादान, व्यक्तिगत कूड़ा–करकट इक्टठा करवाना, एकत्रित गंदगी, कूड़ा–करकट डिपों तक पहुंचाना, कूड़ादान तथा पशुओं के शव, संस्थागत कचरा, व्यापारिक कचरा, राख, धूल, घरेलू कचरे के अस्थायी एकत्रीकरण हेतु स्थान एवं पात्र धारक के सम्बंध में व्यवस्था) ग्राम पंचायत अपने क्षेत्रान्तर्गत कर सकेगी।

- (17) यदि सफाई ग्राम पंचायत द्वारा की जाती है तो निजी शौचालय और नालियों को साफ करने के लिये कर लगा सकती है।

ग्राम पंचायत स्तर पर उपरोक्तानुसार गठित स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति उक्त कार्यो के लिए अधिकृत होगी, समिति की सहायता के लिए ग्राम पंचायत वार्ड स्तर पर ग्रामीण स्वच्छता उपसमिति गठित करेगी, जिसका संरक्षक वार्ड सदस्य होगा।

~~यह उपसमितियां निर्धारित समय पर प्रतिदिन एकत्र किया गया ठोस अपशिष्ट और~~ उसका निस्तारण एक निर्धारित स्थान पर करेगी। ग्रामीण स्वच्छता समितियों द्वारा अपशिष्ट संग्रह में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए एक चक्र (रोस्टर) बनाया जायेगा। स्वच्छता सेवाओं के लिए ग्रामीणों से उपयोग शुल्क (user charge) लिया जायेगा। जिसे ग्राम पंचायत के खाते में जमा किया जायेगा।

बुनियादी सुविधाओं जैसे – ठेले, रिक्शा/ कूड़ादान , डिब्बे आदि की व्यवस्था ग्राम पंचायतों द्वारा की जायेगी,और इन उपकरणों के रख रखाव की जिम्मेदारी ग्रामीण स्वच्छता समिति की होगी।

4.2.1.3 दक्षता गुणक पद्धति (**Efficiency Multiplier Approach**)

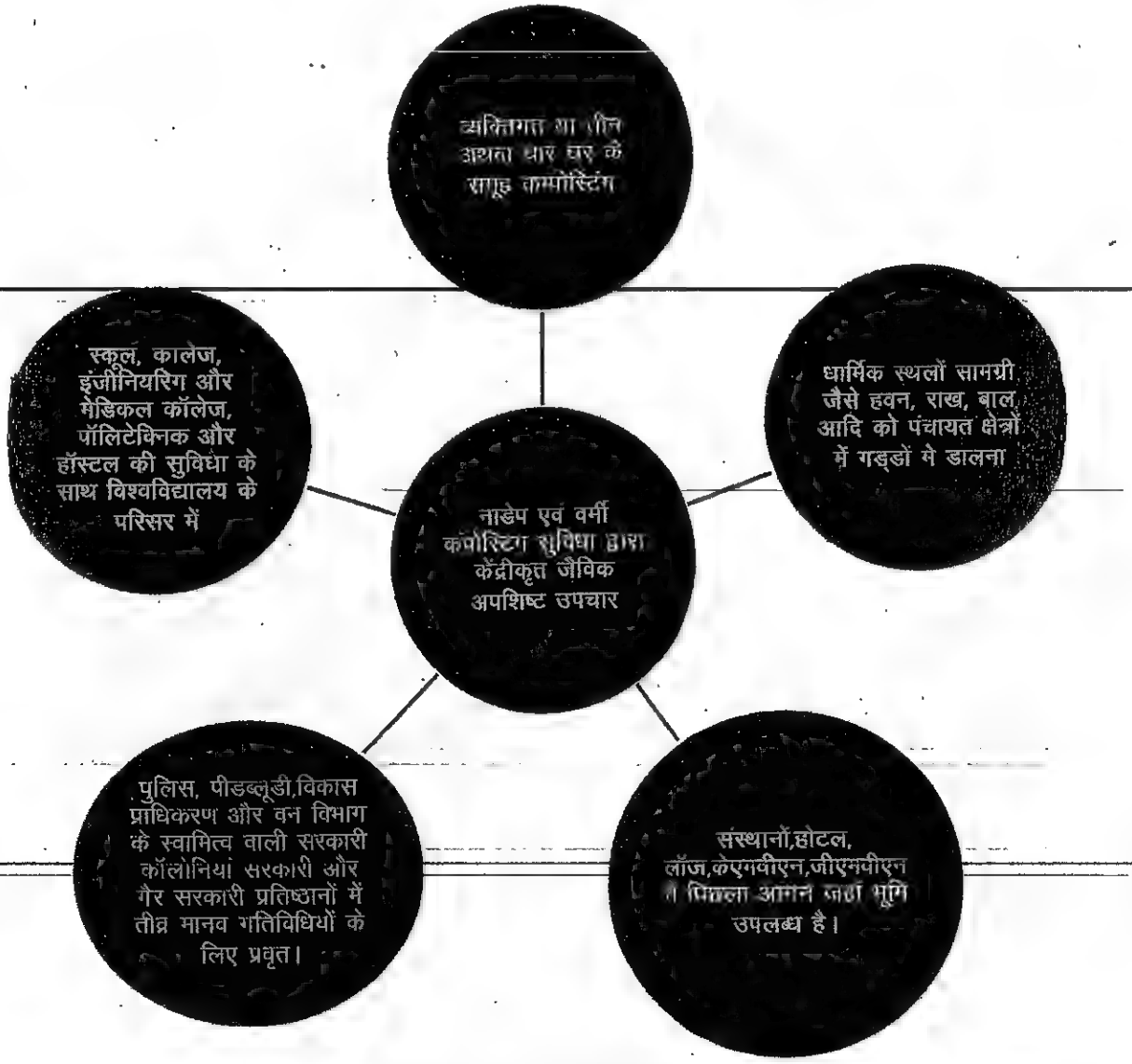

4.3. अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता की जिम्मेदारी

ठोस अपशिष्ट को स्रोत के अनुसार तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है जैसे–घरेलू, वाणिज्यिक और संस्थागत अपशिष्ट। घरेलू अपशिष्ट ग्राम पंचायत के अपशिष्ट का सबसे बड़ा हिस्सा 81 प्रतिशत है, घरेलू, संस्थागत (इस्टीट्यूशन) और वाणिज्यिक,बाजार, होटल और रेस्टोरेंट आदि अपने कूडें को मिश्रित रूप से निस्तारित करते हैं। इस तरह के अपशिष्टों का निपटारा खुले भूमि भरण (डंम्पिंग) के माध्यम से किया जाता है। संसाधन संरक्षण के लिए अपशिष्ट को स्रोत से ही अलग करने की जिम्मेदारी उत्पादनकर्ता की होगी।

4.3.1. अपशिष्ट के प्रकार के अनुसार पात्र में डालना

प्रत्येक घर, व्यापारी संस्थायें, होटल, रेस्टोरेंट आश्रम,पूजा के स्थानों में अलग अलग तरीके के अपशिष्ट को पृथक करने के लिए दो अलग–अलग जैविक एंव अजैविक कूड़ादान रखेंगे।

4.4 उपयोग शुल्क/पर्यावरण सेवा शुल्क

उपयोग /पर्यावरण (ईको–सिस्टम) सेवा शुल्क के भुगतान के माध्यम से अपशिष्ट संग्रह और निपटान की प्रक्रिया में लगने वाली लागत को समुदाय से लिया जाने का प्रावधान होगा। यह योगदान समुदाय के स्वामित्व और अपशिष्ट प्रबधन के बारे में जागरूकता विकसित करेगा। यह साझेदारी आने वाले समय में एक बहुआयामी और बहुहितधारक साझेदारी विकसित करेगा जो संसाधनों के स्थायी उपयोग और इसके निपटान के लिए आवश्यक है। गॉव की स्वच्छता समितियों और अपशिष्ट संग्रह दल की बेहतर सेवा के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्यक्रम को उनके स्वामित्व में लाना होगा।

4.5.1 ठोस अपशिष्ट नियमों के अनुसार मौजूदा प्रणाली का सुधारीकरण

4.5.1.1 अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण

उपभोक्ता ठोस अपशिष्ट को दो व्यापक श्रेणियों में विभाजित करेगा, गीले जैविक अपशिष्ट के प्रमुख घटक रसोई के अपशिष्ट होते है जबकि सूखा /अजैविक कागज, प्लास्टिक, धातु और गिलास होते है। ग्राम पंचायत के अपशिष्ट के पृथक्करण के लिए कूडादान निर्धारित रंग कोड अपशिष्ट प्रबंधन के नियम 2016 के अनुसार होगें।

4.5.1.2. घर –घर से संग्रहः

गीला अपशिष्ट प्रत्येक दिन घर–घर से संग्रह किया जाएगा और सूखे अपशिष्ट को सप्ताह में दो बार एकत्र किया जायेगा।

4.5.1.3 परिवहन :

तरल व सड़े अपशिष्ट की समस्याओं से बचने के लिए उसका परिवहन बन्द डिब्बों में किया जायेगा।

4.5.1.4 निपटान और उपचार :

पर्वतीय और मैदानी क्षेत्र में स्थित पंचायतों में जैविक अपशिष्ट से वर्मी एवं नाडेप तकनीक द्वारा खाद बनायी जायेगी। शेष अपशिष्ट पृथक करके अंतिम उपयोग अथवा निपटान के लिए भेजा जाएगा।

4.5.2 मूल्य आधारित प्रणाली

मूल्य आधारित पुनरावर्तनीय अपशिष्ट जैसे अखबार धातु, उच्च गुणवत्ता का प्लास्टिक और कांच की बोतलें आदि जो कबाडियों द्वारा घर–घर जाकर लाया जाता है उसको घर में ही पृथक किया जाता है। लगभग 15–20 प्रतिशत मूल्य आधारित अपशिष्ट का निपटान कबाड़ियों द्वारा किया जाता है।

4.5.3 कम मूल्य आधारित प्रणाली– कबाड़ियों की भागीदारी

कथित अपशिष्ट को हर कोई अपशिष्ट नहीं मानता है। कूड़ा निस्तारण स्थल पर कबाडियों द्वारा छोटे पैमाने पर दूसरे लोगों से अपशिष्ट से मूल्य प्राप्त करते हैं, संस्थागत औपचारिक क्षेत्र के माध्यम से इन अनौपचारिक क्षेत्र की साझेदारी, संसाधन वसूली और ऊर्जा संरक्षण के लिए अवयव परावर्तन (मटीरियल डाइवरसन) कार्यक्रम को पूर्ण करेगा।

भाग– 5

अभिनव तकनीकें

5.1 कचरे से ऊर्जा

कचरे से ऊर्जा प्रौद्योगिकी को कूड़े की मात्रा के अनुसार किया जा सकता है। राष्ट्रीय मास्टर प्लान देश के लिए उपयुक्त ऊष्मई (थर्मल) प्रक्रिया आधारित गैसीकरण और पायरोलिसिस तकनीक की सिफारिश करता है। बायो मीथेनीकरण वहॉ ऊर्जा उत्पन्न करने में सफल रहा है जहॉ कचरा समरूप हो, जैसे बायोमास, गाय का गोबर, मुर्गी पालन, बूचडखानों का अपशिष्ट इत्यादि।

5.2 अपशिष्ट के आकार को कम करने का संघनीकरण उपकरण (कॉम्पैक्टर)

अजैविक (गैर बायोडिग्रेडेबल) अपशिष्ट विशेष रुप से प्लास्टिक और कागज़ को सामान्य प्रक्रिया में ग्राम पंचायत की अपशिष्ट धाराओं में डाल दिया जाता है। इन सामग्रियों की उच्च पुनर्चक्रणीय क्षमता होती है और इस तरह उन्हें लम्बी दूरी पर परिवहनीय बनाने के लिए सघनीकरण (कॉम्पैक्ट) किए जाने की आवश्यकता होती हैं, जिससे संघनीकरण के बाद कचरे के मूल्य में वृद्धि हो जाती है। धातु और काँच मूल्यवर्धी सामग्री हैं अपशिष्ट से ग्राम पंचायत के लिये राजस्व अर्जित कर सकती है।

5.3 जैविक अपशिष्ट से खाद निर्माण

जैविक कचरा एक बहुमूल्य संसाधन है और इसे खाद बनाने की तकनीक नाडेप एवं वर्मी कम्पोस्ट के माध्यम से उपयोग में लाया जा सकता है, इसके अलावा यह प्रक्रिया कार्बन को सोखने में भी मदद करती है और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को रोकता है।

5.4 पुनर्चक्रण के बाद अवशेष कूड़े का निस्तारण स्थल (लैंडफिल साइट)

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और हैडलिंग नियम 2016 की **अनुसूची–I** के अनुपालन में वैज्ञानिक रुप से तैयार किए गए लैंडफिल में कॉम्पैक्शन और कम्पोस्टिंग के बचे हुए अवशेषों को समाप्त करने की आवश्यकता है। अवयव परावर्तन (मटिरियल डाईवर्जन) रणनीति अवशेषों की मात्रा को कम कर देती है यह अपशिष्ट कचरे को संभालने का उपयुक्त तरीका है। पहाडी क्षेत्रों में लैंडफिल का निर्माण ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हैडलिंग नियम 2016 के अन्तर्गत प्रतिबन्धित है। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि निर्माण एवं विनाश से जनित अपशिष्ट

(कन्सट्रक्शन और डिमोलिशन) को लैंडफिल में ना डाला जाए क्योंकि यह उनके जीवनकाल को छोटा कर देता है।

5.5 निर्माण एवं विनाश से जनित अपशिष्ट (कन्सट्रक्शन और डिमोलिशन) संग्रह केन्द्र

निर्माण एवं विनाश से जनित अपशिष्ट (कन्सट्रक्शन और डिमोलिशन): अपशिष्ट कचरे में निर्माण व विनाश सामग्री,रास्ता कटान भूस्खलन और सड़क के किनारों से उत्पन्न सभी अपशिष्ट शामिल होते है। इस तरह के कचरे के निपटान के लिए विशिष्ट दिशा निर्देशों के अनुसार पुनर्उपयोग में लाने का प्रावधान है।

5.6 सड़कों के निर्माण में प्लास्टिक का उपयोग

पौलीथीन अपशिष्ट जिसकी गुणवत्ता 1500 किलो कैलौरी प्रति किलोग्राम होगी, उसको पुनर्चक्रित कर लोक निर्माण विभाग व सड़क निर्माण में जुड़ी अन्य एजेन्सियों द्वारा सड़क निर्माण में उपयोग करने का प्रावधान है।

भाग – 6
प्रसंस्करण दिशानिर्देश

6.1 पुनः उपयोग में आने वाले अपशिष्ट को हटाना

कचरे के वैज्ञानिक उपचार के लिए एक संसाधन के रुप में ठोस कचरे के पुनर्नवीनीकरण सामग्रियों को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है।

6.1.1 अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता के उत्तरदायित्व

कचरा उत्पन्नकर्ता कचरे को स्रोत पर ही अलग करेगा।

6.1.1.1 गीला /जैविक अपशिष्ट

रसोई अपशिष्ट जिसमें छिलके और बचा हुआ भोजन शामिल है उन्हें कम्पोस्टिंग के माध्यम से निपटान कि लिए अलग से रखा जायेगा।

6.1.1.2 सूखा/जैविक अपशिष्ट

सूखा कचरा जिसमें कागज़, प्लास्टिक (सभी प्रकार), दवाओं के खाली रैपर, सिरप की बोतलें, धातु और इत्यादि को अलग से डिब्बों में रखा जायेगा।

6.2 अपशिष्ट को मिश्रित न करना

कचरा संग्रहकर्ता को यह सुनिश्चित करना है कि कचरा मिश्रित नहीं किया जायेगा और क्षेत्र विशिष्ट की आवश्यकताओं के अनुसार अपशिष्ट संग्रह के लिए एक समय सारिणी निर्धारित कर अपशिष्ट का निस्तारण किया जायेगा।

6.3 घरों से उपचार स्थल तक परिवहन

अलग अलग कचरे को विशिष्ट रुप से निर्मित किये गये वाहनों में ले जाने की आवश्कता है यहां पर यह भी सुनिश्चित करना होगा कि अपशिष्ट मिश्रित न हो। गीला कचरा दैनिक आधार पर एकत्रित होगा जबकि सूखा कचरा सप्ताह में एक या दो बार एकत्रित किया जाएगा।

6.3.1 रिक्शा और हाथ गाड़ियॉं

कचरे के रिसाव और बिखराव को रोकने के लिए घर घर से संग्रहित कचरा विशिष्ट परिवहन वाहनों जैसे पहाडी क्षेत्रों में कंधों पर उठाए जाने वाले डिब्बे, हाथ गाड़ी और मैदानी क्षेत्रों से जुड़ी पंचायतों में रिक्शा द्वारा किया जायेगा।

6.3.2. माध्यमिक संग्रह स्थान

उपभोक्ता अपशिष्ट के अंतिम निपटान के लिए पर्याप्त डिब्बे/संग्रहण (कंटेनरिंग) केन्द्रों पर उपलब्ध करवाना।

6.4. प्लास्टिक की पुनर्प्राप्ति

सुखें अपशिष्ट को चार घटकों में विभाजित किया जायेगा जैसे– कागज, प्लास्टिक, कॉच और धातु। कई प्रकार के प्लास्टिक होने से इन्हें सात भागों में अलग किया जायेगा (प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन हैंडलिंग नियम–2016 की अनुसूची) व सघनीकरण (कॉम्पैक्ट) करके पुनर्चक्रण के लिए भेजा जायेगा।

6.4.1. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शैक्षिक रणनीतिः

प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए,स्कूलों,कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जायेगा। इसके अलावा समुदाय के लिए उपयोगी एवं जनकारीप्रद पाठय सामग्री के रूप में तैयार की जायेगी।

6.4.2 प्लास्टिक निर्माता की जिम्मेदारी

प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन हैडलिंग नियम 2016 के "पौल्यूटर पैसं सिद्धान्त" के आधार पर प्लास्टिक प्रदूषक उत्पादक एवं प्रदूषण फैलाने वाली कम्पनियों से सेवा शुल्क लेने का प्रावधान है साथ ही उद्योग व कंपनियों अपने पैकिंग के प्रति जबावदेह भी होगी।

6.4.3. पुनर्चक्रण प्रावधानः

प्लास्टिक का पुनर्चक्रण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के दिशानिर्देशों के अनुरूप किया जायेगा। पैकिंग और अन्य उपयोग किये जाने वाले थर्मोप्लास्टिक का एक छत के नीचे प्रबन्धन किया जा सकता है लेकिन पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है। सभी सात (7) पौलिमरस का जीवन चक्र अलग होता है। इसे संभावित अपशिष्ट डीलरों और इकाइयों को अंतिम उपयोग निपटान के लिए जोड़ा जायेगा।

6.4.4 पाईप निर्माण इकाईयाः

फिल्म प्लास्टिक्स को एक्सटूर्जन (Extrusion) व मोल्डिंग के द्वारा पाइप जैसे टिकाऊ वस्तुओं को बनाने में उपयोग किया जायेगा। एच.डी.पी. या पीपी से बने हुए थैलों में बहुत कम मूल्यवर्धन होता है। इस अपशिष्ट को माध्यमिक कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जायेगा।

6.4.5. प्लास्टिक के लिए विनियामक रूपरेखा:

ग्राम पंचायत यह सुनिश्चित करेगी कि प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रबंधन प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हैडलिंग नियम 2016 और अन्य अजैविक अपशिष्ट का उपयोग व निपटान उत्तराखण्ड प्लास्टिक अपशिष्ट एवं अन्य अजैविक अपशिष्ट अधिनियम–2013 के अनुसार होगा। इस अधिनियम के अनुसार नियम का अनुपालन न होने की स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा जुर्माना व चालान करने का प्रावधान है।

6.5. कागज की पुनर्प्राप्ति

कागज एक बहुमूल्य संसाधन है इसे मिल बोर्ड, डिब्बों,रिकार्ड पेपर,और स्क्रैप में वर्गीकृत किया जा सकता है। इसको पृथक करके सघनीकरण उपकरण (Compactor) द्वारा सघन करके पुनर्चक्रण इकाईयों में भेजा जायेगा।

6.6. धातु की पुनर्प्राप्ति :

टिन और कच्ची सामग्री युक्त धातु को पुनर्चक्रण के माध्यम से अंतिम उपयोग और निपटान के लिए सघनीकरण कर के पुनर्चक्रित किया जायेगा।

6.7. कॉच की पुनर्प्राप्ति :

कॉच के रूप में बोतलें, टूटे गिलास क्रॉकरी, बल्ब अपशिष्ट को पृथक कर के पुनर्प्राप्त और पुनर्चक्रित किया जायेगा।

6.8. जैविक अपशिष्ट से खाद बनाना:

जैविक अपशिष्ट में लगभग 60 प्रतिशत जैविक पदार्थ होते है जिनमें 70 प्रतिशत नमी होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, और पोटेशियम (एन.पी.के) जैसे आवश्यक तत्व, जो मिट्टी की उर्वरक शक्ति को बढ़ाते हैं उन्हें कम्पोस्टिंग के माध्यम से पुनर्चक्रित किया जायेगा।

6.8.1. जैविक अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण:

रसोई घरों में उत्पन्न जैव विघटनशील अपशिष्ट को अलग रखा जायेगा जिससे अच्छी गुणवत्ता व प्रदूषक रहित खाद तैयार की जा सकेगी।

6.8.1.1 घर –घर से अपशिष्टों का संग्रहण:

पहाड़ी क्षेत्रों में घरों से उत्पन्न जैविक अपशिष्ट को उठा कर कूड़ादान में एकत्र किया जाएगा। मैदानी क्षेत्रों में वाहन/रिक्शा में स्थित कूड़ादानों में एकत्रित किया जायेगा। पहाडी एवं मैदानी क्षेत्रों के इस अपशिष्ट को कम्पोस्टिंग साइट पर उपचार के लिए ले जाया जाएगा। सूखे कचरे के एकत्रीकरण के लिए न्यूनतम मूल्य पर एल.डी.पी.ई के प्लास्टिक बैग ग्राम पंचायत द्वारा सभी परिवारो को मूल्य पर उपलब्ध करवाये जायेगें। इससे अपशिष्टों का स्रोत पर पृथक्कीकरण एवं भण्डारण किया जा सकेगा।

6.8.2. उपचार प्रक्रिया:

पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में स्थित ग्राम पंचायतें विकेन्द्रीकृत कम्पोस्टिग व्यवस्था सुनिश्चित करेगें। ग्राम एवं वार्डो में उपलब्ध भूमि को जैविक अपशिष्ट को बातजीवी कम्पोस्टिकरण द्वारा उपचारित करेगा।

6.8.2.1.एरोबिक पद्धति से खाद बनाना

जैविक अपशिष्ट को नाडेप या वर्मी कम्पोस्ट विधि से खाद बनायी जायेगी। कम्पोस्टिग की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करने के लिए उत्तप्रेरक के रूप में प्रभावी सूक्ष्म जीवी समाधान, गायों का गोबर और सीरे का उपयोग किया जाएगा।

6.8.2.2 कृषि,बागवानी और वनस्पति में नाडेप एवं वर्मी खाद का उपयोग :–

नाडेप एवं वर्मी खाद द्वारा कृषि,बागवानी और वानस्पतिक अपशिष्ट का निपटान करने के लिए ग्राम पंचायतें विशेष प्रावधान करेगी।

6.8.3. कृषि उद्देश्य के लिए खेतों में खाद का उपयोग:–

ग्राम पंचायत ठोस अपशिष्ट से बनी हुई खाद का प्रयोग खेतों में कृषि के लिए करेगें।

6.8.4.खाद के उपयोग के लिए स्थानीय विभागों को दिशा–निर्देश:–

खाद को वन, उद्यान और जैविक बोर्ड को भी बेचा जा सकता है।

6.9. ईकाई की स्थापना

थोक, मध्यम और अल्प अपशिष्ट उत्पादकों के लिए एक दिशा निर्देश जारी करना होगा जिससे इस अपशिष्ट का प्रबन्धन नियमों के अनुरूप हो सकें। निर्माण एवं विनाश से जनित अपशिष्ट (कन्सट्रक्शन एण्ड डिमोलिशनन) को सड़को और फुटपाथों के निर्माण में उपयोग किया जायेगा। इसके लिए निर्माण एवं विनाश से जनित अपशिष्ट(कन्सट्रक्शन एण्ड डिमोलिशनन) अपशिष्ट के संग्रहण के लिए एक केन्द्रीकृत व्यवस्था की जायेगी। इस अवशिष्ट से पेवर्स और ईंट बनाने हेतु पुनर्चक्रण इकाईयॉ स्थापित की जायेगी।

6.10 बचे हुए अपशिष्ट का सेनिटरी लैंडफिल में भंडारण करना:–

समस्त अपशिष्टों के उपचार के उपरान्त बचे हुये अपशिष्ट को ग्राम पंचायतें मैदानी क्षेत्रों में स्थित सेनिटरी लैडफिल में निस्तारित करेगी। जिला अधिकारी एवं जिला अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी द्वारा अपशिष्ट प्रसंस्करण और सेनिटरी लैडफिल के लिए भूमि का चयन किया जायेगा। सेनिटरी लैडफिल की संतृप्ति पर एम.एस.डब्लू नियम 2016 की अनुसूची 3 के अनुसार वृक्षारोपण के माध्यम से इन सेनिटरी लैडफिल स्थलों को हरित पटटी द्वारा स्थायित्व दिया जायेगा।

6.10.1 पुनर्चक्रण के अयोग्य अपशिष्टों का निपटानः–

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हैडलिग नियम 2016 के अनुपालन में डाइपर्स, तौलिए या नेपकिन, टैम्पोन,कंडोम, इनकंटीनेंस शीट और कोई अन्य समरूप अपशिष्ट को अजैविक अपशिष्ट के साथ निस्तारित किया जायेगा। इसको पृथक करके भूमि में बडे गड्डों में दबाया जायेगा या भष्मीकरण (INCINERATOR) यंत्र द्वारा उपचारित किया जायेगा।

6.10.2. गैर पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट :– 1500 कि० कैलोरी/कि.ग्रा या अधिक कैलोरीफिक मान रखने वाले गैर पुनर्चक्रण अपशिष्टों को ईंधन की तरह ऊर्जा उत्पन्न करने वाले संयत्रों में भेजा जाएगा। इन अपशिष्टों का उपयोग लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क बनाने में उपयोग किया जायेगा।

6.10.3 घरेलू घातक अपशिष्टः– जैसे– एयरोसोल के डिब्बे,बैटरी,ब्लीच,रसायन,सॉल्वैंट्स, लिथियम,पेंट्स,स्नेहक,थिन्नर के डिब्बे आदि, सामान्य चिकित्सा अपशिष्ट जैसे– इंसुलिन सिरिंज,साइटोटॉक्सिक ड्रग्स,एक्सपायर्ड दवाएं आदि को पीले रंग के बैग में पैक किया जाएगा और खतरनाक अपशिष्ट के साथ बायोमेडिकल बेस्ट के साथ निस्तारित किया जायेगा।

6.11 ग्रामीण सड़कों /रास्तों एंव नालियों की सफाई कार्यो के लिए नियमः–

भारत सरकार के सी0एच0ई0ई0पी0ओ0 मैनुअल के आधार पर ग्राम पंचायतों में सड़कों, रास्तों एवं नालियों की सफाई के लिए सड़कों को निम्न आधार पर वर्गीकृत किया जायेगा।

उच्च जन घनत्व क्षेत्र = 350 मीटर

मध्यम जन घनत्व क्षेत्र = 600 मीटर

कम जन घनत्व क्षेत्र = 750 मीटर

भाग – 7

सामुदायिक जागरुकता और जन शिक्षा कार्यक्रम

7.1.जानकारीप्रद शिक्षा सामग्रीः–

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एक समुदाय आधारित कार्यक्रम है इसके लिए शिक्षा सामग्री को स्कूलों, उच्च शिक्षा संस्थानों, सरकारी एंव गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से समुदाय तक पहुँचाया जाएगा। ग्राम पंचायतों को क्षेत्र विशेष के अनुरुप विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि अपशिष्ट एकत्रण से लेकर उसके निस्तारण तक जन सहभागिता सुनिश्चित किया जा सके। ग्राम पंचायतों के वार्ड के माध्यम से समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित कराना, जिससे क्षेत्र की संपूर्ण स्वच्छता को बनाया रखा जाए।

7.2. राज्य स्तर पर प्रोत्साहन और निर्वहनः–

ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हैडलिंग नियम 2016 और जी.ओ.113/07/XII/30(11)2006 दिनांक 02/04/2007 को लागू करने में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले ग्राम पंचायतों को स्वमूल्याकंन के माध्यम से प्रमुख संकेतकों के आधार पर पुरस्कार दिया जाएगा। उनका मूल्यांकन एक सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो अच्छी तरह से एस.डब्लयू.एम नियम 2016 और समग्र स्वच्छता अभियान से भिज्ञ हो। नीति का पालन न करने वाले और नीति में चूक करने वाले गैर जिम्मेदार ग्राम पंचायतों को दण्डित किया जाएगा जिसके लिए ग्राम प्रधान जवाबदेह होगा।

7.3. ग्राम पंचायतों के लिए डाटा बैंक और अन्य कार्यक्रमः–

समय–समय पर भौतिक सत्यापन के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन कार्यक्रम के अनुश्रवण एवं निगरानी के लिए निदेशालय स्तर पर एक डेटा बैंक बनाया जाएगा। ग्राम पंचायत स्तर पर विस्तृत परियोजना विवरण तैयार करने तथा ग्राम पंचायतों को राज्य एवं केन्द्र से प्राप्त होने वाली धनराशि/रेखीय विभागों की योजनाओं से प्राप्त होने वाली धनराशि से कूड़ा प्रबन्धन के लिए अवस्थापना सम्बन्धित सुविधायें जुटाई जायेंगी।

7.4. क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण :–

ग्राम पंचायतों को ठोस अपशिष्ट के समुचित प्रबन्धन के लिए समय–समय पर क्षमता निर्माण व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेगे। नियमों के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन में प्रशिक्षण दिया जायेगा।

7.5 अपशिष्ट प्रवाह

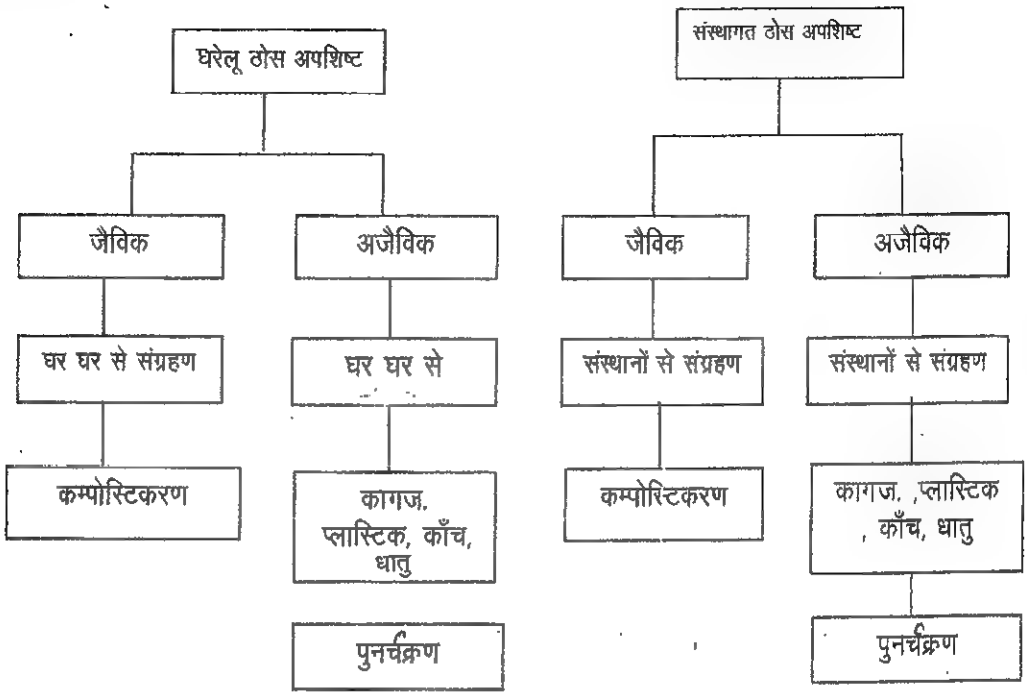

भाग – 8

बायोमैडिकल कचरे का प्रबंधन

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (यू.ई.पी.पी.सी.बी) जैव–चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन और हैंडलिंग नियम 2016 के अनुसार जैव चिकित्सा कचरे को अनिवार्य रुप से प्रबन्धन करेगा।

8.1 अस्पताल, क्लीनिक, रोग विज्ञान केन्द्र नर्सिंग होम से संग्रह

मैडिकल कचरे को स्रोत पर अलग किया जाना चाहिए और श्रेणियों के अनुसार एकत्र किया जाना चाहिए और नीचे सारणी के रुप में निपटाया जाना चाहिए :–

कलर कोड	डिब्बे का प्रकार	अपशिष्ट का प्रकार	उपचार का विकल्प
पीला	प्लास्टिक बैग	1, 2, 3,5,6 व 7	इंसीनिरेशन प्लाज्मा पायरोलसिस गहराई से दबाना
लाल	प्लास्टिक बैग	8	ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग, या केमिकल ट्रीटमैंट, पुनर्चक्रण
सफेद	प्लास्टिक बैग	4	ऑटोक्लेविंग, माइक्रोवेविंग या केमिकल ट्रीटमैंट, डिस्ट्रक्शन श्रेडिग
नीला	प्लास्टिक बैग	9, 10	पुनर्चक्रण द्वारा निस्तारण

8.1 अपशिष्ट की श्रेणियां इस प्रकार हैं:–

1 = हयूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, 2 = एनिमल वेस्ट, 3 = माइक्रोबायोलोजी एण्ड बायो टैक्नोलोजी वेस्ट, 4 = डिसकार्डिड मैडिसिन एण्ड सायटोटोक्सिक ड्रग्स, 5 = सॉइल्ड वेस्ट, 6 = कन्टैमिनेटिड वेस्ट (रीसाइक्लेब्ल), 7 = वेस्ट शार्प, 8 = मैटालिक बॉडी इम्पलान्ट, 9 = ग्लास वेस्ट एवं 10 = कैमिकल वेस्ट

भाग –9

संस्थागत ढ़ॉचा

संस्थागत ढाचा, शब्द औपचारिक संगठनात्मक संरचनाओं, नियमों और सेवा प्रावधान के लिए अनौपचारिक मानदण्डों के एक संग्रह को प्रदर्शित करता है। इस तरह के ढॉचा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हस्तक्षेप के सफल क्रियान्वयन की पूर्व अर्हता है ।

9.1. राज्य स्तर पर कार्यकारिणी समिति :

अधिकारी	पद	गतिविधि	अनुमानित परिणाम
मुख्य सचिव	अध्यक्ष	• कार्यक्रम की समीक्षा एवं निर्देश जारी करना। • कार्यक्रमों का समय– समय पर अनुश्रवण करना • एक समग्र नीति विकसित करने के लिए विभागों के साथ सहभागिता • वित्त प्रबन्धन • शहरी क्षेत्रों के लिए आई.एस. डब्ल्यू एम पर राज्य नीति को अपनाना	• आई.एस.डब्ल्यूएम कार्यक्रम में लचीलापन और अनुकूलनशीलता • कचरे की समस्या का एकीकृत समाधान • ग्रामीण इलाकों में आई.एस. एब्ल्यू.एम. कार्यक्रम को उनके अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत कार्यान्वयन सुनिश्चित करना • सरकार की स्वच्छ भारत अभियान की नीति लक्ष्य को प्राप्त करने में आई. एस.डब्ल्यू.एम, को भाग लेने और समर्थन करना, भारत की पर्यटक आबादी के बीच जागरूकता निर्माण गतिविधियो।
प्रमुख सचिव/सचिव पंचायतीराज	सदस्य/ सचिव		
प्रमुख सचिव/सचिव वित्त	सदस्य		
प्रमुख सचिव /सचिव शहरी विकास	सदस्य		
प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यटन	सदस्य		
प्रमुख सचिव/सचिव वन और पर्यावरण	सदस्य		• योजनाओं के निष्पादन में वित्तीय व्यवस्था को नियोजित करना • वनों के लिए वन संरक्षण अनिधिनिय 1986 को कार्यान्वित करना और

			सेनेटरी लैडफिल एवं खाद तैयार करने हेतु भूमि को चिन्हित करना। • यू.ई.पी.पी.सी.बी, बी.एम. डब्ल्यू प्रबन्धन को प्रभावी ढंग से लागू करना।
प्रमुख सचिव / सचिव आवास	सदस्य		• अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत गांवों में ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए आवास कॉलोनियों की योजना बनाते समय संरचनात्मक परिवर्तन शामिल करना, । • अवशिष्टों का उपयोग फुटपाथ और सड़क निर्माण के लिए नीति विकसित करना। • आई.एसडब्ल्यू.एम गतिविधियों के लिए भूमि की पहचान/प्रमाणीकरण के लिए एस.डब्ल्यूएम प्राधिकरण की स्थापना एवं कार्य मॉडल तैयार करना। • नीतियों को लागू करना
प्रमुख सचिव / सचिव लोक निर्माण विभाग	सदस्य		
सदस्य सचिव राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड	सदस्य		
सचिव,पेयजल	सदस्य		
निदेशक, पंचायतीराज	सदस्य		

9.2 निदेशालय स्तर पर सलाहकार समिति

अधिकारी	पद	गतिविधि	अनुमानित परिणाम
निदेशक	अध्यक्ष	• समन्वय एवं निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करवाना • बीएमडब्ल्यू के नियम का अनुपालन करना • पर्यटन संबंधी गतिविधियों में	• ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत स्तर पर नीतियों को लागू करना • आई.एस.डब्ल्यू.एम नीति और मास्टर प्लान के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना • दूषित बी.एम.डब्ल्यू के सुरक्षित निपटान को सुनिश्चित करना
संयुक्त निदेशक	सदस्य सचिव		
क्षेत्रीय अधिकारी, यूई.पीपी.सी.बी	सदस्य		
उप निदेशक उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद्	सदस्य		

विशेषज्ञ	सदस्य	जागरूकता	• स्वच्छ भारत अभियान का अनुपालन सुनिश्चित करना • कार्यान्वयन की निगरानी और ग्राम पंचायतों में अपशिष्ट प्रबन्धन के लिए तकनीकी सहयोग देना।
एस.डब्ल्यू.एम		• ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन पर नियमित रूप से नियमों से विज्ञ करना	

9.3. जिला स्तर पर निगरानी और कार्यान्वयन समिति :

अधिकारी	पद	गतिविधि	अनुमानित परिणाम
जिला अधिकारी	अध्यक्ष	• समन्वय एवं जारी निर्देशों का परिपालन सुनिश्चित करवाना व • समय–समय पर कार्यक्रम की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश जारी करना। • जिला पंचायत प्रशासित क्षेत्रों के लिए आईएसडब्ल्यूएम पर नीति को अपनाना	• जिला स्तर पर पर आईएस. डब्ल्यूएम कार्यक्रम के अन्तर्गत क्रियान्वयन की समीक्षा। • अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत पेरी शहरी क्षेत्रों/ ग्राम पंचायत में आईएसडब्ल्यूएम कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना • स्वच्छ जंगलों को सुनिश्चित करना और कचरे की पहचान करने मे मदद करना–खाद साइटों और सेनेटरी लैडफिल के विकास के लिए जमीन के चयन में सहयोग करना • कार्यक्रमों को ग्राम पंचायत स्तर पर क्रियान्वित करवाना • भारत सरकार की स्वच्छ भारत अभियान की नीति लक्ष्य को प्राप्त करने में आईएसडब्ल्यूएम को भाग लेने और समर्थन करना। • जीएमवीएन ओर केएमवीएन में आईएसडब्ल्यूएम कार्यक्रम के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना • अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत गांवों में
मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य		
प्रभागीय वन अधिकारी	सदस्य		
जिला पंचायतराज अधिकारी	सदस्य / सचिव		
जिला पर्यटन विकास अधिकारी	सदस्य		
विनयमित क्षेत्रों और विकास प्राधिकरण के सचिव	सदस्य		
लोक निर्माण विभाग /सड़क निर्माण में लगी अन्य एजेन्सियों के नोडल अधिकारी	सदस्य		
मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य		
जिला परियोजना अधिकारी– बाल विकास	सदस्य		
नोडल अधिकारी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण	सदस्य		
मुख्य शिक्षा अधिकारी	सदस्य		
अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत	सदस्य		
खण्ड विकास अधिकारी	सदस्य		
मुख्य नगर अधिकारी	सदस्य		

/ अधिशासी अधिकारी			ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए आवास कॉलोनियों की योजना बनाते समय संरचनात्मक परिवर्तन शामिल करना,।
स्थानीय निकाय			• अवशिष्टों से तैयार उत्पादों का उपयोग फुटपाथ और सड़क निर्माण के लिए नीति का परिपालन सुनिश्चित करना।
ब्लाक प्रमुख	सदस्य		• अपने कार्यक्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन को सुनिश्चित करना
			• अपने कार्यक्षेत्र में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन को सुनिश्चित करना

9.4. जिला स्तर पर सलाहकार एवं अनुश्रवण समिति :

अधिकारी	पद	गतिविधि	अनुमानित परिणाम
अध्यक्ष, जिला पंचायत	अध्यक्ष	• कार्यक्रमों की समीक्षा करना • गतिविधियों का अनुश्रवण कर आवश्यक दिशा निर्देश देना • आई.एस.डब्ल्यू. एम. को अंगीकृत करना	• जिला स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन को क्रियान्वित करने के लिए मार्गदर्शन देना। • जनपद स्तर पर नीति को के प्रावधानों का अपनाने के लिए वातावरण बनाना।
मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य/ सचिव		
जिला पंचायतराज अधिकारी	सदस्य		
अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत	सदस्य		
प्रमुख क्षेत्र पंचायत	सदस्य		
मुख्य कृषि अधिकारी	सदस्य		
जिला उद्यान अधिकारी	सदस्य		
प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य		
नोडल अधिकारी स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण	सदस्य		
अधीक्षण अभियन्ता लो0नि0वि0	सदस्य		
अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान	सदस्य		
जिला पर्यटन अधिकारी	सदस्य		
प्रत्येक ब्लाक से 2 नामित ग्राम प्रधान	सदस्य		

9.4.1. पंचायत स्तर पर भूमिका और उत्तरदायित्व :

संबंधित जिले के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी इन नियमों एवं प्रावधानों को लागू करवाने की होगी, जो उनके क्षेत्राधिकार क्षेत्रीय सीमाओं के भीतर हैं। जिलाधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत के अंदर ठोस अपशिष्ट के प्रसंस्करण हेतु भूमि का चयन सुनिश्चित किया जायेगा।

9.4.2 ग्राम पंचायत स्तर पर मशीनरी/उपकरणों की खरीद :

संबंधित जिले के जिलाधिकारी/जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी यह सुनिश्चित करेगें कि ग्राम पंचायतों द्वारा ठोस अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन के लिए वांछित उपकरणों का क्रय उत्तराखण्ड राज्य खरीद नियमों के अनुपालन में ही हो।

9..5 समूह कार्य के माध्यम से ग्राम पंचायत स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के क्रियान्वयन हेतु समिति का प्रारूप

- अध्यक्ष, ग्राम पंचायत द्वारा अध्यक्षता
- ग्राम पंचायत विकास अधिकारी – सचिव
- निर्वाचित सदस्य
- एसडब्ल्यूएम में काम कर रहे प्रमुख गैर सरकारी संगठन
- वरिष्ठ नागरिक (सेवानिवृत्त)
- हितधारक – सामाजिक संस्थायें, धार्मिक प्रमुख, स्कूल, व्यापारी, संस्थान,होटल,आश्रम, पत्रकार; आशा कार्यकर्त्री,ए.एन.एम. आंगनवाडी कार्यकत्री, प्रत्येक एक सदस्य

भाग –10

मुख्य प्रदर्शन संकेतक

मुख्य प्रदर्शन संकेतक वाछिंत स्तर पर वितरण प्रणाली का आंकलन करने के लिए एक मात्रात्मक माप का उपकरण है इस सूचक का ध्यान ग्राम पंचायतों की समग्र सफाई के मामले में गुणात्मक शर्तो में होना चाहिए और अपशिष्ट के पुनर्नवीनीकरण की मात्रा के डेटा बेस के आधार पर होना चाहिए।

ग्राम पंचायत के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतक :

परिपेक्ष	क्रियान्वयन क्षेत्र	ईकाई	क्रियान्वयन सूचक	परिणाम पैमाना
संस्थागत	ग्राम पंचायत स्तर पर कार्य समूह	सदस्यों की संख्या	नागरिक चार्टर का प्रारूपण और ग्रामीण स्वच्छता समिति के साथ एक समझौता	स्वयं के लेखा प्रणाली के साथ स्वच्छ समिति की संख्या
	घर घर से संग्रह के लिए नई संगठनात्मक संरचना को लागू करें	क्विंटल	घर– घर से कूड़ा संग्रह में कर्मचारियों का स्थान–निर्धारण, पहाड़ों में 50 घरों एवं मैदानी क्षेत्रों की पंचायतों में 100 घर पर एक स्वच्छक	ग्राम स्वच्छता समिति के माध्यम से अपशिष्ट स्रोत को अलग करना और उसका पुनर्चक्रण के माध्यम से अंतिम निपटान करने हेतु उपयोगकर्ताओं से अनिवार्य रूप से शुल्क लिया जाना।
	अजैविक पुनर्नवीनीकरण अपशिष्ट के माध्यम से उपभोक्ता अपशिष्ट और खाद की बिक्री के माध्यम से व्यापार और संस्कृति को बढ़ावा देना।	क्विंटल	अजैविक पुनर्नवीनीकरण कचरे में मूल्य श्रृंखला	पुनर्चक्रण और कम्पोस्ट की ब्रिक्री से राजस्व का उत्पादन।

	आंतरिक और बाहय हितधारकों के साथ संचार	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए नागरिक चार्टर के विकास और कार्यान्वयन		सभी हितधारकों की भागीदारी जिसमें स्कूल,होटल,लॉज,आश्रम और समुदाय आधारित संगठन शामिल है।	नागरिकों का प्राधिकार
	मानव संसाधन विकास	कार्यबल कौशल के विकास और कार्यान्वयन		उपभोक्ता अपशिष्ट और इसके निपटान के बाद अजैविक व खाद का पुनर्चक्रण	कचरे के खाद और पुनर्चक्रण का संवर्धन जिससे अपशिष्ट हैंडलिंग की क्षमता को बढ़ाना।
		कार्यबल कौशल विकसित करने पर खर्च बजट		अपशिष्ट संग्रह और निपटान के लिए नई तकनीक के क्रिस्टलीकरण के लिए आवश्यक खर्च	कुल वार्षिक बजट, आय
		अपशिष्ट न्यूनीकरण साझेदारी योजना का विकास	संख्या	अपशिष्ट को कम करने और निपटान के लिए भूमि की आवश्यकता के लिए एक समग्र योजना।	ऐसे क्षेत्रों को देखने के लिए जहॉ अपशिष्ट उत्पादन के आस पास अपशिष्ट का उपचार किया जा सके जैसे --होटल, संस्थान ,सरकारी उपनिवेश के अन्दर भूमि आदि।
		अपशिष्ट न्यूनीकरण संचार योजना		थोक उत्पादन में घर के आस पास में खाद बनाने के लिए अपशिष्ट न्यूनीकरण योजना का कार्यान्वयन।	अपशिष्ट न्यूनीकरण योजना को लागू करने के लिए अपशिष्ट उत्पादन को शामिल करना।

		स्कूलों के अपशिष्ट विकास और क्रियान्वयन जागरूकता और सूचना प्रसार	संख्या	स्कूल परिसर में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए एक पाठ्यक्रम आधारित कार्यक्रम जिसमें सरकार और पब्लिक स्कूल भी सम्मिलित हो।	परिसर के अंदर अपशिष्ट प्रबंधन के पृथक्करण और प्रबंधन के लिए बच्चों को प्रशिक्षण
		होटल, कर्मियों, आश्रमों लॉज आदि के लिए अपशिष्ट जागरूकता और शिक्षा योजना के विकास और कार्यान्वयन योजना	संख्या	एक कार्यवाही आधारित कार्यक्रम जो स्रोत के पृथक्करण और कुशल उपयोग के निपटान को बढ़ावा देना।	होटल, लॉज मालिकों को प्रशिक्षण के माध्यम से स्रोत पृथक्करण और पुर्नचक्रण के खाद और निपटान का महत्व बताना
	अपशिष्ट शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण	दुकानों, व्यापार केंद्रों, सड़क विक्रेताओं आदि के लिए अपशिष्ट जागरूकता और शिक्षा योजना के विकास और कियावन्यन योजना	संख्या	शाम/ रात के समय में अपशिष्ट का संग्रहण के लिए कार्यक्रम	शाम/ रात के समय में अपशिष्ट का संग्रहण के लिए कार्यक्रम
		सार्वजनिक कार्यक्रमों में जागरूकता और शिक्षा के विकास और क्रियान्वयन		घटनाओं के दौरान मेले, चार धाम यात्रा, धार्मिक समारोहों और उपदेशों, कार्यक्रमों, समुदाय आधारित संगठनों द्वारा आयोजित विवाह सामुहिक समारोहों के दौरान अपशिष्ट संग्रहण के लिए एक रणनीति तैयार करनी चाहिए।	कार्यक्रम संचालकों का प्रशिक्षण और एक उपयोगकर्ता शुल्क के लिए अपशिष्ट संग्रह और निपटान के विशेष प्रावधान।

		संग्रह कार्यो का अनुकूलन	कि.ग्रा.	अपशिष्ट एकत्रीकरण प्रति कर्मचारी प्रति दिन	प्रत्येक कर्मचारी द्वारा प्रत्येक माह में एकत्रित अपशिष्ट की कुल मात्रा
	अपशिष्ट संग्रहण		प्रतिशत	कंटेनीकृत वाहनों जैसे रिक्शा,ठेले,कूड़ादान सफाई कर्मी	अपशिष्ट संग्रहण के लिए पहाड़ी और मैदानी इलाकों के अनुकूल कूड़ा प्रबंधन जिससे अपशिष्ट का भण्डारीकरण किया जा सके।
		प्रबंधन प्रणाली	प्रतिशत	अपशिष्ट प्रसंस्करण से और निपटान नीति का विकास और कार्यान्वयन।	अवयव कम्पोस्टिंग और पुनर्चक्रण के माध्यम से निस्तारण नीति
	अपशिष्ट प्रसंस्करण और निपटान	निपटान सुविधायें		एम.एस.डब्यू नियम 2000 और जी.ओ No.113/07/XII/ 90(11)2006 दिनांक अप्रैल 2, 2007 का नियामक अनुपालन	अनुपालन की सीमा
		अपशिष्ट संग्रहण के स्थल और सामग्री की प्राप्ति से सम्बन्धित सुविधाएं	संख्या	नीति के आधार पर स्थानांतरण स्टेशनों के विकास को लागू करना।	उपलब्ध सुविधाओं की संख्या
		विकेंद्रीकृत और केंद्रीकृत आधार पर खाद की सुविधाएं।	कि.ग्रा./टन में संसाधित कचरे की संख्या और मात्रा	जैविक अपशिष्टों की पहचान करने के लिए योजना का विकास और कार्यान्वयन।	योजना का कार्यान्वयन

		निर्माण एवं तुड़ाई से जनित अपशिष्ट के निपटान के लिए नीति और कार्यान्वन योजना	टन	फुटपाथ और सड़कों का निर्माण करने के लिए ऐसे अपशिष्ट का उपयोग करने के लिए विशेष योजना।	योजना का कार्यान्वयन
	क्षेत्र की स्वच्छता	नीति और प्रबंधन योजना		क्षेत्र की सफाई सेवा की नीतियों को अंतिम रूप देना	नीति का कार्यान्वयन
				क्षेत्र की सफाई सेवा की नीतियों का कार्यान्वयन	कुल सार्वजनिक क्षेत्रों की सीमा जहां सेवा दी गई
				शहर की संपूर्ण स्वच्छता	मासिक आधार पर की गई प्रगति की तुलना, फोटोग्राफिक स्वच्छता सूचकांक का उपयोग करने के लिए मानकों का अनुपालन।
	प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन	नीति और प्रबंधन योजना	क्विंटल	प्लास्टिक की गुणवत्ता के अनुसार आंकलन	काठगोदाम में अपशिष्ट का अंतिम निस्तारण।
	सैनेटरी लैन्डफिल के विकास के लिए गांवों में क्लस्टर आधारित दृष्टिकोण	नीति और प्रबंधन योजना	क्विंटल	सैनेटरी लैन्डफिल एस. डब्ल्यू.एम नियम 2016 की अनुसूची 1 के अनुरूप	अवशेष कचरा और बाकि पुनर्चक्रण अयोग्य अपशिष्ट

भाग – 11

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन संस्थान स्थापित करने के लिए संगठनात्मक चार्ट:

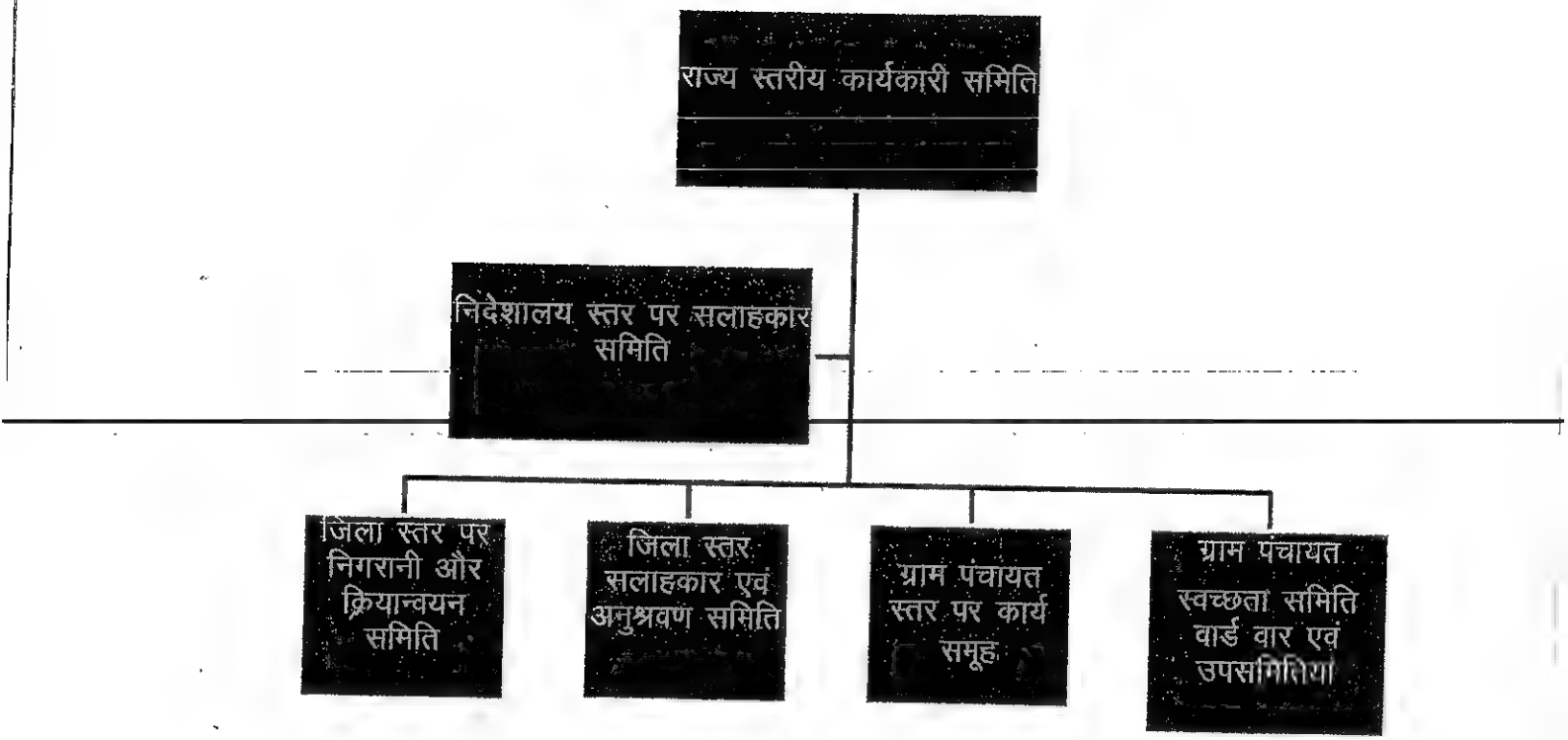

भाग – 12

उल्लंघन,दंड और पुरस्कार :

- कोई भी व्यक्ति/संस्थान /सरकारी निकाय जो अपशिष्ट को नालियों, सार्वजनिक सड़के, गली,सड़कों के किनारे,पहाड़ी ढलानों,जल स्रोत, नदी,नालों,नहरों या कोई ऐसा स्थान जहॉ पर अपशिष्ट डालना वर्जित है वहा पर डाले जाने पर पंचायत राज अधिनियम संख्या 46 की उपधारा 16 एवं 17 के अंतर्गत दण्ड का पात्र होगा।
- जो कोई नियमों का उल्लंधन करने में दोषी पाया जाता है उससे चालान और राजस्व वसूली का कार्य पूर्ण रूप से ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी होगी।
- यदि किसी ग्राम पंचायत के प्रधान/उपप्रधान, सदस्य अथवा अवशिष्ट प्रबन्धन से सम्बन्धित दायित्वों के निर्वहन हेतु अपेक्षित किसी अन्य पंचायत प्रतिनिधि के द्वारा यदि कार्यो में लापरवाही बरतना अथवा उससे/उनसे अपेक्षित दायित्वों की निर्वहन में अक्षम रहता है तो यह उसके कर्तव्यों के प्रति चूक एवं सुसंगत नियमों का उल्लघंन माना जायेगा तथा उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम 2016 की धारा 138 में दिये गये प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जा सकेंगी।
- ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन एवं हैडलिग नियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा 29 में पारित किये गये है। नियमों की अवहेलना पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में प्रावधित प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल की रिट याचिका नंबर 80/12 सांई नाथ सेवा मण्डल बनाम उत्तराखण्ड राज्य सरकार और अन्य के 16 मार्च 2017 के निर्णय में, ऐसे व्यक्ति जो उपरोक्त नीति को अनुपालन नहीं करते हैं उन पर वित्तीय दण्ड का प्रावधान निर्देशित है।

12.1 उत्कृष्ट कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कार

- ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली ग्राम पंचायतों को प्रति वर्ष पुरस्कृत जाएगा। पंचायतों की संख्या एवं प्रावधान राज्य स्तरीय समिति द्वारा तैयार किया जायेगा।

खण्डवार ज्ञापन

प्रस्तावित नीति ग्राम पंचायतों के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन की व्यवस्था को उपबन्धित करने के लिए अधिनियमित किया जा रहा है।

प्रस्तावित नीति पर खण्डवार ज्ञापन निम्नवत है।

खण्ड – 1 नीति की प्रस्तावना के सम्बन्ध में उपबंधित किया जाना प्रस्तावित है।
खण्ड – 2 पंचायतों के लिए उत्तराखंड ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति के सम्बन्ध में उपबंधित किया जाना प्रस्तावित है।

खण्ड – 3 (क) जिम्मेदार संस्थाएं –ग्राम पंचायतें के सम्बन्ध में उपबंधित किया जाना प्रस्तावित है।

खण्ड – 4 शासकीय सिद्धांत के सम्बन्ध में उपबंधित किया जाना प्रस्तावित है।

खण्ड – 5 अभिनव तकनीकें के सम्बन्ध में उपबंधित किया जाना प्रस्तावित है।
खण्ड – 6 प्रसंस्करण दिशानिर्देश के सम्बन्ध में उपबंधित किया जाना प्रस्तावित है।

खण्ड – 7 सामुदायिक जागरूकता एवं जन शिक्षा कार्यक्रम के सम्बन्ध में उपबंधित किया जाना प्रस्तावित है।

खण्ड – 8 बायोमेडिकल कचरे का प्रबन्धन के सम्बन्ध में उपबंधित किया जाना प्रस्तावित है।

खण्ड – 9 संस्थागत ढ़ाचा के सम्बन्ध में उपबंधित किया जाना प्रस्तावित है।

खण्ड – 10 मुख्य प्रदर्शन संकेतक के सम्बन्ध में उपबंधित किया जाना प्रस्तावित है।

खण्ड – 11 ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन संस्थान स्थापित करने के लिए संगठनात्मक चार्ट के सम्बन्ध में उपबंधित किया जाना प्रस्तावित है।

खण्ड – 12 उल्लंघन और दण्ड के सम्बन्ध में उपबंधित किया जाना प्रस्तावित है।

मनीषा पंवार,

प्रमुख सचिव, पंचायतीराज,
उत्तराखण्ड शासन।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 02 हिन्दी गजट/08 भाग 3 2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।
मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।

पंजीकरणसंख्या–यू0ए0 / डी0ओ0 / डी0डी0एन0 / 30 / 2018–2020

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 13 जनवरी, 2018 ई0 (पौष 23, 1939 शक सम्वत्)

भाग 8

सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि

नगर पालिका परिषद् महुआखेड़ागंज, ऊधमसिहं नगर

10 नवम्बर, 2017

पत्रांक 343 / न0पा0प0 / यूजर चार्ज / 2017–18–नगर पालिका परिषद्, महुआखेड़ागंज, ऊधमसिंह नगर सीमान्तर्गत उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड में यथा प्रवृत्त) की धारा–298 की उपधारा–2 खण्ड (झ) का (घ) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2011 के क्रियान्वयन हेतु "नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व यूजर चार्ज उपविधि, 2017" बनायी गयी है, यह उपविधि एवं उसमें निर्धारित दरें सरकारी गजट में प्रकाशन की तिथि से लागू माने जायेंगे।

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व यूजर चार्ज उपविधि, 2017

संक्षिप्त प्रसार एवं प्रारम्भः–

1. यह उपविधि नगर पालिका परिषद् महुआखेड़ागंज, ऊधमसिंहनगर की "**नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन व यूजर चार्ज उपविधि, 2017**" कहलायेगी।
2. यह उपविधि नगर पालिका परिषद् महुआखेड़ागंज, ऊधमसिंहनगर के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रभावी होगी।
3. यह उपविधि सरकारी गजट उत्तराखण्ड में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगी।

परिभाषायेंः–

(i) "**नगरीय ठोस अपशिष्ट**" के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुये ठोस या अर्द्ध ठोस के रूप से नगरीय / अधिसूचित क्षेत्रों में पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

(ii) "**उपविधि**" से अभिप्रेत उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 के उपबन्धों के अधीन गठित उपविधि से है;

(iii) "**नगर पालिका**" से अभिप्रेत संविधान के अनुच्छेद 243 (थ) के खण्ड 7 के उपखण्ड (ग) के अधीन किसी नगर के संगठित नगर पालिका परिषद् महुआखेड़ागंज, ऊधमसिंहनगर से है;

(iv) **"अधिशासी अधिकारी"** से अभिप्रेत उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम 1916 के अन्तर्गत पालिका केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1966 के अधीन नियुक्त अधिशासी अधिकारी से है।

(v) **"सफाई निरीक्षक"** से अभिप्रेत नगर पालिका परिषद् महुआखेड़ागंज, ऊधमसिंहनगर में शासन द्वारा तैनात सफाई निरीक्षक से है, ऐसे अधिकारी के उपलब्ध न होने की स्थिति में नगर पालिका के उस अधिकारी/कर्मचारी से हैं, जो उस पद के कार्यभार के लिए शासन, नगर पालिका बोर्ड या अधिशासी अधिकारी द्वारा अधिकृत किया गया हो।

(vi) **"निरीक्षण अधिकारी"** का अभिप्रेत अधिशासी अधिकारी, नगर स्वास्थ्य अधिकारी, सफाई निरीक्षक अथवा ऐसे अधिकारी/कर्मचारी से हैं जिन्हें समय–समय पर अधिशासी अधिकारी के आदेश से निरीक्षण के लिए अधिकृत किया गया है।

(vii) **"नियम"** से अभिप्रेत भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं०, 648 नई दिल्ली, मंगलवार 03 अक्टूबर 2000 असाधारण अधिसूचना नई दिल्ली, दिनांक 25 सितम्बर 2000 द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबन्धन और हथालन) नियम, 2000 बनाये गये से है।

(viii) **"अधिनियम"** से अभिप्रेत उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम–1916 (उत्तराखण्ड में यथाप्रवृत्त) से है।

(ix) **"जीव नाशित/जैव निम्नकारणीय/जैविक अपशिष्ट"** (biodegrabable waste) से अभिप्रेत ऐसे अपशिष्ट पदार्थों से है सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नकरण किया जा सकता है, जैसे बचा हुआ, खाना, सब्जी एवं फलो के छिलके, फूलों–पौधों आदि के पत्ते एवं अन्य जैविक अपशिष्ट आदि।

(x) **"जीव अनाशित अपशिष्ट"** (Non-biodegrabable waste) का अभिप्रेत ऐसे कूड़ा–कचरा सामग्री से हैं, जो जीव नाशित कूड़ा कचरा नहीं हैं और इसके अन्तर्गत प्लास्टिक भी है।

(xi) **"पुनर्चक्रणीय अपशिष्ट"** (recyclable waste) से अभिप्रेत ऐसे अपशिष्ट से है जो दोबारा किसी भी प्रकार सीधे अथवा विधि से परिवर्तित करके उसका दोबारा उपयोग किया जा सकता है, जैसे–प्लास्टिक, पौलीथीन (निर्धारित माईक्रोन के अन्दर) कागज, धातु, रबड़ आदि।

(xii) **"जैव चिकित्सीय अपशिष्ट"** (biomedical waste) से तात्पर्य ऐसे अपशिष्ट से है जिसका जनन मानवों व पशुओं के रोग निदान, उपचार, प्रतिरक्षीकरण के दौरान या उससे सम्बन्धित किसी अनुसन्धान, क्रियाकलापों या जैविक के उत्पादन या परीक्षण के दौरान हुआ हो।

(xiii) **"संग्रहण"** (collection) से अपशिष्ट के उत्पत्ति स्थल, संग्रहण, बिन्दुओं तथा किसी अन्य स्थान से ठोस अपशिष्ट को उठाया जाना अभिप्रेत है।

(xiv) **"कचरा खाद बनाने"** (composting) एक ऐसी नियन्त्रित प्रक्रिया से अभिप्रेत है जिसमे कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जैवीय निम्नकरण अन्तर्वलित है।

(xv) **"ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट"** (demolition and construction waste) से अभिप्रेत सन्निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत और ढहाने सम्बन्धी संक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्माण सामग्री रोड़ियों और मलबे से उद्भूत अपशिष्ट से है।

(xvi) **"व्ययन"** (disposal) से भूजल, सतही जल तथा परिवेशी वायु गुणता को सन्दूषण से बचाने हेतु आवश्यक सावधानी से नगरीय ठोस अपशिष्ट का अन्तिम रूप से व्ययन अभिप्रेत है।

(xvii) **"भूमिकरण"** (landfilling) से भूजल सतह जल का प्रदूषण और वायु के साथ उड़ने वाली धूल, हवा के साथ उड़ने वाला कूड़ा, बदबू आग के खतरे, पक्षियों का खतरा, नाशी जीव/कृत्तक, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ढाल अस्थिरता और कटाव के लिए संरक्षात्मक उपक्रमों के साथ डिजाईन की गई सुविधा में अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट का भूमि भरण पर निपटान अभिप्रेत है।

(xviii) **"निक्षालितक"** (leachate) से वह द्रव्य अभिप्रेत है जिसका ठोस अपशिष्ट या अन्य माध्यम से रिसाव हुआ है तथा जिसने इसमें से धुलित अथवा निलम्बित पदार्थ का निष्कर्ष किया है।

(xix) **"नगर पालिका प्राधिकारी"** (municipal authority) में म्युनिशपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत जिसके अन्तर्गत अधिसूचित क्षेत्र, समिति (एन०ए०सी०) अथवा सुसंगत कानूनों के अन्तर्गत गठित कोई अन्य स्थानीय निकाय अभिप्रेत है, जहां नगरीय ठोस अपशिष्ट का प्रबन्धन और हथालन ऐसे किसी अभिकरण को सौंपा जाता है।

(xx) **"स्थानीय प्राधिकारी"** (local authority) का अभिप्रेत तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित नगर निगम, नगर पालिका परिषद्, नगर पंचायत, क्षेत्र पंचायत या ग्राम पंचायत है।

(xxi) **'नगरीय ठोस अपशिष्ट"** (municipal solid waste) के अन्तर्गत औद्योगिक परिसंकटमय (hazardous) अपशिष्टों को छोड़कर किन्तु उपचारित जैव चिकित्सीय अपशिष्टों को सम्मिलित करते हुये ठोस या अर्द्धठोस रूप से नगरीय/अधिसूचित क्षेत्रों मे पैदा किया जाने वाला वाणिज्यक तथा आवासीय अपशिष्ट आता है।

(xxii) **"सुविधा के परिचालक"** (operator of facility) से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो नगरीय ठोस अपशिष्टो के संग्रहण, पृथक्करण, भण्डारण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान की सुविधा का स्वामी या परिचालक है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई अभिकरण आता है जो अपने–अपने क्षेत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्टों के प्रबन्धन एवं हथालन के लिये नगर पालिका प्राधिकारी द्वारा इस रूप से नियुक्त किया गया है। "प्रसंस्करण" से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है, जिसके द्वारा अपशिष्ट सामाग्रियों को नये पुनः चक्रित उत्पादों में परिवर्तन किया जाता है।

(xxiii) **"पुनर्चक्रण"** (recycling) से वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जो नये उत्पादों के उत्पादन के लिए पृथक्करण सामाग्रियों को उत्पादन सामग्री में परिवर्तन करता हैं। जो अपने मूल उत्पादन के समान हो सकता है या नहीं भी हो सकता हैं।

(xxiv) **"पृथक्करण"** (segregation) से नगरीय ठोस अपशिष्टों को कार्बनिक, अकार्बनिक, पुनः चक्रण योग्य और परिसंकटमय अपशिष्टों को वर्गों से अलग–अलग करना अभिप्रेत है।

(xxv) **"भण्डारण"** (storage) से नगरीय ठोस अपशिष्टों के अस्थाई रूप से इस प्रकार डिब्बाबन्द किया जाना अभिप्रेत है जिससे कूड़ा–करकट, रोग वाहकों के आकर्षित करने, आवारा पशुओं तथा अत्याधिक दुर्गन्ध को रोका जा सके।

(xxvi) **"परिवहन"** (transportation) से विशेष रूप से डिजाईन की गई परिवहन प्रणाली द्वारा स्वच्छता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नगरीय ठोस अपशिष्ट का परिवहन करना अभिप्रेत है ताकि दुर्गन्ध, कूड़ा–करकट बिखरने, रोग वाहकों की पहुंच से रोका जा सके।

4. कोई भी व्यक्ति/स्थापन (establishment) नगरीय ठोस अपशिष्टों को नाली, सड़क, गली, फुटपाथ, किसी भी खुले स्थान पर जो नगर पालिका द्वारा इस प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं किया गया है, न डालेगा और न डलवायेगा।

5. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन अपशिष्ट उत्पादन स्थल पर दो कूड़ेदान रखेगा, जिसमें से एक जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट तथा दूसरें में पुनः चक्रणीय अपशिष्ट संग्रहित करेगा

6. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा उक्त बिन्दु 6 के अनुसार संग्रहित जैव निम्नकरणीय अपशिष्ट प्रतिदिन तथा पुनः चक्रणीय अपशिष्ट सप्ताह में एक दिन पालिका, के द्वारा निर्धारित समय, प्रक्रिया के अनुसार पालिका के कर्मचारी/सुविधा प्रचालक (operator of a facility) को देना होगा (किन्तु जीव नाशित कूड़ा, जीव अनाशित थैले में रखकर नहीं डाला जायेगा) जिसके लिए अनुसूची में निर्धारित दरें जो समय–समय पर संशोधित करी जा सकेंगी के अनुसार उत्पादक व्यक्ति/स्थापन से प्रतिमाह सेवा शुल्क (user charges) लिए जायेंगे।

7. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्टों को उठाने के लिए नगर पालिका से सम्पर्क कर पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिये निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (user charges) भुगतान करना होगा।

8. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा जहां तक सम्भव हो बागवानी व सभी पेड़–पौधों के कूड़े परिसर में ही कम्पोस्ट करना होगा, जहां ऐसा करना सम्भव ना हो तो नगर पालिका से सम्पर्क कर पालिका द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ऐसे अपशिष्टों को उठाने के लिए निर्धारित दर पर सेवा शुल्क (user charges) भुगतान करना होगा। किसी भी दशा में ऐसे अपशिष्टों को जलाया नहीं जायेगा।

9. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन द्वारा परिसंकटमय (hazardous) अपशिष्टों को अलग से जमा रखना होगा और पन्द्रह दिन में एक बार द्वार–द्वार (door to door) संग्रहण हेतु कर्मचारी/सुविधा प्रचालक को देना होगा।

10. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादक व्यक्ति/स्थापन जीव चिकित्सा अपशिष्टों का प्रबन्धन जीव–चिकित्सा अपशिष्ट (प्रबन्धन एवं हस्तन) नियम 1998 के अनुसार करेगा, बिना उपचारित जैव–चिकित्सा अपशिष्टों को नगरीय ठोस अपशिष्टों में नहीं मिलायेगा।

11. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन करने वाला/हथालन करने वाला व्यक्ति/स्थापन तथा अन्य कोई भी व्यक्ति नगरीय ठोस अपशिष्ट को न जलायेगा और न ही जलवायेगा।

12. नगरीय ठोस अपशिष्टों के उत्पादन, पृथक्करण, संग्रहण, भण्डारण, परिवहन तथा व्ययन से सम्बन्धित स्थल का निरीक्षण का अधिकार निरीक्षण अधिकारी को होगा।

13. निरीक्षण अधिकारी द्वारा स्थल पर गये नगरीय ठोस अपशिष्ट को यदि तत्काल उठाने की आवश्यकता समझी जाती है तो मासिक यूजर चार्जेस के अन्तर्गत निर्धारित नहीं है को अपशिष्ट उत्पादक के द्वारा अथवा नगर पालिका/सुविधा प्रचालक तत्काल उठवाया जा सकेगा और उसके लिए स्थल पर ही यूजर चार्जेस वसूल किया जा सकेगा। जिसकी रसीद अपशिष्ट उत्पादक को दी जायेगी, वह धनराशि उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस मे नगर पालिका/सुविधा प्रचालक के खाते में जमा की जायेगी।

14. अनुसूची में दी गयी दरों में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी, जिसकी गणना रू० 5.00 (पाँच) के पूर्णांक में की जायेगी।

15. उपविधि में लगाये जाने वाले यूजर चार्जेस/सेवा शुल्क में छूट का प्राविधान नहीं होगा।

16. यह कि उपविधि में दिये गये किसी नियम का उल्लंघन करने पर यदि कोई व्यक्ति या परिवार जैविक–अजैविक कूड़े को सड़क व नाली में फेंकता है, तो प्रथम बार रू0 500.00 दूसरी बार पर रू0 1000.00 एवं तीसरी बार मे रू0 10,000.00 अर्थदण्ड (penalty) देना होगा।

17. यह कि यदि कोई व्यक्ति आवासीय एवं व्यवसायी भवन निर्माण हेतु निर्माण सामग्री 24 घण्टे के अन्दर सार्वजनिक सडक या नाली के ऊपर से नही हटाता है तो प्रथम बार रू 1,000.00, द्वितीय बार रू0 5,000.00 एवं तीसरी बार में रू 10,000.00 की अर्थदण्ड (penalty) देना होगा।

18. यह कि नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के अन्तर्गत सेवा शुल्क (**User charges**) की दरें निम्नवत है :–

अनुसूची–1 सेवा शुल्क (User charges) की दरें

क्र0 सं0	अपशिष्ट उत्पादक की श्रेणी/अपशिष्ट के प्रकार	जैविक–अजैविक कूडा अलग–अलग सड़क तक पहुँचाने पर (रू0)	मिश्रित कूडा सडक तक पहुँचाने पर (रू0)	जैविक–अजैविक कूडा घर/श्रोत पर ही अलग–अलग देने पर (रू0)	घर/श्रोत पर ही मिश्रित कूडा देनें पर (रू0)
1.	गरीबी रेखा से नीचे के घर	10	15	20	30
2.	मध्यम वर्ग कम आय वाले घर	15	20	30	40

3.	उच्च आय वर्ग वाले घर	20	25	40	50
4.	सब्जी एवं फल विक्रेता	100	200	100	200
5.	रेस्टोरेन्ट	250	400	250	400
6.	होटल/लाजिंग/गेस्ट हाउस	300	400	300	400
7.	धर्मशाला	20	30	40	50
8.	बरातघर	1000	1500	1000	1500
9.	बैकरी	150	200	150	200
10	कार्यालय	50	100	50	100
11	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं (आवासीय)	100	200	200	250
12	स्कूल/शिक्षण संस्थाएं (अनावासीय)	20	25	25	25
13	हॉस्पिटल/नर्सिंग होम (बायोमेडिकल वेस्ट को छोडकर)	200	400	400	600
14	क्लीनिक (मेडिकल)	100	200	150	200
15	दुकान	100	200	150	250
16	(क) फैक्ट्री (उद्योग) छोटे	200	400	300	450
	(ख) फैक्ट्री (उद्योग) मध्यम	400	700	600	900
	(ग) फैक्ट्री (उद्योग) बड़े	2000	3000	2000	3500
17	वर्कशाप/कबाडी	1000	1500	500	700
18	गन्ने का रस/जूस विक्रेता	50	100	125	150
19	सार्वजनिक/निजी स्थलों पर सर्कस/प्रदर्शनी/ विवाह आदि प्रति आयोजन जिसमें अपशिष्ट उत्पन्न होता हो	200	500	500	800
20	ढहान तथा निर्माण सम्बन्धी अपशिष्ट	400	500	500	1000

उपरोक्त विवरण के अलावा धार्मिक कार्य जैसे–भण्डारा, जागरण, शोभा यात्रा/जुलूस आदि पर उपरोक्त दरें लागू नही होगी।

शास्ति

उपरोक्त उपविधि का उल्लघंन उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तराखण्ड मे यथावृत्त) की धारा 299 (1) एवं नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियमावली, 2011 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा, जो रू० 10,000.00 (रू० दस हजार मात्र) तक हो सकेगा और जब ऐसा भंग निरन्तर किया जाय, तो अग्रेत्तर जुर्माना किया जायेगा, जो प्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें अपराधी का अपराध करते रहना सिद्ध हो, रू० 1000.00 (रू0 एक हजार मात्र) तक हो सकेगा। यह अधिकार अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद् महुआखेड़ागंज, ऊधमसिंहनगर में निहित होगा।

नजर अली,
अधिशासी अधिकारी।

ए0 के0 राणा,
अध्यक्ष।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 02 हिन्दी गजट/08 भाग 8 2018 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

मुद्रक एवम् प्रकाशक–अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, उत्तराखण्ड, रुड़की।